बनी इसराईल पर इनामों की ज़्यादती

बनी इसराईल की क़ौमी ज़िंदगी और उनकी सरकशी और तमर्रुद के बावजूद कुरआन जिस अन्दाज़ से उन पर किए हुए इनाम याद दिलाता है, उसको सामने रखकर यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तआ़ला ने ऐसी क़ौम को किस लिए नेमतों और फ़ज़ीलतों के लिए चुना? इसका जवाब तारीख़ी एतबार से यही हो सकता है कि उस दौर में तमाम क़ौमों में शिर्क व कुफ़्र, बग़ावत व सरकशी और जुल्म व तुग़यान का जो हैबतनाक मुज़ाहरा चल रहा था उसके सामने बनी इसराईल बहुत ग़नीमत थे। तारीख़ इसका सबूत भी बहम पहुंचाती है कि उस क़ौम की एक आम बद-बख़्ती के बावजूद उसी की एक छोटी जमाअ़त के ज़रिए अल्लाह की रुश्द व हिदायत का पैग़ाम एक लम्बे अर्से तक इंसानी कायनात तक पहुंचता रहा। ग़रज़ यह कि बनी इसराईल का यह चुनाव उनके तक़्वा की वजह से न था, बल्कि उनको उनसे भी ज़्यादा फ़साद व सरकशी फैलाने वाली ताक़तों का सर कुचल देने का ज़रिया बनाना था।

हज़रत मूसा ﷺ का रुत्बा, एक पैग़म्बर की हैसियत से

कुरआन और नबी ﷺ की हदीसों में हज़रत मूसा ﷺ के मनसक़िब व फ़ज़ाइल (गुणों) और बनी इसराईल के वाक़ियों में उनका बड़प्पन और बुजुर्गी नुमायां है साथ ही हज़रत मूसा ने फ़िरऔन, फ़िरऔन की क़ौम और बनी इसराईल के वाक़ियों में तक्लीफ़ें उठाईं। उनकी नज़ीर (नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत इब्राहीम ﷺ को छोड़कर) और किसी नबी और रसूल की मुबारक ज़िंदगी में नहीं मिलती इसलिए यह कहा जा सकता है कि ख़त्मुल मुर्सलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ और मुजद्दिद अंबिया हज़रत इब्राहीम ﷺ के बाद हज़रत मूसा ﷺ अज़्म वाले पैग़म्बर और रसूल हैं, बड़े मर्तबे वाले और बड़ी क़द्र व क़ीमत और मंज़लत के मालिक।

यह ज़िक्र भी ज़रूरी है कि बुख़ारी व मुस्लिम में है कि नबी अकरम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया—

Copyright OfflineDeeniApp

'मुझको मूसा पर फ़ज़ीलत न दो इसलिए कि क़ियामत के दिन लोगों पर दहशत से ग़शी छा रही होगी, तो सबसे पहला आदमी जिसे होश आएगा, मैं हूंगा तो मैं यह देखूंगा कि मूसा अ़र्श का पाया पकड़े खड़े हैं, अब मैं नहीं कह सकता कि उनको पहले इफ़ाक़ा हो गया था वह तूर पर बेहोश किए जाने के बदले में आज की बेहोशी से छूट गए।'

इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि नबी अकरम ﷺ का यह इर्शाद तवाज़ो और इंकिसार की वजह से है, वरना तो दूसरी जगह आपका ख़ुद यह इर्शादि मुबारक है *'अना सैयदु वुल्दि आदम व ला फ़ख्र'* (बग़ैर किसी फ़ख्र के कहता हूं कि मैं तमाम आदम की औलाद का सरदार हूं) और आपका *ख़ातमुन्नबीयीन* (आख़िरी पैग़म्बर) होना इसकी रोशन दलील है। रहा क़ियामत का यह वाक़िया तो यह एक हिस्से की फ़ज़ीलत है और फ़ज़्ल व कमाल के सोत का कमालात की बरतरी व बढ़ावे पर उसका असर नहीं पड़ता। इस रिवायत की रूह हज़रत मूसा की बरतरी का इज़्हार है और बस।

नसीहतें क्या मिलीं?

मुसीबतों में सब्र किया जाए

1. अगर इंसान को कोई मुसीबत और आज़माइश पेश आ जाए तो उस यह ज़रूरी है कि सब्र व रज़ा के साथ उसे सहे। अगर ऐसा करेगा तो बेशक उसको बड़ा अज्र हासिल होगा और वह यक़ीनी तौर पर सफल और कामयाब होगा।

कामियाबी के लिए शर्त

2. जो आदमी अपने मामलों में अल्लाह पर भरोसा और एतमाद रखता है और उसी को दिल के खुलूस के साथ अपना हासिल समझता है, तो अल्लाह तआ़ला ज़रूर उसकी मुश्किलों को आसान कर देते हैं और उसकी मुसीबतों को नजात और कामियाबी के साथ बदल देते हैं।

Copyright OfflineDeeniApp

बनी इसराइल पर इनाम की ज़्यादती

बनी इसराईल की क़ौमी ज़िंदगी और उनकी सरकशी और तमर्रुद के बावजूद कुरआन जिस अन्दाज़ से उन पर किए हुए इनाम याद दिलाता है, उसको सामने रखकर यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तआ़ला ने ऐसी क़ौम को किस लिए नेमतों और फ़ज़ीलतों के लिए चुना? इसका जवाब तारीख़ी एतबार से यही हो सकता है कि उस दौर में तमाम क़ौमों में शिर्क व कुफ़्र, बग़ावत व सरकशी और जुल्म व तुग़यान का जो हैबतनाक मुज़ाहरा चल रहा था उसके सामने बनी इसराईल बहुत ग़नीमत थे। तारीख़ इसका सबूत भी बहम पहुंचाती है कि उस क़ौम की एक आम बद-बख़्ती के बावजूद उसी की एक छोटी जमाअ़त के ज़रिए अल्लाह की रुश्द व हिदायत का पैग़ाम एक लम्बे अर्से तक इंसानी कायनात तक पहुंचता रहा। ग़रज़ यह कि बनी इसराईल का यह चुनाव उनके तक़्वा की वजह से न था, बल्कि उनको उनसे भी ज़्यादा फ़साद व सरकशी फैलाने वाली ताक़तों का सर कुचल देने का ज़रिया बनाना था।

हज़रत मूसा ﷺ का रुत्बा, एक पैग़म्बर की हैसियत से

कुरआन और नबी ﷺ की हदीसों में हज़रत मूसा ﷺ के मनसक़िब व फ़ज़ाइल (गुणों) और बनी इसराईल के वाक़ियों में उनका बड़प्पन और बुज़ुर्गी नुमायां है साथ ही हज़रत मूसा ने फ़िरऔन, फ़िरऔन की क़ौम और बनी इसराईल के वाक़ियों में तक्लीफ़ें उठाईं। उनकी नज़ीर (नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत इब्राहीम ﷺ को छोड़कर) और किसी नबी और रसूल की मुबारक ज़िंदगी में नहीं मिलती इसलिए यह कहा जा सकता है कि ख़त्मुल मुर्सलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ और मुजद्दिद अंबिया हज़रत इब्राहीम ﷺ के बाद हज़रत मूसा ﷺ अज़्म वाले पैग़म्बर और रसूल हैं, बड़े मर्तबे वाले और बड़ी क़द्र व क़ीमत और मंज़लत के मालिक।

यह ज़िक्र भी ज़रूरी है कि बुख़ारी व मुस्लिम में है कि नबी अकरम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया—

Copyright OfflineDeeniApp

'मुझको मूसा पर फ़ज़ीलत न दो इसलिए कि क़ियामत के दिन लोगों पर दहशत से ग़शी छा रही होगी, तो सबसे पहला आदमी जिसे होश आएगा, मैं हूंगा तो मैं यह देखूंगा कि मूसा अ़र्श का पाया पकड़े खड़े हैं, अब मैं नहीं कह सकता कि उनको पहले इफ़ाक़ा हो गया था वह तूर पर बेहोश किए जाने के बदले में आज की बेहोशी से छूट गए।'

इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि नबी अकरम ﷺ का यह इर्शाद तवाज़ो और इंकिसार की वजह से है, वरना तो दूसरी जगह आपका ख़ुद यह इर्शादि मुबारक है *'अना सैयदु वुल्दि आदम व ला फ़ख़्र'* (बग़ैर किसी फ़ख़्र के कहता हूं कि मैं तमाम आदम की औलाद का सरदार हूं) और आपका *ख़ातमुन्नबीयीन* (आख़िरी पैग़म्बर) होना इसकी रोशन दलील है। रहा क़ियामत का यह वाक़िया तो यह एक हिस्से की फ़ज़ीलत है और फ़ज़्ल व कमाल के सोत का कमालात की बरतरी व बढ़ावे पर उसका असर नहीं पड़ता। इस रिवायत की रूह हज़रत मूसा की बरतरी का इज़्हार है और बस।

नसीहतें क्या मिलीं?

मुसीबतों में सब्र किया जाए

1. अगर इंसान को कोई मुसीबत और आज़माइश पेश आ जाए तो उस यह ज़रूरी है कि सब्र व रज़ा के साथ उसे सहे। अगर ऐसा करेगा तो बेशक उसको बड़ा अज्र हासिल होगा और वह यक़ीनी तौर पर सफल और कामयाब होगा।

कामियाबी के लिए शर्त

2. जो आदमी अपने मामलों में अल्लाह पर भरोसा और एतमाद रखता है और उसी को दिल के खुलूस के साथ अपना हासिल समझता है, तो अल्लाह तआ़ला ज़रूर उसकी मुश्किलों को आसान कर देते हैं और उसकी मुसीबतों को नजात और कामियाबी के साथ बदल देते हैं।

Copyright OfflineDeeniApp

इश्क़े इलाही की ताक़त

3. जिसका मामला हक़ के साथ इश्क़ तक पहुंच जाता है, उसके लिए बातिल की बड़ी से बड़ी ताक़त भी हेच और बे-वजूद होकर रह जाती है।

हर कि पैमां बा 'हुवल मौजूद बस्त'
गरदिनश अज़ बन्द हर माबूद हरस्त

अल्लाह की मदद

4. अगर कोई अल्लाह का बन्दा हक़ की मदद और हिमायत के लिए सरफ़रोशाना खड़ा हो जाता है, तो अल्लाह दुश्मनों और बातिल परस्तों ही में से उसका मददगार पैदा कर देता है।

ईमानी लज़्ज़त के असरात

5. अगर एक बार भी कोई ईमानी लज़्ज़त का लुत्फ़ उठा ले और सच्चे दिल से उसे मान ले, तो यह नशा उसको ऐसा मस्त बना देता है कि उसकी जान के हर रेशे से वही हक़ की आवाज़ निकलने लगती है।

सब्र का फल

6. सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसके फल हासिल होने में कितनी ही कड़ुवाहटें सहनी पड़ें, मगर जब भी वह फल लगेगा, मीठा ही होगा।

सब्र तल्ख़ अस्त वले बर शीरीं दारद (सादी रह०)

ग़ुलामी के असरात

7. ग़ुलामी और महकूमी की ज़िंदगी का सबसे बुरा असर यह होता है कि हिम्मत और इरादे की रूह पस्त होकर रह जाती है और इंसान इस नापाक ज़िंदगी के ज़िल्लत भरे अम्न व सुकून को नेमत समझने और हक़ीर रास्तों को सबसे बड़ी अ़ज़्मत सोचने लगता है और जद्दुजुहद की ज़िंदगी से परेशान व हैरान नज़र आता है।

Copyright OfflineDeeniApp

ज़मीन की विरासत के लिए शर्तें

8. ज़मीन या मुल्क की विरासत उसी क़ौम का हिस्सा है जो बे-सर व सामानी से बेख़ौफ़ होकर और अज़्म व हिम्मत का सबूत देकर हर क़िस्म की मुश्किल और रुकावट का मुक़ाबला करती और 'सब्र' और अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए जद्दुजुहद के मैदान में साबित क़दम रहती हैं।

बातिल की नाकामी

9. बातिल की ताक़त कितनी ही ज़बरदस्त और शान व शौकत से भरी हुई हो, अंजाम यह होगा कि उसे नामुरादी का मुंह देखना पड़ेगा और आख़िरी अंजाम में कामरानी व कामियाबी का सेहरा उन्हीं के लिए होता है जो नेक और हिम्मत वाले हैं।

ज़ालिम क़ौमों का अंजाम

10. यह 'आ़दतुल्लाह' है कि जाबिर व ज़ालिम क़ौमें, जिन क़ौमों को ज़लील और हक़ीर समझती हैं, एक दिन आता है कि वही ज़ईफ़ और कमज़ोर क़ौमें अल्लाह की ज़मीन की वारिस बनती और हुकूमत व इक़्तिदार की मालिक हो जाती हैं और ज़ालिम क़ौमों का इक़्तिदार ख़ाक में मिल जाता है।

ताक़त का ख़ुमार और उसका अंजाम

11. ताक़त, हुकूमत और दौलत, सरवत में डूबी जमाअ़तों का हमेशा से यह शिआर रहा है कि सबसे पहले वही 'हक़ की दावत' के मुक़ाबले में सामने आ खड़ी होती है, मगर क़ौमों की तारीख़ यह भी बताती है के हमेशा हक़ के मुक़ाबले में उनको नाकामी, हार और नामुरादी का मुंह देखना पड़ा है।

सरकशी का अंजाम

12. जो हस्ती या जमाअ़त जानते-बूझते और हक़ को हक़ जानते हुए भी सरकशी करे और अल्लाह की दी हुई निशानियों की इंकारी और नाफ़रमान बने तो उसके लिए अल्लाह का क़ानून यह है कि वह उनसे हक़ क़ुबूल करने

Copyright OfflineDeeniApp

की इस्तेदाद फ़ना कर देता है, क्योंकि यह उनकी लगातार सरकशी का कुदरती फल है।

13. यह बहुत बड़ी गुमराही है कि इंसान को जब हक़ की बदौलत कामियाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह के शुक्र की जगह हक़ के मुख़ालिफ़ों की तरह ग़फ़लत व सरकशी में मुब्तला हो जाए।

दीन में इस्तिक़ामत (जमाव)

14. कोई हक़ को क़ुबूल करे या न करे, हक़ की दावत देने वाले का फ़र्ज़ है कि हक़ की नसीहत करने से बाज़ न रहे।

15. किसी क़ौम पर ज़ाबिर व ज़ालिम हुक्मरां का मुसल्लत होना, उस हुक्मरां की अल्लाह के नज़दीक मक़्बूल होने और सरबुलन्द व सरफ़राज़ होने की दलील नहीं, बल्कि वह अल्लाह का एक अ़ज़ाब है जो महकूम क़ौम की बद-अ़मलियों के बदले की शक्ल में ज़ाहिर होता है, मगर महकूम क़ौम की ज़ेहनियत पर जाबिर ताक़त का इस क़दर ग़लबा छा जाता है कि वह अपनी परेशानियों को ज़ालिम हुकूमत पर अल्लाह की रहमत समझने लगती है।

अल्लाह की बरदाश्त

16. जब कोई क़ौम या कोई जमाअ़त बदकिरदारी और सरकशी में मुब्तला होती है तो अल्लाह का क़ानून यह है कि उसको फ़ौरन ही पकड़ में नहीं लिया जाता, बल्कि एक तदरीज के साथ मोहलत मिलती रहती है कि अब बाज़ आ जाए, अब समझ जाए और इस्लाहे हाल कर ले। लेकिन जब वह इस्लाह पर तैयार नहीं होती और उनकी सरकशी और बदअ़मली एक ख़ास हद तक पहुंच जाती है तो फिर अल्लाह की पकड़ व पंजा उनको पकड़ लेता है और वे बे-यार व मददगार फ़ना के घाट उतर जाते हैं।

इंसानी इल्म की अहमियत

17. किसी हस्ती के लिए भी, वह नबी या रसूल ही क्यों न हो, यह मुनासिब नहीं कि वह यह दावा करे कि मुझसे बड़ा आलिम कायनात में कोई

Copyright OfflineDeeniApp

15 नहीं, बल्कि उसको अल्लाह के इल्म के सुपुर्द कर देना बेहतर है।

ग़ुलामी एक लानत है

18. मिल्लते इस्लामिया की पैरवी करने वालों के लिए 'ग़ुलामी' बहुत बड़ी लानत है और अल्लाह का ग़ज़ब है और उस पर क़नाअ़त कर लेना गोया अल्लाह के अ़ज़ाब और अल्लाह की लानत पर भरोसा कर लेने के बराबर है।

फ़ातबिरू या उलिल अब्सार

अहम नुक्ते (Points)

अल्लाह की वह्य की हैसियत

कुरआन पाक के बयान यूरोप के उन पीछे चलने वालों के लिए सबक़ हासिल करने का बहुत बड़ा सरमाया हैं जो जल्दबाज़ी के साथ पूरब पर काम करने वालों की हर एक तह्क़ीक़ पर बग़ैर किसी पस व पेश के आमन्ना व सद्दक़ना कह देने के आदी हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्मों पर तो शक कर सकते हैं और करते रहते हैं मगर यूरोपीय तारीख़दानों और पूरब पर काम करने वालों की इल्मी तह्क़ीक़ात को अल्लाह की वह्य से ज़्यादा एतबार वाला समझते हैं, हालांकि यह बात भी उनसे छिपी नहीं कि यूरोप के तह्क़ीक़ करने वाले ख़ुद अपनी तह्क़ीक़ों और खोजों से हमेशा रुजू करते आए हैं, लेकिन न इंकार की जाने वाली हक़ीक़तें ऐसी हैं कि यक़ीन व अ़मल की जो राह अल्लाह की वह्य यानी क़ुरआन के ज़रिए हासिल हो चुकी है, उसको ज़रा बराबर अपनी जगह से हटने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और शक व गुमान से हासिल किया गया इल्म उस वक़्त तक बराबर गर्दिश में रहेगा जब तक क़ुरआनी सच्चाई पर आकर न ठहर जाए।

मुसलसल ग़ुलामी के असरात

तारीख़ की यह तस्लीमशुदा बात है कि जब किसी क़ौम पर ग़ुलामी की हालत में सदियां बीत जाती हैं, तो उसकी बर्बादी और पस्ती की हदें यहीं

Copyright OfflineDeeniApp

ख़त्म नहीं हो जातीं कि वे मुफ़्लिस और बदहाल हों और काहिल और परेशानहाल, बल्कि उनकी अ़मली ताक़तों की ख़राबी से ज़्यादा उनकी दिमाग़ी ताक़तें बेकार, थकी हुई और नाकारा हो जाती हैं उनमें हिम्मत और बहादुरी ख़त्म हो जाती है और वे पस्ती पर ही क़नाअत कर लेते हैं। ना उम्मीदी उनका शेवा हो जाती है और ज़िल्लत व नकबत को वह सब्र व क़नाअ़त समझने लगते हैं, इसलिए जब कोई सुधारक या पैग़म्बर व रसूल उस दिमाग़ी पस्ती से निकालने के लिए उनको पुकारता है और हिम्मत व बहादुरी पर तैयार करता है, तो यह उनके लिए सबसे मुश्किल और अ़मल में नामुम्किन पैग़ाम जैसा नज़र आता है और वह कभी इस राह की सख़्तियों से घबरा कर आपस में टकराते जाते और कभी अपने नजात दिलाने वाले पर शक व शुबहा की निगाह डालने लगते हैं और अगर इस जद्दोजेहद में उनको कोई फ़ायदा हासिल हो जाता है तो वक़ार और संजीदगी से भी गुज़र कर ख़ुशी ज़ाहिर करने लगते हैं और अगर इस राह में कोई मुसीबत और आज़माइश का सवाल आ पड़ता है तो मुस्लेह या पैग़म्बर को इलज़ाम देने लगते हैं कि हमको ख़ामख़ाही तूने इस मुसीवत में फंसा दिया। हम तो अपनी हालत पर ही सब्र व शुक्र करने वाले थे–

नज़र आते नहीं बेपरदा हक़ाइक़ उनको
आंख जिनकी हुई महकूमी व तक़्लीद से कोर।।

ईमान की बरकतें

अल्लाह तआ़ला ने यहां इ़ज़्ज़त का मेयार 'सिद्क़ व ख़ुलूस' और अल्लाह की 'वफ़ादाराना उबूदियत' है, न कि दुन्यवी दौलत व सरवत और जाह व हश्मत अलबत्ता जो आदमी असल इ़ज़्ज़त को हासिल कर लेता है, तो अल्लाह तआ़ला ये चीज़ें भी उसके क़दमों पर निसार कर देता है–

विलायत, वादशाही, इल्म व हिक्मत की जहांगीरी।
ये सव क्या हैं, फ़क़त एक नुक्ता-ए-ईमां की तफ़्सीरें।

Copyright OfflineDeeniApp

तलाश [illegible] की तरफ़ से इज़ाफ़ाः

एक बद्दू मुसलमान का ईमान

नेशनल जियोग्राफ़िक (National Geographic) मैगज़ीन जनवरी सन् 1976 ई. के अंक में हारवी आरडन का एक जरनलिस्ट सर्वे 'In Search of Moses' (हज़रत मूसा की तलाश में) के नाम से निकला था। इस रिपोर्ट में हारवी ने बड़ी मेहनत और जांफ़शानी से तौरात के बयानों को बुनियाद बनाते हुए उस उत्तरी/दक्खिनी रास्ते की निशानदेही करने की कोशिश की है जिससे हज़रत मूसा मिस्र से वापस हुए और जिस जगह लाल सागर पार किया और जहां फ़िरऔन फ़ौज के साथ डूबा, आरडन ने उन इलाक़ों का जो हज़रत मूसा के क़िस्से से मुताल्लिक़ हैं, एक जुग़राफ़ियाई नक़्शा (भौगोलिक चित्र) भी दिया है, लेकिन वह रास्ते के तऐयुन (निर्धारण) में विश्वास के साथ कुछ कह न सका और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। वह आख़िर में लिखता है कि जिसकी उसको तलाश थी, वह उसको मिल गया, लेकिन ज़्यादा ग़ालिब गुमान यह है कि उस धरती पर इतनी खोज-तलाश के बाद उसको उस 'एक अकेली, जिसमें कोई शरीक नहीं ज़ात का कुछ न कुछ एहसास जरुर हुआ, जिसकी तजल्ली हज़रत मूसा ने उस पाक धरती पर आग लेने जाने के बहाने देखी थी। अल्लाह का शुक्र है उस पाक ज़ात की सीधी सादी समझ उसको एक बद्दू मुसलमान चरवाहे से मिली, जैसा कि नीचे लिखी बातचीत से ज़ाहिर है—

आरडन—क्या तुम इस ज़मीन के मालिक हो?

बद्दू मुसलमान—यह ज़मीन अल्लाह की है।

आरडन—और यह पेड़?

बद्दू मुसलमान—ये पेड़ भी अल्लाह के हैं।

इस जवाब के बाद उसने आरडन की उम्मीद के मुताबिक़ सोचकर कहा, 'ये ज़ैतून के पेड़ मेरे हैं।'

बद्दू मुसलमान के जवाबों में उस जवाब की झलक नज़र आती है जो

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत मूसा ﷺ ने अपनी क़ौम को दिया था–

तर्जुमा–*'मूसा ने अपनी क़ौम से कहा, अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत है और वह अपने बन्दों में से जिसको चाहता है, मालिक बना देता है।'* (अल-आराफ़ 7/15)

अपने सर्वे के आख़िरी मरहले पर आरडन एक और ईमान बढ़ाने वाला मंज़र पेश करता है, वह लिखता है कि–

'बाहर की तरफ़ नज़र डालते हुए मैंने एक नवउम्र चरवाहे को देखा जो अपनी भेड़ों को उस घाटी में चराने के लिए ले जा रहा था, जिसको एक मानी में हज़रत मूसा का अ़सा (डंडा) सैराब कर रहा था। उसने अपनी निगहबानी के अ़सा को रखकर पहाड़ी के एक तरफ़ निकले हुए हिस्से पर अल्लाह की बारगाह में सर को झुका कर मग़रिब की नमाज़ अदा की और उसका ख़ाका शफ़क़ में बिल्कुल नुमायां था। मैं इस मंज़र से न बयान कर पाने की हद तक मुतास्सिर हुआ। कोई भी मंज़र इससे ज़्यादा हस्बे हाल नहीं हो सकता। मेरी मूसा की तलाश यहां ख़त्म हो गई और एक नई ज़िंदगी की शुरूआत हुई।' वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह०

सहाबा किराम की बेमिसाल अ़ज़्मत (बड़ाई)

हज़रत मूसा के क़िस्से में जब हम बनी इसराईल के किरदार पर ग़ौर करते हैं, तो हमें नबी ﷺ के सहाबा किराम ﷺ की अ़ज़्मत और बुज़ुर्गी का एक नया एहसास पैदा होता है। बनी इसराईल पर अल्लाह तआ़ला के लगातार लुत्फ़ व करम और बनी इसराईल के लगातार इंकार व सरकशी के मुक़ाबले में सहाबा किराम के ईमान की पुख़्तगी, सच्चाई व साफ़दिली, शिद्दतों और मुसीबतों के बावजूद सब्र व बरदाश्त और जनाब रिसालत मआब ﷺ से मुहब्बत का एहसास व एतराफ़, जो पढ़ने वाले के दिल में और ज़्यादा पक्का हो जाना लाज़मी है, क्योंकि जनाब रिसालत मआब ﷺ की पूरी ज़िंदगी में हमें एक वाक़िया भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें शिद्दतों, मुसीबतों या किसी और वजह से एक भी आदमी ईमान लाने के बाद इस्लाम से अपना रिश्ता तोड़ लेना तो बड़ी बात, शिकायत का एक हर्फ़ भी ज़ुबान पर लाया हो।

Maktabah.org
Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत यूशेअ् बिन नून عليه السلام

हज़रत यूशेअ् का ज़िक्र क़ुरआन में

हज़रत यूशेअ् बनी इसराईल की औलाद में से हज़रत यूसुफ़ عليه السلام की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। अलबत्ता क़ुरआन पाक में हज़रत यूशेअ् عليه السلام के नाम का ज़िक्र नहीं है। सूरः कह्फ़ में दो जगह हज़रत मूसा के सफ़र के एक नवजवान साथी का ज़िक्र मौजूद है जबकि वह हज़रत ख़िज़्र से मुलाक़ात के लिए तशरीफ़ ले गए। एक सहीह हदीस में जो हज़रत उबई बिन काब से नक़ल की गई है, उस नवजवान साथी का नाम यूशेअ् बताया गया है। यह हज़रत मूसा की ज़िंदगी में उनके ख़ादिम (Servant) थे और हज़रत हारून और हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद उनके ख़लीफ़ा और नुबूवत के जानशीं बने। कनआ़न में जाबिर और मुश्रिक क़ौमों के हालात मालूम करने के लिए जो वफ़्द गया था, उसके एक मेम्बर यह भी थे और अल्लाह की मदद का वायदा याद दिलाकर जिहाद पर उकसाया और कहा कि अगर तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, तो यक़ीनी तौर पर जीत तुम्हारी है। चुनांचे हज़रत मूसा के बाद उन्ही की रहनुमाई में चालीस वर्ष बाद बनी इसराईल की नस्ल पाक ज़मीन में दाख़िल हुई और उन्होंने 'शाम' के कनआ़न (ट्रान्स जार्डन) की तमाम जाबिर व ज़ालिम ताक़तों को पामाल कर दिया।

अर्ज़े मुक़द्दस (पाक सरज़मीन) में दाख़िला

इस थोड़ी सी बात की तफ़्सील यह है कि चालीस साल गुज़र जाने के बाद अल्लाह तआ़ला ने हज़रत यूशेअ् को हुक्म दिया कि तुम बनी इसराईल के इस क़ाफ़िले को लेकर मौऊदा सरज़मीन की तरफ़ बढ़ो और वहां जाबिर क़ौमों को हरा दो, मेरी मदद तुम्हारे साथ है।

हज़रत यूशेअ् ने बनी इसराईल को अल्लाह का पैग़ाम सुनाया और सब दश्ते सीना से निकल कर कनआ़न की सरज़मीन के सबसे पहले शहर अरीहा

Copyright OfflineDeeniApp

(यराहो Jericho) की ओर बढ़े और दुश्मनों को ललकारा। दुश्मनों ने भी बाहर निकल कर सख़्त मुक़ाबला किया और आख़िरकार हार कर वहीं खेत रहे और बनी इसराईल को ज़बरदस्त जीत मिली। बनी इसराईल इसी तरह लड़ते-लड़ते पूरे अर्ज़े मुक़द्दस पर क़ाबिज़ हो गए और एक बार फिर अपने बाप-दादा के वतन के मालिक कहलाए।

नाशुक्री

कुरआन अ़ज़ीज़ में बनी इसराईल की कामियाबी और फ़ातेह (विजयी) की हैसियत से दाख़िले के मुताल्लिक़ इस तरह आता है–

तर्जुमा– *'और जब हमने कहा, इस बस्ती में दाख़िल हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ जो चाहो खाओ और शहर के दरवाज़े में नियाज़मंदी के साथ झुकते हुए दाख़िल होना और यह कहते हुए जाना, 'इलाही! हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमा' हम तुम्हारी ख़ताओं को बख़्श देंगे और बहुत जल्द नेक लोगों को और ज़्यादा देंगे, पस ज़ालिमों ने इस क़ौल को जो उनसे कहा गया था, दूसरे क़ौल से बदल दिया। पस हमने ज़ालिमों और उनकी नाफ़रमानी की वजह से आसमान से सख़्त अ़ज़ाब भेजा।'* (अल-बक़रः 2 : 58, 59)

क़रीब क़रीब यही मज़्मून सूरः आराफ़ की बीसवें रुकूअ् में बयान हुआ है। इन आयतों में अल्लाह तआ़ला ने अपने सच्चे और नियाज़मंद बन्दों और मुतकब्बिर इंसानों के दर्मियान एक खुला फ़र्क़ क़ायम कर दिया है कि उसके नेक और फ़रमांबरदार बन्दे किसी से अपनी ज़ाती ग़रज़ और ज़ाती सरबुलन्दी के लिए नहीं लड़ते, बल्कि अल्लाह के दुश्मनों, फ़सादी और शरीर इंसानों की शरारत और ज़ालिम और सरकश क़ौमों के ज़ुल्म व तुग़यान को मिटाने के लिए सिर्फ़ इसलिए जंग करते हैं कि उससे अ़द्ल ग़लबा पाता है और अल्लाह का हुक्म बुलन्द होता है। इसलिए जब उनको कामियाबी बसीब होती है तो अपनी ख़ुशी घमंड के साथ नहीं ज़ाहिर करते, बल्कि अल्लाह की जनाब में ख़ुज़ूअ् व ख़ुशूअ के साथ सज्दे में गिरकर सज्दे करते हैं और जब क़ब्ज़ा किए गए इलाक़ों में दाख़िल होते हैं तो शुक्रगुज़ार और नेक इंसानों की तरह दाख़िल होते हैं।

Copyright OfflineDeeniApp

अल्लाह का अ़ज़ाब

हक़ न पहचानना और नाशुक्री करना, यही तस्वीर का दूसरा रुख़ है कि बनी इसराईल में से जिन्होंने उस क़ौल को, जो उनसे कहा गया था, दूसरे क़ौल से बदल डाला और अपने किए की सज़ा पाई। लेकिन क़ुरआन पाक ने इसकी कोई तफ़्सील बयान नहीं की, बस इतना कहकर कि 'आसमान से सख़्त अ़ज़ाब भेजा' छोड़ दिया। मालूम होता है कि हक़ न पहचानने और फ़रमान न मानने का यह गन्दा काम बनी इसराईल की पूरी जमाअ़त से सरज़द नहीं हुआ था।

सबक़ और नसीहत

1. हज़रत यूशेअ़ और बनी इसराईल के इन वाक़ियों में सबसे ज़्यादा जो बात तवज्जोह अपनी तरफ़ खींच रही थी, वह यह कि एक इंसान का इंसानी और अख़्लाक़ी फ़र्ज़ है कि जब उसको किसी मुसीबत या इम्तिहान से निजात मिले और वह कामियाब और सफल होकर अपनी मुराद को पहुंचे तो ग़रूर और घमंड के जाल में फंसकर यह न समझ बैठे कि यह मेरी निजी क़ाबिलियत और इस्तेदाद का नतीजा है, बल्कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार बने और अपने इज्ज़ का एतराफ़ करते हुए उसके सामने सरे नियाज़ झुका दे, ताकि रहमते इलाही उसको अपने दामन में छिपा ले और दुनिया की तरह आख़िरत में भी वह बामुराद और शादकाम हो।

2. जिस क़ौम पर अल्लाह का फ़ज़्ल व एहसान और इनाम व इकराम खुली हुई निशानियों के ज़रिए होता है, वह अगर शुक्र व इताअ़त के बजाए नासपासी और नाफ़रमानी पर उतर आती है, तो फिर जल्द ही अल्लाह की *'बत्शे शदीद'* और कड़ी पकड़ का शिकार भी हो जाती है, क्योंकि उसकी सरकशी और बग़ावत मुशाहदा और तजुर्बा के बाद है और बेशुबहा वह सख़्त सज़ा की हक़दार है।

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम

क़ुरआन और हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम

क़ुरआन मजीद में हिज़क़ील नबी का ज़िक्र नहीं है, लेकिन सूरः बक़रः में बयान किए गए एक वाक़िए के बारे में पुराने नेक लोगों से जो रिवायतें नक़ल की गई हैं उनसे मालूम होता है कि इस वाक़िए का ताल्लुक़ हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम ही से है। क़ुरआन में इस वाक़िए को इस तरह बयान किया गया है।

तर्जुमा– *'(ऐ मुख़ातब!) क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से हज़ारों की तायदाद में निकले, फिर अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि मर जाओ, फिर उनको ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह तआ़ला लोगों पर फ़ज़्ल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।'*

(अल-बक़रः 2 : 246)

तफ़्सीर की किताबों में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास और कुछ दूसरे सहाबा से यह रिवायत नक़ल की गई है कि बनी इसराईल की एक बहुत बड़ी जमाअ़त से जब उनके बादशाह या उनके पैग़म्बर हिज़क़ील ने यह कहा कि फ़्लां दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ और हक़ का कलिमा बुलन्द करने का फ़र्ज़ अदा करो, तो वे अपनी जानों के ख़ौफ़ से भाग खड़े हुए और यक़ीन करके कि अब जिहाद से बचकर मौत से महफ़ूज़ हो गए हैं, दूर एक घाटी में मुक़ीम हो गए। अल्लाह तआ़ला को यह हरकत नागवार हुई और उसके ग़ज़ब ने उन पर मौत तारी कर दी और वे सबके सब मौत के आग़ोश में चले गए। एक हफ़्ते के बाद उन पर हज़रत हिज़क़ील का गुज़र हुआ तो उन्होंने उनकी इस हालत पर अफ़सोस किया और दुआ़ मांगी कि इलाहुल आ़लमीन! इनको मौत के अ़ज़ाब से निजात दे, ताकि उनकी ज़िंदगी ख़ुद उनके लिए और दूसरों के लिए इबरत व बसीरत बन जाए। पैग़म्बर की दुआ़ क़ुबूल हुई और वह ज़िंदा होकर इबरत व नसीहत का नमूना बने।

Copyright OfflineDeeniApp

अहम बात

हज़रत हिज़क़ील से मुताल्लिक़ हालात के सिलसिले में दो अहम बातें सामने आती हैं—मरने के बाद की ज़िंदगी और जिहाद से बचना। इन दोनों बातों की वज़ाहत की जाती हैं—

मरने के बाद की ज़िंदगी

जिन लोगों ने पीछे के पन्नों में 'मोजज़े' की बहस को पढ़ा है वे हज़रत हिज़क़ील के ज़माने में मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में किसी शक व शुबहे के या ग़ैर-ज़रूरी बहसों के शिकार नहीं होंगे। यह सही है कि दुनिया में आ़म क़ानून के मुताबिक़ अगरचे दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती और क़ियामत ही के दिन जिस्मों के उठाए जाने का वाक़िया पेश आएगा, लेकिन अल्लाह के ख़ास क़ानून के पेशेनज़र किसी हिक्मत व मस्लहत की बुनियाद पर ऐसा होना अ़क़्ल के लिहाज़ से न सिर्फ़ यह कि मुम्किन है, बल्कि होता रहता है। दूसरे आज के ज़माने में नई रूहानियत (New Spiritualism) के माहिरों के नज़दीक यह बात नई खोज को पहुंच चुकी है कि 'रूह' जिस्म से अलग एक मुस्तक़िल मख़्लूक़ है और जिस्म के गल-सड़ जाने और उसके उन्सरी तख़्लीक़ के मिट जाने के बावजूद रूह ज़िंदा रहती है। साथ ही यह भी एक माक़ूल बात है कि जिस हस्ती ने किसी चीज़ को तर्कीब दिया है, वह तर्कीब के बिखर जाने के बाद दोबारा उसको तर्कीब दे सकती है, तो फिर कोई वजह नहीं कि हयाते रूह और बिखरे हुए हिस्सों के दोबारा तर्कीब के माक़ूल होने के बाद मुरदे के ज़िंदा होने के बारे में किसी शक व शुब्हा में फंसकर ग़ैर ज़रूरी तावील का सहारा लिया जाए।

जिहाद से पहलू बचाना

जब इंसान का ईमान व एतक़ाद इस यक़ीन को हासिल कर ले कि ख़ैर व शर और मौत और ज़िंदगी सब कायनात के पैदा करने वाले के हाथ में है, तो फिर एक लम्हे के लिए भी उसको ख़्याल नहीं आता कि वह अल्लाह की मुक़र्रर की हुई क़द्र के बारे में यह सोचे कि उसका हीला (बहाना) अल्लाह के

Copyright OfflineDeeniApp

फ़ैसले को रद्द कर सकता है और अगर उसकी तक़्दीर लागू है तो दूसरी जगह वह उसके असर से आज़ाद रह सकता है।

इस्लाम की निगाह में तक़्दीर का यह फ़लसफ़ा है कि इंसान अपने अन्दर यक़ीन पैदा कर ले कि मेरा फ़र्ज़ अल्लाह के हुक्मों का मानना और उस पर अ़मल करना है। रहा यह मामला कि इस तामील की अदाएगी में जान का डर या माल की तबाही का डर है, तो वह मेरे अपने अख़्तियार में नहीं है। अगर क़ुदरत का हाथ जान व माल की हलाकत का फ़ौरी फ़ैसला कर चुका है तो दूसरे अस्बाब पैदा होकर तक्वीनी दुनिया के इस फ़ैसले को ज़रूर सच कर दिखाएंगे। यह यक़ीन इंसान को निडर और बहादुर बनाता और बुज़दिली और नामर्दी से दूर रखता है। उसकी नज़र सिर्फ़ फ़र्ज़ की अदाएगी पर जम जाती है और वह तक्वीनी फ़ैसलों को अपनी पहुंच से बाहर समझ कर उससे बे-नियाज़ हो जाता है।

इस्लाम ने तक़्दीर के ये मानी कभी नहीं बताए कि हाथ-पैर तोड़ कर और जद्दोज़ुहद और अ़मल की ज़िंदगी को छोड़कर ग़ैबी मदद के इंतिज़ार करने वाले हो बैठो और फ़र्ज़ अदा करने को यह कहकर छोड़ दो कि तक्वीनी फ़ैसले के मुताबिक़ जो कुछ होना होगा, होकर रहेगा। असल में यह ख़्याल बुज़दिली और नामर्दी की पैदावार है, जो फ़र्ज़ की अदाएगी से रोकता है और तन-आसानी की दावत देकर ज़िल्लत के हवाले कर दिया जाता है। इसीलिए पैग़म्बर मुहम्मदी ﷺ शरीअ़त में जिहाद के मैदान से भाग जाना (शिर्क के बाद) सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है और सच भी यही है कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, जबकि इंसान अपनी जान व माल को उसके सुपुर्द कर देता है और सुपुर्दगी का नाम ही इस्लाम है, तो फिर उसको एक लम्हे के लिए भी यह हक़ नहीं रहता कि वह उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जान बचाने की फ़िक्र करे। बुज़दिली और नामर्दी इस्लाम के साथ नहीं हो सकती और हक़ के रास्ते में बहादुरी ही इस्लाम की इम्तियाज़ी शान है।

नतीजे

1. अगर सलीम फ़ितरत और सीधी तबियत हो तो इंसान की हिदायत

Copyright OfflineDeeniApp

और बसारत के लिए एक बार फ़िक्र व ज़ेहन की हक़ीक़तों की तरफ़ मुतवज्जह कर देना काफ़ी है, फिर उसकी इंसानियत अपने आप सीधे रास्ते पर चल पड़ती है और मंज़िले मक़्सूद का पता लगा लेती है, लेकिन अगर बाहरी अस्बाब की वजह से फ़ितरत में टेढ़ और तबियत में ख़राबी पैदा हो चुकी हो, तो उसको हमवार करने के लिए अगरचे बार-बार अल्लाह की पुकार उसको बेदार करती है, पर हर बार के बाद उसकी सलाहियतें और इस्तेदादी ताक़तें सो जातीं बल्कि और ज़्यादा ग़फ़लत में डूबकर रह जाती हैं, यहां तक कि ताक़त और सलाहियत ख़त्म हो जाती है और जब इस दर्जे पर पहुंच जातीं है, जिसका ज़िक्र क़ुरआन मजीद ने इस तरह किया है 'ख़-त-मल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावः' तो फिर उस पर अल्लाह का अ़ज़ाब नाज़िल होता है और वह हमेशा के लिए उसके ग़ज़ब और उसके फिटकार का निशाना बन जाता और इस एलान का हक़दार ठहरता है कि–

'उन पर ज़िल्लत और मस्कनत तारी हो गई और वे अल्लाह के ग़ज़ब के शिकार हो गए।'

चुनांचे बनी इसराईल की लगातार सरकशी और अल्लाह के फ़रमानों के मुक़ाबले में बराबर बग़ावत ने उनके टेढ़ेपन को उस दूसरे रास्ते पर डाल दिया था और हज़रत हिज़क़ील के दौर में भी वे उस बुरे रास्ते पर चलने में लगे हुए थे, पर उनमें एक छोटी-सी जमाअ़त पैग़म्बरों की रुश्द व हिदायत के सामने हमेशा सर झुकाती रही और लग़्ज़िशों और ख़ताकारियों के बावजूद उसने सीधे रास्ते को गिरते-पड़ते हासिल कर ही लिया।

2. जिहाद अगरचे क़ौम के कुछ लोगों के लिए मौत का पैग़ाम बनकर उनको दुन्यवी लज़्ज़त से महरूम कर देता है, लेकिन वह उम्मत और क़ौम की ज़िंदगी के लिए अक्सीर है और क़ौमी व मिल्ली निज़ाम के लिए हमेशा की बक़ा का कफ़ील और साथ ही मौत की गोद में जाने वाले लोगों के लिए फ़ानी और नापायदार हयात के बदले हमेशा की हयात अ़ता करने वाला है। यही मौत का वह फ़लसफ़ा है जिसने मुसलमानों की ज़िंदगी को दूसरी क़ौमों से इस क़दर मुम्ताज़ (सर्वोच्च) कर दिया था कि ख़ुदा का कलिमा बुलन्द करने वाला

Copyright OfflineDeeniApp

इंसान दुन्यवी ज़िंदगी से अलग शाद काम रहा तो ग़ाज़ी और मुजाहिद है और अगर मौत का शरबत हलक़ से उतार लिया तो शहीद, इसीलिए इर्शाद है–

तर्जुमा– *'जो अल्लाह की राह में क़त्ल हुए, उनको मुर्दा न कहो, बल्कि हक़ीक़ी हयात तो उन ही को हासिल है, लेकिन तुम इस सच्चाई को जानते नहीं हो।'* (अल-बक़रः 2 : 154)

और इसीलिए इस ज़िंदगी से जान चुराने वाले के लिए यह डरावा है–

तर्जुमा– *'और जो कोई उस दिन (जिहाद के दिन) काफ़िरों को पीठ देगा, सिवाए उस आदमी के जो लड़ाई की तरफ़ वापस आने वाला हो या अपनी जमाअ़त में पनाह तलाश करने वाला हो, वह अल्लाह के ग़ज़ब की तरफ़ लौटा और उसका ठिकाना दोज़ख़ है और वह बुरी जगह है।'* (अंफ़ाल : 16)

3. इस्लाम बहादुरी को अच्छा अख़्लाक़ कहता है और बुज़दिली को अख़्लाकी ख़राबी में गिनता है। एक हदीस में बुरे आमाल को गिनाते हुए नबी करीम ﷺ का यह इर्शाद नक़ल किया गया है कि मुसलमान होते हुए भी लग़्ज़िश और ख़ता की राह से इन आमाल का हो जाना मुम्किन है, लेकिन इस्लाम के साथ जुब्न (बुज़दिली) किसी हाल में भी जमा नहीं हो सकती। मगर याद रहे कि किसी पर बेजा क़ूवते आज़माइश का नाम बहादुरी नहीं है, बल्कि हक़ के मामले पर क़ायम हो जाना और बातिल से बेख़ौफ़ बन जाना बहादुरी है।

हज़रत इलयास عليه السلام

क़ुरआन और हज़रत इलयास

क़ुरआन में हज़रत इलयास का ज़िक्र दो जगह आया है, सूरः 'अल-अनआम' में और सूरः 'वस्साफ़्फ़ात' में सूरः अनआम में उनको सिर्फ़ नबियों की फ़ेहरिस्त में गिना गया है और 'वस्साफ़्फ़ात' में बेसत (नबी बनाए जाने) और क़ौम की हिदायत से मुताल्लिक़ हालात को मुख़्तसर तौर पर बयान किया है। बेसत के बारे में तफ़्सीर लिखने वालों और तारीख़ के माहिरों का ख़्याल है कि वह शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गये थे और बालबक का

Copyright OfflineDeeniApp

मशहूर शहर उनकी रिसालत और हिदायत का मर्कज़ था। हज़रत इलयास ﷺ की क़ौम मशहूर बुत बाल की परस्तार, तौहीद से बेज़ार, शिर्क में मुब्तला थी। तफ़्सीर की किताबों में नक़ल किया गया है कि बाल (बुत) सोने का था, बीस गज़ का क़द था, उसके चार मुंह थे और उसकी ख़िदमतगार चार सौ ख़ादिम मुक़र्रर थे। हज़रत इलयास की क़ौम दूसरे बुतों के साथ ख़ुसूसियत से उसकी पूजा करती थी, चुनांचे इस पहलू से क़ुरआन में इसका ज़िक्र आया है—

तर्जुमा—*'और बेशक इलयास रसूलों में से हैं और वह वक़्त ज़िक्र के क़ाबिल है, जब उसने अपनी क़ौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो? और सबसे बेहतर अल्लाह को छोड़े हुए हो? अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप-दादों का परवरदिगार है। पस उन्होंने इलयास को झुठलाया तो बेशुबहा वे लाए जाएंगे पकड़े हुए, अलावा उनके जो चुन लिए गए हैं और हमने बाद के लोगों में इलयास ﷺ का ज़िक्र बाक़ी रखा। इलयास रह० पर सलाम हो। बेशक हम नेकों को उसी तरह बदला दिया करते हैं, बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में से हैं।*

(अस्साफ़्फ़ात 123 : 128)

नसीहत

हज़रत इलयास और उनकी क़ौम का वाक़िया अगरचे क़ुरआन में बहुत थोड़े में ज़िक्र किया गया है, फिर भी उससे 'यह सबक़ मिलता है कि यहूदी और बनी इसराईल की ज़ेहनियत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी, जिसके करने का इनके भीतर लोभ न पाया जाता हो और कोई ख़ूबी ऐसी न थी जिसके ये दिलदादा हों। नबियों और रसूलों के एक लंबे और लगातार सिलसिले के बावजूद बुतपरस्ती, अ़नासिर परस्ती, तारापरस्ती, ग़रज़ ग़ैरअल्लाह की परस्तिश का कोई शोबा ऐसा न था, जिसके परस्तार ये न बने हों।

पर क़ुरआन मजीद में बनी इसराईल से मुताल्लिक़ इन वाक़ियों में जहां उनकी बद-बख़्ती और टेढ़ेपन पर रोशनी पड़ती है वहीं हमें यह नसीहत भी मिलती है कि अब जबकि नबियों और रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो चुका

Copyright OfflineDeeniApp

है और आख़िरी नबी के आ जाने और क़ुरआन के आख़िरी पैग़ाम ने इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया है तो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि बनी इसराईल की बिगड़ी फ़ितरत और तबाह ज़ेहनियत के ख़िलाफ़ अल्लाह के हुक्मों को मज़बूती से पकड़ें और उनमें टेढ़ और बिगाड़ से काम लेकर उनके ख़िलाफ़ चलने की जुर्रात न करें। गोया हमारा तरीक़ा सुपुर्द व तस्लीम हो, इंकार और रास्ते से हटना न हो कि 'इस्लाम' के सिर्फ़ यही मानी हैं–

नोट–इंजील यूहन्ना (John) में उनको एलिया (Eliah) नबी कहा गया है।

हज़रत अल-यसअ् عليه السلام

नबी बनाया जाना

तारीख़ की किताबों में नक़ल किया गया है कि हज़रत अल-यसअ عليه السلام हज़रत इलयास عليه السلام के चचेरे भाई हैं और उनके नायब और ख़लीफ़ा भी। वे उम्र की शुरूआत से ही हज़रत इलयास عليه السلام के साथ रहते थे और उनके इंतिक़ाल के बाद अल्लाह ने बनी इसराईल की रहनुमाई के लिए हज़रत अल-यसअ् को नबी बनाया और उन्होंने हज़रत इलयास عليه السلام ही के तरीक़े पर बनी इसराईल की रहनुमाई की।

क़ुरआन और हज़रत अल-यसअ्

क़ुरआन में सिर्फ़ दो जगह हज़रत अल-यसअ् का ज़िक्र आया है

1. **तर्जुमा**–*'...और इस्माईल और **अल-यसअ्** और यूनुस عليه السلام और लूत और इन सबको हमने दुनिया वालों पर फ़ज़ीलत अ़ता फ़रमाई।'*

2. **तर्जुमा**–*'...और ज़िक्र करो इस्माईल और अल-यसअ और ज़ुल किफ़्ल का और उनमें से हर एक नेक इंसानों में से थे।'* (स्वाद : 48)

नसीहत

बनी इसराईल के कुछ नबी और पैग़म्बर जलीलुल क़द्र नबियों की

Copyright OfflineDeeniApp

सोहबत और उनकी ख़ुलूस के साथ पैरवी करने में ख़िलाफ़त के बाद नुबूवत के मंसब पर बिठाए गए, इससे यह ज़ाहिर होता है कि नेकों की सोहबत ख़ैर (भलाई) के हासिल करने के लिए अचूक तरीक़ा है–

यक ज़माना सोहबते बा - औलिया
बेहतर अज़ सद साला ताअ़त बे रिया।

हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम

हज़रत शमूईल के क़िस्से में हज़रत तालूत, जालूत और हज़रत दाऊद का भी ज़िक्र आता है, इसलिए शुरू ही में उन शख़्सियतों का थोड़े में बयान किया जाता है।

क़ुरआन पाक और हज़रत शमूईल

क़ुरआन में हज़रत शमूईल का नाम नहीं है, बल्कि उन आयतों में जिस नबी का ज़िक्र है, वह यही शमूईल हैं–

तर्जुमा–*'क्या तुमको बनी इसराईल की उस जमाअ़त का हाल मालूम नहीं जिसने मूसा के बाद अपने ज़माने के नबी से दरख़्वास्त की थी कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, हमारे लिए एक हुक्मरां मुक़र्रर कर दीजिए।'* (अल-बक़रः 246)

हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम (Saul)

ऊपर की आयत में की गई दरख़्वास्त के मुताबिक़ अल्लाह तआ़ला ने जिसे हुक्मरां मुक़र्रर किया, वह हज़रत तालूत हैं–

तर्जुमा–*फिर ऐसा हुआ कि उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को मुक़र्रर किया है।* (अल-बक़रः 247)

जालूत (Goliath)

दुश्मन की फ़ौज का सरदार जालूत नामी देव हैकल शख़्स था। जालूत का नाम सूरः बक़रः आयत न. 249, 250-51 में आया है।

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत दाऊद (David)

दुश्मन की फ़ौज के मुक़ाबले में हज़रत तालूत की रहनुमाई में बनी इसराईल में से जिस आदमी ने बहादुरी के जौहर दिखाए और जालूत को क़त्ल किया, वह हज़रत दाऊद हैं। (उनका तफ़्सील से ज़िक्र अलग किया गया है, वहां देखिए)

हज़रत शमूईल का नबी बनाया जाना

हज़रत यूशेअ् के ज़माने में बनी इसराईल जब फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाख़िल हो गए तो वह आख़िर उम्र तक उनकी निगरानी और इस्लाह में लगे रहे और उनके मामले और आपसी झगड़ों के फ़ैसलों के लिए क़ाज़ियों को मुक़र्रर किया। काफ़ी अ़र्से तक यह निज़ाम चला। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि उनमें न कोई नबी या रसूल था और न कोई पूरी क़ौम का हुक्मरां था, इसीलिए पड़ोसी क़ौमें अक्सर उन पर हमला करती रहती थीं और बनी इसराईल उनका निशाना बनते रहते थे। ऐसे ही एक हमले में बनी इसराईल को हवाली ग़ज़्ज़ा की फ़लस्तीनी क़ौम अशदूद के हाथों हारने की वजह से मुतबर्रक संदूक़, ताबूते सकीना से हाथ धोना पड़ा। इस संदूक़ में तौरात का असल नुस्ख़ा और हज़रत मूसा और हारून के तबर्रुक, सब मौजूद थे। इन हालात में अल्लाह ने क़ाज़ियों में से एक क़ाज़ी शमूईल को नबी का मंसब देकर बनी इसराईल की रुश्द व हिदायत पर लगाया। तारीख़ के माहिरों के मुताबिक़ हज़रत शमूईल हज़रत हारून की नस्ल से हैं। क़ुरआन की सूरः बक़रः के 32वें रुकूअ् में जिस नबी का ज़िक्र किया गया है, वे यही हज़रत शमूईल हैं–

हज़रत तालूत का मुक़र्रर किया जाना

हज़रत शमूईल के ज़माने में भी बनी इसराईल की मुख़ालिफ़ ताक़तों की शरारतें जारी रहीं तो बनी इसराईल ने हज़रत शमूईल से दरख़्वास्त की कि वे हम पर एक बादशाह (हाकिम) मुक़र्रर कर दें जिसकी रहनुमाई में हम ज़ालिमों

Copyright OfflineDeeniApp

का मुक़ाबला करें और अल्लाह के रास्ते में किए जिहाद के ज़रिए दुश्मनों की लाई हुई मुसीबत का ख़ात्मा कर दें। क़ुरआन पाक में आता है—

तर्जुमा—*'क्या तुम्हें बनी इसराईल की उस जमाअ़त का हाल मालूम नहीं जिसने मूसा के बाद अपने ज़माने के नबी से दरख़्वास्त की कि हम अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, हमारे लिए एक हुक्मरां मुक़र्रर कर दीजिए।'*

(अल-बक़रः : 246)

बनी इसराईल की इस मांग पर अल्लाह के नबी (हज़रत शमूईल) ने फ़रमाया—

तर्जुमा—*'कुछ नामुम्किन नहीं है कि अगर तुमको लड़ाई का हुक्म दिया गया तो तुम लड़ने से इंकार कर दो।'*

(अल-बक़रः : 246)

नबी के इस जवाब पर सरदारों ने कहा—

तर्जुमा—*'ऐसा क्योंकर हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में न लड़ें, जबकि हम अपने घरों से निकाले जा चुके हैं और अपनी औलादों से अलग किए जा चुके हैं।'*

(अल-बक़रः : 246)

इस तरह हुज्जत पूरी हो जाने के बाद हज़रत शमूईल ने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया और अल्लाह ने तालूत को जो इल्मी और जिस्मानी दोनों लिहाज़ से बनी इसराईल में नुमायां थे, उन पर बादशाह मुक़र्रर कर दिया। बनी इसराईल को यह तक़र्रुरी पसन्द न आई और बातें बनाने लगे।

तारीख़ के माहिरों के ख़्याल में इस नापसंदीदगी की एक वजह यह थी कि एक मुद्दत से नुबूवत का सिलसिला हज़रत याक़ूब के एक बेटे लावी की नस्ल में और हुकूमत की सरदारी का सिलसिला यहूदा के ख़ानदान में चला आता था। अब यह शरफ़ बिन यमीन यानी हज़रत याक़ूब के एक और बेटे के ख़ानदान में मुंतक़िल होता नज़र आया तो इन सरदारों को जलन हुई और वे इसको सह न सके। क़ुरआन पाक में आता है—

तर्जुमा—*'फिर ऐसा हुआ कि उनके नबी ने कहा अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को मुक़र्रर कर दिया है। जब उन्होंने यह बात सुनी तो (इताअ़त व फ़रमांबरदारी के बजाए) कहने लगे, वह हम पर कैसे हुक्मरां बन सकता है? जब कि हम उससे कहीं ज़्यादा हुक्मरां बनने के हक़दार हैं। इसके अलावा*

Copyright OfflineDeeniApp

उसको माल व दौलत की वुसअत भी हासिल नहीं है। नबी ने फ़रमाया (हुक्मरां का जो मेयार तुमने बना लिया है, वह ग़लत है) बेशक अल्लाह तआ़ला ने हुक्मरानी की क़ाबिलियत व इस्तेदाद में तुम पर उसको बेहतर और बरतर बनाया है और इल्म की फ़रावानी और जिस्म की ताक़त दोनों में उसको वुसअत फ़रमाई है। (और हुक्मरानी व क़ियादत तुम्हारे देने से नहीं मिलती बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है, उसको अस्ल समझ कर) अपनी ज़मीन की हुक्मरानी बख़्श देता है और वह अपने तसर्रुफ़ और क़ुदरत में बड़ी वुसअत रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। (अल-बक़रः : 247)

ताबूते सकीना

बनी इसराईल की रद्दो व कद्द ने यहां तक तूल खींचा कि उन्होंने शमूईल से मांग की कि अगर तालूत की तक़र्ररी अल्लाह की तरफ़ से है तो उसके लिए अल्लाह का कोई निशान दिखला दे और इस पर उनके नबी (हज़रत शमूईल) ने फ़रमाया—

तर्जुमा—*'तालूत में हुकूमत की अह्लियत की निशानी यह है कि (जो मुक़द्दस) ताबूत (तुम खो चुके हो और दुश्मनों के क़ब्ज़े में चला गया है) तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और फ़रिश्ते उसको उठा लाएंगे।'* (अल-बक़रः 248)

हज़रत शमूईल की यह बशारत सामने आई और बनी इसराईल के सामने अल्लाह के फ़रिश्तों ने ताबूते सकीना को पेश कर दिया। अब बनी इसराईल को इंकार करने के लिए कोई उज़्र बाक़ी न रहा और तालूत को बनी इसराईल का वादशाह मान लिया गया।

तालूत और जालूत की लड़ाई और बनी इसराईल का इम्तिहान

अव तालूत ने बनी इसराईल में आम एलान कर दिया कि वे दुश्मनों (फ़लस्तीनियों) के मुक़ाबले में निकलें, इसलिए जब बनी इसराईल तालूत की रहनुमाई में एक नदी के किनारे पहुंचे तो एक और मरहला पेश आया—

तर्जुमा—जब तालूत लश्करियों को लेकर रवाना हुआ, तो उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह तुमको नहर के पानी से आज़माएगा। अब जो आदमी उससे

Copyright OfflineDeenIApp

सराब होकर पिएगा, वह मेरी जमाअ़त में नहीं रहेगा, और जो एक चुल्लू पानी के सिवा उससे सैराब होकर नहीं पिएगा वह मेरी जमाअ़त में रहेगा फिर थोड़े से लोगों के अलावा सबने उस नहर से सेराब होकर पी लिया, फिर जब तालूत और उसके साथ वे लोग जो (अल्लाह के हुक्म पर सच्चा) ईमान रखते थे, नदी के पार उतरे तो उन लोगों ने (जिन्होंने तालूत के हुक्म की नाफ़रमानी की थी) कहा, हममें यह ताक़त नहीं कि आज जालूत से और उसकी फ़ौज़ से मुक़ाबला कर सकें। लेकिन वे लोग जो समझते थे उन्हें एक दिन अल्लाह के हुजूर हाज़िर होना है, पुकार उठे (तुम दुश्मनों की ज़्यादती और अपनी कमी से क्यों परेशान हुए जाते हो) कितनी ही छोटी जमाअ़तें हैं जो बड़ी जमाअ़तों पर अल्लाह के हुक्म से ग़ालिब आ गईं और अल्लाह सब करने वालों का साथी है।'

(अल-बक़रः 249)

थोड़े में यह कि नतीजा यह निकला कि जब लश्कर नदी के पार हो गया, तो जिन लोगों ने ख़िलाफ़वर्ज़ी करके पानी पी लिया था, वे कहने लगे, हममें जालूत जैसे क़वी हैकल और उसकी जमाअ़त से लड़ने की ताक़त नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ज़ब्ते नफ़्स और अमीर की इताअ़त का सबूत दिया था, उन्होंने बे-ख़ौफ़ होकर यह कहा कि हम ज़रूर दुश्मन का मुक़ाबला करेंगे, इसलिए अल्लाह की क़ुदरत का यह मुज़ाहरा अक्सर होता रहता है कि छोटी जमाअ़तें बड़ी जमाअ़तों पर ग़ालिब आ जाती हैं, अलबत्ता अल्लाह पर ईमान और इख़्लास व सबात शर्त है। चुनांचे मुजाहिदों ने अल्लाह की दरगाह में इख़्लास व गिड़गिड़ाहट के साथ दुआ की–

तर्जुमा– *'और जब वे (मुजाहिद) जालूत और उसकी फ़ौज के मुक़ाबले में आ गए तो कहने लगे, ऐ परवरदिगार! हमको सब्र दे और हमारे क़दम जमाए रख और काफ़िर क़ौम पर हम को फ़त्ह और मदद इनायत फ़रमा।'*

(अल-बक़रः 250)

हज़रत दाऊद की बहादुरी

बनी इसराईल (मुजाहिदों) का लश्कर जालूत के मुक़ाबले में आ खड़ा हुआ। उस लश्कर में एक नवजवान भी था, यह हज़रत दाऊद थे। उन्होंने

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम

हज़रत शमूईल के हालात में हज़रत दाऊद का ज़िक्र हज़रत तालूत और जालूत की लड़ाई के सिलसिले में आ चुका है। यही नवजवान आगे चलकर अल्लाह के बरगज़ीदा और पैग़म्बर बने और बनी इसराईल की रुश्द व हिदायत के लिए रसूल और उनके इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त के लिए ख़लीफ़ा मुक़र्रर हुए। तालूत की मौजूदगी में ही या उनकी मौत के बाद हुकूमत की बागडोर हज़रत दाऊद के हाथ में आ गई।

हज़रत दाऊद और ख़लीफ़ा का लक़ब

बनी इसराईल में हज़रत दाऊद पहले शख़्स हैं जो अल्लाह के पैग़म्बर और रसूल भी थे और ताज व तख़्त के मालिक भी, चुनांचे क़ुरआन मजीद ने हज़रत दाऊद के इस शरफ़ व इम्तियाज़ का इस तरह ज़िक्र किया है—

1. **तर्जुमा**—*'अल्लाह ने उनको हुकूमत भी अ़ता की और हिक्मत (नुबूवत) भी और अपनी मर्ज़ी से जो चाहा, सिखाया।'* (अल-बक़रः 251)

2. **तर्जुमा**—*'ऐ दाऊद! बेशक हमने तुमको ज़मीन में अपना नायब बनाया।'* (स्वाद : 26)

3. **तर्जुमा**—*'और हमने हर एक (दाऊद व सुलैमान) को हुकूमत बख़्शी और इल्म अ़ता किया।'* (अल-अंबिया : 79)

नबियों और रसूलों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ़ हज़रत दाऊद ही वह पैग़म्बर हैं जिनको क़ुरआन मजीद ने ख़लीफ़ा के लक़ब से पुकारा है। यह लक़ब हज़रत दाऊद के अल्लाह के इल्म और क़ुदरत वाली सिफ़तों का पूरा मज़्हर होना साबित करता है। ज़ाहिर है कि इसके लिए सच्ची शरीअ़त की इस्तिलाह में ख़लीफ़ा से बेहतर और कोई लफ़्ज़ नहीं हो सकता था। ख़ुलासा यह कि हज़रत दाऊद ने बनी इसराईल की रुश्द व हिदायत की ख़िदमत भी अंजाम दी और उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की निगरानी भी की। उनकी ख़ुसूसियतें ये थीं—

Copyright OfflineDeeniApp

1. वह तक़रीर व ख़िताबत के फ़न में कमाल रखते थे और इस तरह बोलते थे कि लफ़्ज़-लफ़्ज़ और जुम्ला-जुम्ला एक-एक करके समझ में आ जाता था, और इससे बात वाज़ेह और कलाम ज़ोरदार हो जाता था।

2. उनका हुक्म और फ़ैसला हक़ व बातिल के दर्मियान क़ौले फ़ैसल की हैसियत रखता था।

ज़बूर

कुरआन में आता है–

1. तर्जुमा–*'और हमने दाऊद को ज़बूर अ़ता की।* (अन-निसा : 163)

2. तर्जुमा–*'और बेशक कुछ नबियों को कुछ पर फ़ज़ीलत दी है और हमने दाऊद को ज़बूर बख़्शी।'* (इसरा : 55)

अल्लाह तआ़ला ने हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाज़िल फ़रमाई जो ऐसे क़सीदों और सजे-सजाए कलिमों का मज्मूआ़ था, जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और इंसान के आ़जिज़ बन्दा होने का एतराफ़ और नसीहतों और हिक्मतों के मज़्मून थे, लेकिन बनी इसराईल ने जान-बूझकर ज़बूर को भी तौरात और इंजील की तरह बदल डाला, जैसा कि कुरआन मजीद में ज़िक्र किया गया है–

तर्जुमा–*'कुछ यहूदी वे हैं जो (तौरात, ज़बूर व इंजील) के कलिमों को उनकी असली हक़ीक़त से बदलते और फेरते हैं।'* (अन-निसा : 46)

हज़रत दाऊद ﷺ की ख़ुसूसियतें

यों तो अल्लाह तआ़ला ने सभी पैग़म्बरों को ख़ुसूसी शरफ़ व इम्तियाज़ से नवाज़ा है और अपने नबियों और रसूलों को बेशुमार इनाम व इक्राम बख़्शे हैं, फिर भी शरफ़ व ख़ुसूसियत के दर्जों के एतबार से उनके दर्मियान भी दर्जों का फ़र्क़ रखा है और यही इम्तियाज़ी दर्जे और मर्तबे उनको एक दूसरे से मुम्ताज़ करते हैं

Copyright OfflineDeeniApp

तर्जुमा– 'ये रसूल! हमने इनके बाज़ (कुछ) को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है।'

(अल-बक़रः 253)

चुनांचे हज़रत दाऊद ﷺ के बारे में भी क़ुरआन ने कुछ ख़ुसूसियतों और इम्तियाज़ों का ज़िक्र किया है और वे यह हैं–

पहाड़ों और चिड़ियों पर क़ब्ज़ा और उनकी तस्बीह

हज़रत दाऊद अल्लाह तआ़ला की तस्बीह व तक़्दीस में बहुत ज़्यादा लगे रहते थे और इतनी अच्छी आवाज़ वाले थे कि जब ज़बूर पढ़ते या अल्लाह की तस्बीह व तह्लील में लगे होते तो उनके घुमा देने वाले नग़्मों से न सिर्फ़ इंसान बल्कि चरिंद व परिंद वज्द में आ जाते और आपके आस-पास जमा होकर अल्लाह की हम्द के तराने गाते और सुरीली और वज्द में ला देने वाली आवाज़ों से तक़्दीस व तस्बीह में हज़रत दाऊद ﷺ का साथ देते और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि पहाड़ भी अल्लाह की हम्द में गूंज उठते, चुनांचे दाऊद की इस फ़ज़ीलत का क़ुरआन ने सूरः अंबिया, सबा और साद में खोलकर ज़िक्र किया है–

तर्जुमा–*'और हमने पहाड़ों और परिंदों को ताबे (आधीन) कर दिया है कि वे दाऊद के साथ तस्बीह करते हैं और हम ही में ऐसा करने की क़ुदरत है।'*

(अंबिया : 79)

तर्जुमा–*'और बेशक हमने दाऊद को अपनी ओर से फ़ज़ीलत बख़्शी है (वह यह कि हमने हुक्म दिया) ऐ पहाड़ो और परिंदो! तुम दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह और पाकी बयान करो।'*

तर्जुमा–*'बेशक हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को सधा दिया कि उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते हैं और परिंदों के परे के परे जमा होते और सब मिलकर ख़ुदा की हम्द करते हैं।'* (साद : 18-19)

कुछ तफ़्सीर लिखने वालों ने इन आयतों की तफ़्सीर में कहा है कि चरिंद और परिंद और पहाड़ों की तस्बीह ज़ुबाने हाल से थी, गोया कायनात

Copyright OfflineDeeniApp

की हर चीज़ का वजूद और उसकी तर्कीब बल्कि उसकी हक़ीक़त ज़र्रा-ज़र्रा पैदा करने वाले अल्लाह की गवाही देती है और यही उसकी तस्बीह व तस्मीद है।

इस ख़्याल के ख़िलाफ़ तस्क़ीक़ करने वालों की राय यह है कि जानवर, पेड़-पौधे और दरिया पहाड़ वग़ैरह हक़ीक़त में तस्बीह करते हैं इसलिए कुरआन मजीद ने खोलकर इसका एलान किया है–

'सातों आसमान और ज़मीन और जो इनमें हैं, उसी की तस्बीह करते हैं और (मख़्लूक़ में से) कोई चीज़ नहीं है, मगर उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वह बुर्दबार और माफ़ करने वाला है।' (बनी इसराईल : 44)

इस जगह दो बातें साफ़-साफ़ नज़र आती हैं एक यह कि कायनात की हर चीज़ तस्बीह करती है, दूसरे यह कि जिन्न व इंसान उनकी तस्बीह समझने की समझ नहीं रखते, इसलिए इन चीज़ों में तस्बीह का हक़ीक़ी वजूद मौजूद हो और फिर दूसरे जुम्ले का इतलाक़ किया जाए कि जिन्न व इंसान तस्बीह की समझ से मजबूर हैं, तो किसी क़िस्म का शक नहीं रहता।

ग़रज़ क़ुरआन मजीद का यह इर्शाद है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की हम्द व सना करती है, अपने हक़ीक़ी मानी के एतबार से है अलबत्ता उनकी यह तस्बीह व तस्मीद इंसानों की आम समझ से ऊपर रखी गयी है। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी और मशीयत के मातहत कभी-कभी नबियों और रसूलों को इसकी समझ दे दी जाती है जो उनके लिए निशान (मोजज़े) के तौर पर होता है और यह मोजज़ा हज़रत दाऊद की ख़ास बातों में से एक ख़ास बात थी।

हज़रत दाऊद ﷺ के हाथ में लोहे का नर्म होना

क़ुरआन ने इस वाक़िए को इस तरह बयान किया है–

तर्जुमा–*'और हमने उस (दाऊद) के लिए लोहा नर्म कर दिया कि बना*

Copyright OfflineDeeniApp

ज़िरहें बड़ी और अन्दाज़े से जोड़ कड़ियां।' (सबा : 101-11)

तर्जुमा–*और हमने उस (दाऊद) को सिखाया एक क़िस्म का लिबास बनाना, ताकि तुमको लड़ाई के मौक़े पर उससे बचाव हासिल हो।*

(अंबिया : 80)

हज़रत दाऊद पहले आदमी हैं जिनको अल्लाह ने यह फ़ज़ीलत बख़्शी कि उन्होंने वह्य की तालीम के ज़रिए ऐसी ज़िरहें ईजाद कीं जो नाज़ुक और बारीक ज़ंजीरों के हलक़ों (कड़ियों) से बनाई जाती थीं और हल्की और नर्म होने की वजह से जिनको जंग के मैदान का सिपाही पहन कर आसानी से चल-फिर भी सकता था और दुश्मन से महफ़ूज़ रहने के लिए भी बहुत उम्दा साबित होती थीं।

परिंदों से बातचीत करना

हज़रत दाऊद ﷺ और उनके साहबज़ादे सुलैमान ﷺ को अल्लाह तआ़ला की ओर से एक शरफ़ यह हासिल हुआ था कि दोनों बुज़ुर्गों को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया था, इसकी तफ़्सीली बहस हज़रत सुलैमान ﷺ के वाक़िए में आएगी।

ज़बूर की तिलावत

बुख़ारी किताबुल अंबिया में एक रिवायत नक़ल की गई है कि हज़रत दाऊद पूरी ज़बूर को इतने मुख़्तसर वक़्त में तिलावत कर लिया करते थे कि जब घोड़े पर ज़ीन कसना शुरू करते तो तिलावत भी शुरू करते और जब कस कर फ़ारिग़ होते तो पूरी ज़बूर ख़त्म कर चुके होते। हज़रत दाऊद ﷺ के लफ़्ज़ों के अदा करने में इतनी तेज़ी की ताक़त अ़ता कर दी गई थी कि दूसरा आदमी जिस कलाम को घंटों में अदा करे, हज़रत दाऊद उसको रिवायत के मुताबिक़ मुख़्तसर वक़्त में अदा करने पर क़ुदरत रखते थे।

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ दो अहम वाक़िए

खेती का मामला

कुरआन में इर्शाद है—

तर्जुमा—*'और दाऊद और सुलैमान (का वाक़िया) जबकि वे एक खेती के मामले का फ़ैसला कर रहे थे, जिसको एक फ़रीक़ की बकरियों के रेवड़ ने ख़राब कर डाला था और हम अपने फ़ैसले के वक़्त (अपने फैले हुए इल्म के एतबार से) मौजूद थे, फिर उसके (बेहतरीन) फ़ैसले की समझ सुलैमान को अ़ता की और दाऊद व सुलैमान को हमने इल्म व हिक्मत अ़ता किए।'* (अंबिया : 78-79)

इस आयत की तफ़्सीर में जम्हूर तफ़्सीर लिखने वालों ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह वाक़िया नक़्ल किया है कि एक बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दो आदमी मुक़दमा लेकर हाज़िर हुए। मुद्दई ने दावे की रिपोर्ट यह दी कि मुद्दआ़ अ़लैहि की बकरियों के गल्ले ने उसकी तमाम खेती तबाह व बर्बाद कर डाली और उसको चर कर रौंद डाला।

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व हिक्मत के पेशेनज़र यह फ़ैसला दिया कि मुद्दई की खेती का नुक़्सान चूंकि मुद्दआ़ अ़लैहि के रेवड़ की क़ीमत के क़रीब बराबर है, इसलिए यह पूरा रेवड़ मुद्दई को तावान में दे दिया जाए। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की उम्र अभी ग्यारह साल थी, वह वालिद साहब के पास बैठे थे, कहने लगे कि अगरचे आपका यह फ़ैसला सही है, मगर इससे भी ज़्यादा मुनासिब शक्ल यह है कि मुद्दआ अ़लैहि का तमाम रेवड़ मुद्दई के सुपुर्द कर दिया जाए कि वह उसके दूध और उसके ऊन से फ़ायदा उठाए और मुद्दआ अ़लैहि से कहा जाए कि वह इस दर्मियान में मुद्दई के खेत की ख़िदमत अंजाम दे और खेत की पैदावार अपनी असली हालत पर वापस आ जाए तो खेत मुद्दई के सुपुर्द कर दे और अपना रेवड़ वापस ले ले। हज़रत दाऊद को

Copyright OfflineDeeniApp

बेटे का यह फ़ैसला बहुत पसन्द आया।

क़ुरआन ने भी इस तरफ़ इशारा किया है कि इस सिलसिले में सुलैमान ﷺ का फ़ैसला ज़्यादा मुनासिब रहा और इस ख़ास वाक़िए में दाऊद ﷺ की समझ पर सुलैमान ﷺ की समझ भारी पड़ी। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में हज़रत दाऊद ﷺ के फ़ैसले को क़ियासी कहेंगे और हज़रत सुलैमान ﷺ के फ़ैसले को इस्तिहसानी मगर इस क़िस्म की जुज़ई (आंशिक) फ़ज़ीलत के यह मानी नहीं हैं कि कुल मिलाकर फ़ज़ीलत के मामले में हज़रत सुलैमान ﷺ अपने वालिद हज़रत दाऊद ﷺ पर फ़ज़ीलत रखते थे, इसलिए कि अल्लाह तआ़ला ने फ़ज़ीलतों के मज्मूए के एतबार से हज़रत दाऊद की जो तारीफ़ की है, वह हज़रत सुलैमान ﷺ के हिस्से में नहीं आई।

दुंबियों का मामला

क़ुरआन की सूरः साद में दाऊद ﷺ से मुताल्लिक़ इस तरह ज़िक्र किया गया है—

तर्जुमा—*'और क्या तुझको उन दावे वालों की ख़बर पहुंची है, जब वे दीवार कूद कर इबादतख़ाने में घुस आए दाऊद के पास, तो दाऊद उनसे घबराया। वे बोले, घबराओ नहीं। हम दो झगड़ रहे हैं, ज़्यादती की है एक ने दूसरे पर हमारे दर्मियान, इंसाफ़ के मुताबिक़ फ़ैसला कर दे और टालने वाली बात न करना और हमको सीधी राह बता। यह मेरा भाई है, इसके पास 99 दुंबियां हैं और मेरे पास एक दुंबी है। पस यह कहता है कि वह भी मेरे हवाले कर दे और मुझसे बात करने में भी तेज़ है। दाऊद ने कहा, वह अपनी दुंबियों में तेरी एक दुंबी को मिलाने के लिए जो सवाल करता है, ज़ुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़ुल्म करते हैं, अलावा उसके कि जो ईमान लाए और अ़मल किए, वे नेक हैं और ऐसे नेक बहुत कम हैं और दाऊद के ख़्याल में गुज़रा कि हमने उसका इम्तिहान लिया, पस फिर मग़्फ़िरत चाहने लगा वह अपने रब से और गिर पड़ा झुकाकर और रुजू हुआ (अल्लाह के सामने) फिर हमने उसको वह काम माफ़ कर दिया और उसके लिए हमारे पास (इ़ज़्ज़त का) मर्तबा है और अच्छा ठिकाना। ऐ दाऊद! हमने तुझको मुल्क में*

Copyright OfflineDeeniApp

(अपना) नायब मुक़र्रर किया है, सो तू लोगों में इंसाफ़ के साथ हुकूमत कर और नफ़्स की ख़्वाहिश पर न चल कि वह तुझको अल्लाह की राह से बिचला दे। जो लोग अल्लाह की राह से फिसलते हैं, उनके लिए है सख़्त अ़ज़ाब।'

(पृ. 21-26)

इन आयतों में हज़रत दाऊद के एक इम्तिहान का ज़िक्र है जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उनको पेश आया। हज़रत दाऊद ﷺ ने पहले उसको नहीं समझा, मगर यकायक दिल में यह ख़्याल आया कि यह अल्लाह की तरफ़ से एक आज़माइश है, इसलिए फ़ौरन ही अल्लाह के बरगज़ीदा पैग़म्बरों की तरह अल्लाह तआ़ला की ओर रुजू किया और दरगाहे इलाही में उनकी तौबा क़ुबूल होकर उनकी शान में बड़ाई और अल्लाह से क़रीब होने की वजह बना।

ऊपर वाली आयत की तफ़्सीर

मामला तो इस क़दर था, जितना बयान हुआ, लेकिन क़ुरआन ने इस आज़माइश की कोई तफ़्सील नहीं बयान की। इस सूरतेहाल में कुछ तफ़्सीर लिखने वालों ने इसराईली ख़ुराफ़ात का सहारा लेकर ऐसी तफ़्सीर कर डाली जो किसी तरह क़ुबूल करने के क़ाबिल नहीं हो सकती। (हज़रत मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान साहब स्योहारवी उन तमाम तफ़्सीरों पर तफ़्सीरी बहस के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे, वह नीचे दिया जाता है।)

हमारे नज़दीक आयतों की बेहतरीन तौजीह व तफ़्सीर वह है जो नज़्मे कलाम, आयतों के रब्त और आगे-पीछे में मुताबक़त के लिहाज़ से भी सही है और जिसकी बुनियाद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ﷺ के एक 'असर' पर क़ायम है, जो नीचे दिया जाता है—

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ﷺ से नक़्ल किया गया है कि हज़रत दाऊद ने कामों की तक़्सीम को सामने रखकर अपने मामूलात को चार दिनों पर इस तरह बांट दिया था कि एक दिन ख़ालिस अल्लाह की इबादत के लिए, एक दिन मुक़दमों के फ़ैसले के लिए, एक दिन ख़ालिस ज़ात के लिए, एक दिन बनी इसराईल की रुश्द व हिदायत के लिए आम था।

Copyright OfflineDeeniApp

लाकन ादना का तक़्साम की इस तफ़्सील में उस हिस्से को ज़्यादा अहमियत हासिल थी जो अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास था, इसलिए कि यों तो हज़रत दाऊद ﷺ का कोई दिन भी अल्लाह की इबादत से ख़ाली न था, पर एक दिन को उन्होंने सिर्फ़ उसी के लिए ख़ास कर लिया था और उसमें कोई दूसरा काम अंजाम न देते थे। चुनांचे क़ुरआन मजीद उनकी इस ख़ुसूसियत को *'इन्नहू अव्वाब'* कहकर नुमायां करता है।

साथ ही क़ुरआन मजीद और बनी इसराईल की तारीख़ से साबित है कि हज़रत दाऊद हुजरा बन्द करके इबादत और तस्बीह व तह्मीद किया करते थे, ताकि कोई ख़लल अन्दाज़ न हो सके, गोया दिनों की तक़्सीम में सिर्फ़ एक दिन ऐसा था जिसमें हज़रत दाऊद तक किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल था और बनी इसराईल से उसका ताल्लुक़ कट जाता था और बाक़ी दिनों में अगर कोई ख़ास हंगामी शक्ल पेश आ जाए तो हज़रत दाऊद के साथ वास्ता बाक़ी रहता था और वे अपने मामलों को उनकी तरफ़ रुजू कर सकते थे।

इसलिए हज़रत दाऊद ﷺ के दिनों की यह तक़्सीम, अगरचे ज़िंदगी के नज़्म और तक़्सीमे अ़मल के लिहाज़ से हर तरह तारीफ़ के क़ाबिल थी, लेकिन उसमें से एक दिन को अल्लाह की इबादत के लिए इस तरह ख़ास कर लेना कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह की मख़्लूक़ से टूट जाए, 'नुबूवत के मंसब' और 'ख़िलाफ़त के मंसब' के ख़िलाफ़ था और हज़रत दाऊद ﷺ को अल्लाह तआ़ला ने एक गोशा-नशीन इबादतगुज़ार और ज़ाहिद की हैसियत से नहीं नवाज़ा था, बल्कि उनको नुबूवत और ख़िलाफ़त बख़्श कर मख़्लूक़ की दीनी व दुन्यवी हर क़िस्म की ख़िदमत व हिदायत के लिए भेजा था और इस तरह उनकी मुबारक ज़िंदगी का बड़ा कारनामा 'ख़ल्क़ की हिदायत' और 'ख़ल्क़ की ख़िदमत' था, न कि 'इबादत की कसरत', चुनांचे हज़रत दाऊद ﷺ की इस रविश को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने उनको इस तरह आज़माइश (फ़ित्ने) में डाल दिया कि दो आदमी जिनके दर्मियान एक ख़ास झगड़ा था, इबादत के ख़ास दिन में हुजरे की दीवार फांद कर अन्दर दाख़िल हो गए। हज़रत दाऊद ﷺ ने अचानक आदत के ख़िलाफ़ इस तरह दो इंसान को मौजूद पाया तो बशर होने के तक़ाज़े के तौर पर घबरा गए। दोनों ने सूरतेहाल का अन्दाज़ा करते हुए अर्ज़ किया कि आप डरें नहीं। हमारे इस तरह

Copyright OfflineDeeniApp

अचानक दाख़िल होने की वजह यह झगड़ा है और हम इसका फ़ैसला चाहते हैं। तब हज़रत दाऊद ने वाक़िए को सुना और ऊपर वाली नसीहत फ़रमाई।

क़ुरआन ने इस जगह झगड़े के आम पहलुओं को नज़रअन्दाज़ कर दिया, क्योंकि वे हर समझदार के दिमाग़ में अपने आप आ जाते हैं कि दाऊद का फ़ैसला बेशक हक़ के मुताबिक़ ही रहा होगा और उसने सिर्फ़ उसी पहलू को नुमायां किया, जिसका ताल्लुक़ 'रुश्द व हिदायत' से था, यानी ज़बरदस्तों का कमज़ोरों के साथ ज़ुल्म करना।'

ग़रज़ दोनों फ़रीक़ों का फ़ैसला करने के बाद हज़रत दाऊद फ़ौरन ख़बरदार हो गए कि मुझको अल्लाह तआ़ला ने इस आज़माइश में किसलिए डाला है और वे हक़ीक़ते हाल को समझ कर अल्लाह की दरगाह में सज्दे में गिर गए, तौबा की और अल्लाह ने तौबा को क़ुबूल फ़रमा कर उनके बड़प्पन को कई गुना बढ़ा दिया और फिर यह नसीहत फ़रमाई कि ऐ दाऊद! हमने तुमको ज़मीन में अपना ख़लीफ़ा बनाकर भेजा है। इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के नायब होने का पूरा-पूरा हक़ अदा करो और यह ख़्याल रखो कि इस राह में अ़द्ल व इंसाफ़ बुनियादी बात है और सीधे रास्ते से हटकर कभी इंतिहाओं के रास्ते को अख़्तियार न करो।

मुबारक उम्र और कफ़न-दफ़न

हज़रत दाऊद ﷺ ने एक लम्बी उम्र पाई और एक रिवायत के एतबार से सत्तर साल हुकूमत की। तौरात के मुताबिक़ वह 'सैहून' (Sidon) में दफ़न किए गए।

क्या सबक़ मिला?

1. अल्लाह तआ़ला जब किसी हस्ती को अ़ज़्म वाला बनाता है और उसकी शख़्सियत को ख़ास ख़ूबियों से नवाज़ना चाहता है, तो उसकी फ़ितरी जौहरों को शुरू ही से चमका देता है—

बाला-ए-सरश ज़ होशमन्दी　　मी ताफ़्त सितारा-ए-बुलन्दी

(सादी रह०)

Copyright OfflineDeeniApp

2. कभी-कभी हम एक चीज़ को मामूली समझ लेते हैं, लेकिन हालात व वाक़ियात बाद में ज़ाहिर करते हैं कि 'बहुत क़ीमती चीज़' है।

3. हमेशा 'ख़लीफ़तुल्लाह' (अल्लाह के ख़लीफ़ा) और 'ताग़ूती बादशाह' के दर्मियान यह फ़र्क़ नज़र आएगा कि पहले ज़िक्र किए गए लोगों में हर क़िस्म की शान व शौकत के बावजूद आ़जिज़ी, इन्कसारी और जन-सेवा की भावना पाई जाएगी और दूसरे क़िस्म के लोगों में घमंड, 'मैं ही सब कुछ हूं' की भावना और ज़ुल्म और ज़्यादती का ग़लबा होगा और वह अल्लाह की मख़्लूक़ को अपनी राहत और ऐश का एक आला समझेगा।

4. अल्लाह का क़ानून है कि जो हस्ती इ़ज़्ज़त और उरूज पर पहुंचने के बाद जिस क़दर अल्लाह का शुक्र और उसके फ़ज़्ल व करम का एतराफ़ करती है, उसी क़दर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनाम व इकराम से और ज़्यादा नवाज़ा जाता है। हज़रत दाऊद की पूरी ज़िंदगी इस पर गवाह है।

5. मज़हब और दीन अगरचे रूहानियत से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, लेकिन माद्दी ताक़त (ख़िलाफ़त) उसकी बड़ी मददगार है, यानी दीन व मिल्लत, दीनी और दुन्यवी इस्लाह के लिए काफ़ी है और ख़िलाफ़त व ताक़त उसके बताए हुए अ़द्ल के निज़ाम की हिफ़ाज़त करने वाली, चुनांचे हज़रत उस्मान ﷺ का यह क़ौल बहुत मशहूर है—

'बेशक अल्लाह तआ़ला साहिबे ताक़त (ख़लीफ़ा) के ज़रिए बचाव का वह काम लेता है जो क़ुरआन करीम के ज़रिए अंजाम नहीं पाता।'

(अल-बिदायः वन्निहायः, भाग 1, पृ. 10)

6. अल्लाह तआ़ला ने मुल्क व हुकूमत देने के लिए क़ुरआन मजीद की अलग-अलग आयतों में जो इर्शाद फ़रमाया है, उसका हासिल यह है कि सबसे पहले इंसान को यह यक़ीन पैदा करना चाहिए कि मुल्क व हुकूमत का देना और उसका छिन जाना सिर्फ़ अल्लाह की क़ुदरत के हाथ में है, चुनांचे दुनिया के बड़े-बड़े शहंशाहों और बाजबरूत सुल्तानों की तारीख़ इसकी ज़िंदा गवाह है कि—

तर्जुमा—*अल्लाह! शाही और जहांदारी के मालिक! तू जिसे चाहे मुल्क बख़्श दे, जिससे चाहे, मुल्क ले ले, जिसे चाहे इ़ज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे ज़लील*

Copyright OfflineDeeniApp

कर दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है।' (आले इमरान : 26)

लेकिन उसने इस देने और लेने का एक क़ानून मुक़र्रर कर दिया है जिसको 'अल्लाह की सुन्नत' बताना मुनासिब है। क़ानून यह है कि क़ौमों और उम्मतों को हुकूमत व सल्तनत दो तरह हासिल होती है, एक 'अल्लाह की विरासत' की मारफ़त और दूसरी 'दुन्यवी अस्बाब व वसाइल' की मारफ़त। पहली सूरत में किसी क़ौम को जब हुकूमत अ़ता होती है कि उसके अ़क़ीदे और अ़मल में पूरी तरह विरासते इलाही काम करे, यानी अल्लाह तआ़ला के साथ उसकी अक़ीदत का रिश्ता भी सही और उस्तवार हो और इंफ़िरादी और इज्तिमाई आ़माल में भी सलाह व ख़ैर के इस दर्जे पर फ़ाइज़ होकर क़ुरआन के लफ़्ज़ों में उसको 'सालिहीन' में गिना जा सके।

यह क़ौम बेशक इसकी हक़दार है कि वह अल्लाह के इस इनाम से नवाज़ी जाए, जिसका नाम 'ख़िलाफ़ते इलाहीया' है और जो हक़ीक़त में दुनिया में अल्लाह की नियाबत (नायाब होना) का मज़्हर और नबियों और रसूलों की पाक विरासत है। अल्लाह का वायदा है कि जो क़ौम भी अ़क़ीदे व अ़मल में नबियों और रसूलों की विरासत से फ़ैज़ हासिल कर रही है, वह ज़मीनी विरासत की भी मालिक होगी और अगर दुनिया के अस्बाब और वसीलों के पहाड़ भी उसके दर्मियान रोक बनेंगे, तो इनसे सबको ज़ेर व ज़बर करके अल्लाह तआ़ला वायदा ज़रूर पूरा करेगा, चुनांचे इर्शाद है–

तर्जुमा– *'और हमने बेशक ज़बूर में नसीहत के बाद यह लिख दिया कि अल्लाह की ज़मीन के वारिस मेरे नेक बन्दे होंगे।'* (अल-अंबिया : 105)

तर्जुमा– *'बेशक ज़मीन अल्लाह ही की मिल्कियत है, वह अपने बन्दों में से जिसको चाहता है वारिस बना देता है।'* (अल-आराफ़ : 128)

इन आयतों में उसकी मशीयत का यही फ़ैसला है कि ज़मीन की विरासत उन्हीं को नसीब होती है जो उसके सालेह बन्दे हैं और अगर किसी क़ौम या उम्मत में यह सलाहियत मौजूद नहीं है, तो वह चाहे इस्लाम की दावेदार ही क्यों न हो, तो उसको ज़मीनी विरासत नसीब नहीं हो सकती और 'ख़िलाफ़ते इलाहीया' उसका हक़ नहीं बन सकती है और न उस क़ौम की इ़ज़्ज़त व

Copyright OfflineDeeniApp

कर दे, तेरे ही हाथ में भलाइ ह। बेशक तू हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है।'

(आले इमरान : 26)

लेकिन उसने इस देने और लेने का एक क़ानून मुक़र्रर कर दिया है जिसको 'अल्लाह की सुन्नत' बताना मुनासिब है। क़ानून यह है कि क़ौमों और उम्मतों को हुकूमत व सल्तनत दो तरह हासिल होती है, एक 'अल्लाह की विरासत' की मारफ़त और दूसरी 'दुन्यवी अस्बाब व वसाइल' की मारफ़त। पहली सूरत में किसी क़ौम को जब हुकूमत अ़ता होती है कि उसके अ़क़ीदे और अ़मल में पूरी तरह विरासते इलाही काम करे, यानी अल्लाह तआ़ला के साथ उसकी अक़ीदत का रिश्ता भी सही और उस्तवार हो और इंफ़िरादी और इज्तिमाई आ़माल में भी सलाह व ख़ैर के इस दर्जे पर फ़ाइज़ होकर क़ुरआन के लफ़्ज़ों में उसको 'सालिहीन' में गिना जा सके।

यह क़ौम बेशक इसकी हक़दार है कि वह अल्लाह के इस इनाम से नवाज़ी जाए, जिसका नाम 'ख़िलाफ़ते इलाहीया' है और जो हक़ीक़त में दुनिया में अल्लाह की नियाबत (नायाब होना) का मज़्हर और नबियों और रसूलों की पाक विरासत है। अल्लाह का वायदा है कि जो क़ौम भी अ़क़ीदे व अ़मल में नबियों और रसूलों की विरासत से फ़ैज़ हासिल कर रही है, वह ज़मीनी विरासत की भी मालिक होगी और अगर दुनिया के अस्बाब और वसीलों के पहाड़ भी उसके दर्मियान रोक बनेंगे, तो इनसे सबको ज़ेर व ज़बर करके अल्लाह तआ़ला वायदा ज़रूर पूरा करेगा, चुनांचे इर्शाद है—

तर्जुमा—*'और हमने बेशक ज़बूर में नसीहत के बाद यह लिख दिया कि अल्लाह की ज़मीन के वारिस मेरे नेक बन्दे होंगे।'* (अल-अंबिया : 105)

तर्जुमा—*'बेशक ज़मीन अल्लाह ही की मिल्कियत है, वह अपने बन्दों में से जिसको चाहता है वारिस बना देता है।'* (अल-आराफ़ : 128)

इन आयतों में उसकी मशीयत का यही फ़ैसला है कि ज़मीन की विरासत उन्हीं को नसीब होती है जो उसके सालेह बन्दे हैं और अगर किसी क़ौम या उम्मत में यह सलाहियत मौजूद नहीं है, तो वह चाहे इस्लाम की दावेदार ही क्यों न हो, तो उसको ज़मीनी विरासत नसीब नहीं हो सकती और 'ख़िलाफ़ते इलाहीया' उसका हक़ नहीं बन सकती है और न उस क़ौम की इ़ज़्ज़त व

Copyright OfflineDeeniApp

अज़्मत के लिए अल्लाह के पास कोई वायदा है। अलबत्ता अल्लाह की मशीयत अपनी हिक्मत व मस्लहत के पेशेनज़र कायनात के नज़्म व इन्तिज़ाम के लिए जिसको चाहती है, हुकूमत अ़ता कर देती है और जिससे चाहती है, छीन लेती है। इस देने-लेने में उसका क़ानून इसी तरह काम करता रहता है। इस देने और छीन लेने में इतनी अलग-अलग और अनगिनत मस्लहतें होती हैं कि इंसान उनकी हक़ीक़त तक पहुंचने से आ़जिज़ है।

सबक़ हासिल करने की जगह यह होती है कि ताज व तख़्त के मालिक को इसलिए हुकूमत नहीं दी जाती कि अल्लाह उससे ख़ुश है, बल्कि इसलिए दी जाती है कि ज़मीन के हक़ीक़ी वारिसों ने अपनी बदकिरदारियों की वजह से विरासत के हक़ों को अपने हाथों से खो दिया और अब कायनात की आम मस्लहतों को सामने रखकर हुकूमत के लिए न मुस्लिम की शर्त है, न काफ़िर व मुश्रिक की।

तर्जुमा– *'और अल्लाह जिसे चाहता है, अपना मुल्क बख़्श देता है।'*

(अल-बक़रः : 247)

अगर मुसलमान इबरत की आंखें खोलें और अपनी गन्दी ज़िंदगी में क्रान्ति पैदा करके 'सालिहीन' बन जाएं तो अल्लाह का वायदा भी उनको बशारत देने के लिए आगे बढ़ता है।

तर्जुमा– *'वायदा कर लिया अल्लाह ने उन लोगों से जो तुममें ईमान वाले हैं और किए हैं उन्होंने नेक काम, अलबत्ता बाद में हाकिम कर देगा उनको मुल्क में जैसा हाकिम किया था उनके अगलों को और जमा देगा उनके लिए दीन जो पसन्द कर लिया उनके वास्ते और देगा उनको उनके ख़ौफ़ के बदले अम्न।'*

(अन-नूर 55)

एक अहम नुक्ता

इसमें कोई शुबहा नहीं कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह की तस्बीह (सुब्हानल्लाह कहना) और तह्लील *(ला इला-ह इल्लल्लाह कहना)* एक मुसलमान की ज़िंदगी का मक़्सद है, फिर भी अल्लाह ने जिन हस्तियों को अपनी मख़्लूक़ की रुश्द व हिदायत और ख़िदमते-ख़ल्क़ के लिए चुन लिया

Copyright OfflineDeeniApp

है उनके लिए 'कसरते इबादत' (ज़्यादा से ज़्यादा इबादत) के मुक़ाबले में 'अदाएगी फ़र्ज़ में इन्हिमाक' (फ़र्ज़ अदा करने में लगा रहना) अल्लाह के नदीक ज़्यादा महबूब और पसन्दीदा अ़मल है। बेशुबहा एक सूफ़ी और रियाज़ करने वाला आबिद व ज़ाहिद, गोशा गीर और ख़लवतनशीं होकर इबादतों में लगा रहता है। 'विलायत मंसब के दर्जों को उतना ही हासिल करता है, नुबूक्त के मंसब और 'ख़िलाफ़त' के मंसब के ख़िलाफ़ कि अल्लाह तआ़ला की ओर से उसको दिए जाने की ग़रज़ और मक़्सद मख़्लूक़ की रुश्द व हिदायत और उनकी ख़िदमत और सेवा है। इसलिए उसका कमाल मख़्लूक़ के साथ रिश्ता व ताल्लुक़ क़ायम करके अल्लाह के हुक्मों को सरबुलन्द करना है, न कि ख़लवत में बैठकर 'सूफ़ी' बनना।

मस्लहत दर दीने ईसा ग़ार व कोह।
मस्लहत दर दीने मा जंग व शिकोह।

इसराईली पैग़म्बरों के हालात से मुताल्लिक़ एक अहम वज़ाहत

(हज़रत मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान स्युहारवी रह० ने हज़रत सुलैमान ﷺ से मुताल्लिक़ वाक़ियों को तफ़्सीली तौर पर बयान करने के बाद एक अहम नुक्ता लिखा है। इस नुक्ते को शुरू ही में बयान कर दिया जाए तो ख़ुलासा लिखने की सूरत वाज़ेह हो जाएगी—लेखक)

नबी अकरम ﷺ ने एक जगह सिर्फ़ यह इर्शाद फ़रमाया है कि अह्ले किताब की जो रिवायतें क़ुरआन और इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ न हों, उनको नक़्ल करना सही है। लेकिन हमने इस मुबारक इर्शाद की बुनियादी शर्त कि 'वह क़ुरआन और इस्लाम की बुनियादी तालीम के ख़िलाफ़ न हो' को नज़रअंदाज़ करके हर क़िस्म की इसराईली रिवायतों को न सिर्फ़ नक़्ल किया बल्कि क़ुरआन की तफ़्सीर व तौ़जीह के लिए उनको दलील बना लिया और जगह-जगह क़ुरआन की तावील व तफ़्सीर में उनको पेश करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे अच्छे न हुए। इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ इसराईली रिवायतों को इस्लामियात, ख़ास तौर से तफ़्सीरे क़ुरआन में जगह देना ग़लत और सख़्त मुस्लिक क़दम है। सही और साफ़ राह (सीधा रास्ता) सिर्फ़ वह है जो

Copyright OfflineDeeniApp

तहक़ीक़ करने वाले उलेमा ने अपनाया है कि वह एक तरफ़ क़ुरआन व हदीस की नस्स पर अपना ईमान व यक़ीन रखते और उनमें इलहाद भरी तावीलों को तहरीफ़ समझते हैं और दूसरी तरफ़ क़ुरआन व हदीस के दामन को इसराईली रिवायतों से पाक साबित करके हक़ीक़त की रोशनी को सामने लाते हैं।'

(तफ़्सील जानने की ख़्वाहिश रखने वाले 'क़ससुल क़ुरआन' भाग 2, पृ. 171, 172 पढ़ें।)

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम

ख़ानदान और बचपन

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ने उनको बड़ा अच्छा ज़ेहन दिया था और मुक़दमों के फ़ैसला करने में अपने ज़ेहन के इस्तेमाल का कमाल फ़ितरत ने शुरू ही से दे रखा था। चुनांचे उनके बचपन का वाक़िया दाऊद के ज़िक्र में बयान किया जा चुका है।

दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत

तारीख़ लिखने वाले कहते हैं कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंच चुके थे कि हज़रत दाऊद का इंतिक़ाल हो गया और अल्लाह तआ़ला ने उनको नुबूवत और हुकूमत दोनों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीं बना दिया।

क़ुरआन मजीद में इर्शाद है—

तर्जुमा—*'और सुलैमान दाऊद का वारिस हुआ।'* (नम्ल 16)

तर्जुमा—*'और (दाऊद व सुलैमान) हर एक को हमने हुकूमत दी और इल्म (नुबूवत) दिया।* (अल-अंबिया 79)

सुलैमान अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियतें

हज़रत दाऊद की तरह अल्लाह तआ़ला ने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को भी कुछ ख़ुसूसियतों और इम्तियाज़ी बातों से नवाज़ा और अपनी नेमतों में से कुछ ऐसी नेमतें अ़ता फ़रमाईं जो उनकी मुबारक ज़िंदगी की ख़ास बातें बनीं।

Copyright OfflineDeeniApp

पारेदो को बोलेया समझना

कुरंआन मजीद में इर्शाद है–

तर्जुमा–*'और सुलैमान दाऊद का वारिस हुआ और उसने कहा कि ऐ लोगो! हमको परिंदों की बोलियों का इल्म दिया गया है और हमको हर चीज़ बख़्शी गई है। बेशक यह अल्लाह का खुला हुआ फ़ज़्ल है।'* (अन-नम्ल 16)

कुरआन के ऊपर के बयान से तो यह साबित होता है कि यह कोई आम बात न थी, बल्कि एक ऐसी नेमत थी जिसको निशान (मोजज़ा) कहा जाता है और वह बेशक परिंदों की बोलियां बोलने वाले इंसान की बातों की तरह समझते थे और यक़ीनन उनका यह इल्म दुन्यवी अस्बाब से ऊपर ख़ालिस कुदरत के क़ानूनों के फ़ैज़ान का नतीजा था और एक ऐसी बख़्शिश और देन थी, जिसको अल्लाह का निशान कहना चाहिए, मगर जो इन जैसी पाक हस्तियों के लिए ख़ास है।

हवा पर क़ाबू

कुरआन मजीद ने हज़रत सुलैमान ﷺ के हवा पर कन्ट्रोल से मुताल्लिक़ जितना बयान किया है, वह यह है–

तर्जुमा–*'और क़ाबू में कर दिया सुलैमान के लिए तेज़ व तुंद हवा को कि उसके हुक्म से ज़मीन पर चलती थी, जिसको हमने बरकत दी थी और हम हर चीज़ के जानने वाले हैं।'* (अंबिया 181)

तर्जुमा–*'और सुलैमान के लिए क़ाबू में कर दिया हवा को कि सुबह से एक महीने की मुसाफ़त (दूरी) और शाम को एक महीने की मुसाफ़त (तै करती)।* (सवा : 12)

तर्जुमा–*और क़ाबू में कर दिया हमने उस (सुलैमान) के लिए हवा को कि चलती है वह उसके हुक्म से, नर्मी के साथ, जहां वह पहुंचना चाहे।'*

(साद : 36)

ऊपर की आयतों में हज़रत सुलैमान ﷺ के उस शरफ़ के बारे में तीन बातें बयान की हैं–

Copyright OfflineDeeniApp

1. एक यह कि हवा को हज़रत सुलैमान के हक़ में 'सधा' दिया गया था।

2. दूसरी यह कि 'हवा' उनके हुक्म की इस तरह ताबे थी कि शदीद और तेज़ व तुन्द होने के बावजूद उनके हुक्म से नर्म और धीरे-धीरे चलने की वजह से 'राहत पहुंचने वाली' हो जाती थी।

3. तीसरी बात यह है कि नर्मरफ़्तारी के बावजूद उसके तेज़ चलने का यह हाल था कि हज़रत सुलैमान का सुबह व शाम का जुदा-जुदा सफ़र एक शहसवार (घोड़सवार) की लगातार एक माह की तेज़ रफ़्तार दूरी के जितना होता था, गोया 'सुलैमान का तख़्त इंजन और मशीन जैसे ज़ाहिरी साधनों से कहीं आगे सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से एक बहुत तेज़रफ़्तार हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ मगर हल्केपन के साथ हवा के कांधे पर उड़ा चला जाता था। इसलिए हवाओं को क़ाबू में करने के वाक़िए को हज़रत सुलैमान की सच्ची नुबूवत की ख़ास और नुमायां बातों में से एक बात मानते हुए बिना किसी तावील के सही मान लिया जाए और बेकार की तफ़्सील, तावील और इसराईली ख़ुराफ़ात में न उलझा जाए।

जिन्नों और हैवानों को क़ाबू में रखना

हज़रत सुलैमान ﷺ ने एक बार अल्लाह के दरबार में यह दुआ की—

तर्जुमा—*'ऐ परवरदिगार! मुझको बख़्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अ़ता कर, जो मेरे बाद किसी के लिए भी मयस्सर न हो, बेशक तू बहुत देने वाला है।'* (साद 35)

अल्लाह तआ़ला ने उनकी इस दुआ़ को क़ुबूल फ़रमाया और एक ऐसी अजीब व ग़रीब हुकूमत अ़ता की कि न इससे पहले किसी को नसीब हुई और न इनके बाद किसी को मयस्सर आएगी। उनकी यह हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, हैवानों और हवाओं पर भी थी और ये सब अल्लाह के हुक्म से इनके ताबे और फ़रमांबरदार (अधीन और आज्ञापालक) थे। (जिन्न अल्लाह की मख़्लूक़ है। इनका ज़िक्र हज़रत आदम के ज़िक्र में हो चुका है।)

Copyright OfflineDeeniApp

बैतुलमक़्दिस की तामीर

बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी ﷺ से रिवायत की गई एक सहीह मर्फ़ूअ् हदीस से यह मतलब लिया गया है कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम ﷺ ने मस्जिदे हराम की बुनियाद रखी और वह मक्का की आबादी की वजह बनी, हज़रत याक़ूब (इसराईल) ने मस्जिद बैतुलमक़्दिस की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुलमक़्दिस की आबादी वजूद में आई, फिर एक लम्बे अर्से के बाद हज़रत सुलैमान के हुक्म से मस्जिद और शहर नए सिरे से बसाया गया और जिन्नों के क़ब्ज़े में होने की वजह से बेनज़ीर और शानदार तामीर वजूद में आई। जिन्न क़ौम ने हज़रत सुलैमान ﷺ के लिए और भी तामीरें कीं जैसा कि क़ुरआन में ज़िक्र किया गया है—

तर्जुमा—*'और शैतानों (सरकश जिन्नों) में से हमने क़ाबू में कर दिए, वे जो उस (सुलैमान) के लिए समुद्रों में ग़ोते मारते (यानी क़ीमती से क़ीमती समुद्री चीज़ें निकालते और इसके अलावा और बहुत से काम अंजाम देते और हम उनके लिए निगरां और निगहबान थे।'* (अंबिया : 82)

तर्जुमा—*और जिन्नों में से वे थे जो उसके सामने ख़िदमत अंजाम देते थे उसके परवरदिगार के हुक्म से और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के ख़िलाफ़ टेढ़ापन दिखावे, हम उसको दोज़ख़ का अ़ज़ाब चखाएंगे। वे उसके लिए बनाते थे जो कुछ वह चाहता था, क़िलों की तामीर, हथियार, तस्वीरें और बड़े-बड़े लगन जो हौज़ों की मानिंद थे और बड़ी-बड़ी देगें जो अपनी बड़ाई की वजह से एक जगह जमी रहें। ऐ आले दाऊद! शुक्रगुज़ारी के काम करो और मेरे बन्दों में से बहुत कम शुक्रगुज़ार हैं।* (सबा : 12-13)

तर्जुमा—*और इकट्ठा किए गए सुलैमान के लिए उसके लश्कर जिन्नों में से, इंसानों में से, जानवरों में से और वे दर्जा-ब-दर्जा खड़े किए जाते हैं।* (नम्ल : 17)

तर्जुमा—*'और सधा दिए गए सुलैमान के लिए शैतान (सरकश जिन्न), हर क़िस्म के काम करने वाले, इमारत बनाने वाले, दरिया में ग़ोता लगाने वाले और वे सरकश से सरकश जो जकड़े होते हैं ज़ंजीरों में। यह हमारी बख़्शिश*

Copyright OfflineDeeniApp

व अ़ता है, चाहे उसको बख़्श दो या रोके रखो, तुमसे उसकी पूछताछ नहीं।'

(साद : 36-40)

हज़रत सुलैमान के ज़माने की ये तामीरात जो जिन्नों के क़ाबू में होने की वजह से वजूद में आईं, आज तक लोगों के हैरत की वजह हैं कि ऐसे भारी-भरकम पत्थर कहां से लाए गए, किस तरह लाए गए और किस तरह उनको बुलन्दियों पर पहुंचा कर एक दूसरे से मिला दिया गया।

तांबे के ज़ख़ीरे

इन शानदार इमारतों की तामीर के सिलसिले में कुछ तफ़्सीर लिखने वालों का कहना है कि अल्लाह तआ़ला ज़रूरत के मुताबिक़ हज़रत सुलैमान के लिए तांबे को पिघला देता था, जबकि तांबे के चश्मों का भी ज़िक्र किया गया है। क़ुरआन ने इस हक़ीक़त की कोई तफ़्सील नहीं बयान की।

हज़रत सुलैमान और मलिका सबा

क़ुरआन ने मलिका सबा के इस वाक़िए को मोजज़ों की तरह ऐसे थोड़े में बयान किया है कि वाक़िया के बयान करने से जो हक़ीक़ी मक़सद है यानी 'याददेहानी', वह भी नुमायां रहे और वाक़िए के अहम और ज़रूरी हिस्से भी ज़िक्र में आ जाएं और साथ ही यह भी मालूम हो जाए कि हज़रत सुलैमान को 'परिंदों की बोली का इल्म' दिए जाने का जो पहली आयतों में ज़िक्र है, उसकी गवाही के लिए यह दूसरा वाक़िया है। यह वाक़िया सूरः नम्ल की आयतें 36-44 में बयान हुआ है। (और मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान साहब स्योहारवी ने इस तरह बयान किया है।)

एक बार दरबारे सुलैमानी अपनी पूरी शान के साथ चल रहा था। हज़रत सुलैमान ﷺ ने जायज़ा लिया तो हुदहुद को अपनी जगह पर ग़ैर-हाज़िर पाया। इर्शाद फ़रमाया, हुदहुद को मौजूद नहीं पाता। अगर वाक़ई ग़ैर-हाज़िर है तो उसकी यह बे-वजह की ग़ैरहाज़िरी सख़्त सज़ा के क़ाबिल है। इसलिए या तो मैं उसको सख़्त अ़ज़ाब दूंगा या ज़िब्ह कर डालूंगा या फिर वह अपनी ग़ैर-हाज़िरी की माक़ूल वजह बताए।

Copyright OfflineDeeniApp

अभी ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था कि हुदहुद हाज़िर हो गया और हज़रत सुलैमान के पूछ-ताछ करने पर कहने लगा कि मैं एक यक़ीनी इत्तिला लाया हूं, जिसकी आपको पहले से ख़बर नहीं है। वह यह कि यमन के इलाक़े में सबा की एक मलिका रहती है और अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसकी सल्तनत का तख़्त अपनी ख़ास ख़ूबियों की वजह से बहुत ज़्यादा शानदार है।

मलिका और उसकी क़ौम सूरज की पुजारी है और शैतान ने उनको गुमराह कर रखा है और वे कायनात के मालिक, परवरदिगारे आ़लम, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं, की परस्तिश नहीं करते।

हज़रत सुलैमान ﷺ ने फ़रमाया, अच्छा, तेरे सच-झूठ का इम्तिहान अभी हो जाएगा, तू अगर सच्चा है तो मेरा यह ख़त ले जा और इसको उस तक पहुंचा दे और इंतिज़ार कर कि वे इसके बारे में क्या बातें करते हैं।

मलिका की गोद में जब ख़त गिरा तो उसने पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहने लगी कि अभी मेरे पास एक मुअ़ज़्ज़ज़ (बहुत इज़्ज़तदार) ख़त आया है, जिसमें यह लिखा है—

'यह ख़त सुलैमान की ओर से अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। तुमको हम पर सरकशी और सरबुलन्दी का इज़्हार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास अल्लाह की फ़रमांबरदार (मुस्लिम) होकर आओ।'

मलिका सबा ने ख़त की इबारत पढ़कर कहा, ऐ मेरे दरबारियो! तुम जानते हो कि मैं अहम मामले में तुम्हारे मश्विरे के बग़ैर कोई क़दम नहीं उठाती। इसलिए अब तुम मश्विरा दो कि क्या करना चाहिए?

दरबारियों ने कहा कि जहां तक रोब खाने का ताल्लुक़ है, तो इसकी क़तई तौर पर ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ज़बरदस्त ताक़त और जंगी कूवत के मालिक हैं, रहा मश्विरे का मामला तो फ़ैसला आपके हाथ में है, जो मुनासिब हो उसके लिए हुक्म कीजिए।

मलिका ने कहा, बेशक हम ताक़त व शौकत वाले ज़रूर हैं, लेकिन सुलैमान ﷺ के मामले में हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले हमको

Copyright OfflineDeeniApp

उसकी ताक़त व क़ूवत का अन्दाज़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस अजीब तरीक़े से हम तक यह पैग़ाम पहुंचा है, वह यह सबक़ देता है कि सुलैमान ﷺ के मामले में सोच-समझ कर क़दम उठाना मुनासिब है। मेरा इरादा यह है कि कुछ क़ासिद रवाना करूं और वे सुलैमान के लिए उम्दा और क़ीमती तोहफ़े ले जाएं। इस बहाने से वे उसकी शौकत और अ़ज़्मत का अन्दाज़ा लगा सकेंगे और यह भी मालूम हो जाएगा कि वह हमसे क्या-क्या चाहता है। अगर वह वाक़ई ज़बरदस्त क़ूवत का मालिक और शहंशाह है, तो फिर उससे हमारा लड़ना बेकार है। इसलिए कि ताक़त व शौकत के मालिक बादशाहों का यह दस्तूर है कि जब वे किसी बस्ती में फ़त्ह करते हुए और ग़लबा हासिल करते हुए दाख़िल होते हैं, तो उस शहर को बर्बाद और इ़ज़्ज़तदार शहरियों को ज़लील व ख़्वार करते हैं। इसलिए बेवजह बर्बादी मोल लेना क्या ज़रूरी है?

जब मलिका-ए-सबा के क़ासिद तोहफ़े लेकर हज़रत सुलैमान की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने फ़रमाया, तुमने और तुम्हारी मलिका ने मेरे पैग़ाम का मक़्सद ग़लत समझा, क्या तुम यह चाहते हो कि इन तोहफ़ों के ज़रिए 'जिनको तुम बहुत क़ीमती समझ कर ख़ुश हो' मुझको फुसलाओ, हालांकि तुम देख रहे हो कि अल्लाह तआ़ला ने मुझको जो कुछ दे रखा है, उसके मुक़ाबले में तुम्हारी यह क़ीमती दौलत बिल्कुल हेच है इसलिए तुम अपने तोहफ़े वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कहो कि अगर उसने मेरे पैग़ाम की तामील नहीं की, तो मैं ऐसी भारी-भरकम फ़ौज के साथ सबा वालों तक पहुंचूंगा कि तुम उससे बचाव करने और मुक़ाबला करने में कामियाब न होगे और मैं तुमको ज़लील व रुसवा करके शहर बदर कर दूंगा।

क़ासिदों ने वापस जाकर मलिका-ए-सबा के सामने पूरी रिपोर्ट दी और हज़रत सुलैमान की शौकत व अ़ज़्मत को जो कुछ देखा था, वह पूरे का पूरा सुनाया और बताया कि उसकी हुकूमत सिर्फ़ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्न और हैवान भी उनके फ़रमान के ताबे और सधे हुए हैं।

मलिका-ए-सबा ने जब यह सुना तो तै कर लिया कि हज़रत सुलैमान से लड़ना अपनी हलाकत को दावत देना है। बेहतर यही है कि उसकी दावत

Copyright OfflineDeeniApp

मान ली जाए।

हज़रत सुलैमान ﷺ के मक्तूब गरामी (ख़त) में यह जुम्ला भी था *'वातूनी मुस्लिमीन'* (अधीन बनकर मेरे पास आओ) चूंकि मलिका सबा हज़रत सुलैमान के दीन व मज़हब को नहीं जानती थी, इसलिए उसने लफ़्ज़ मुस्लिम को लफ़्ज़ के मानी में समझते हुए यह समझा कि जाबिर बादशाहों की तरह सुलैमान का मक़्सद भी यह है कि में उसकी फ़रमांबरदारी और शाने हुकूमत का एतराफ़ करते हुए उसके मातहत हो जाना कुबूल कर लूं। इसलिए उसने यह तै करके सफ़र करना शुरू कर दिया और हज़रत सुलैमान की ख़िदमत में रवाना हो गई।

हज़रत सुलैमान ﷺ को वह्य के ज़रिए मालूम हो गया कि मलिका-ए-सबा ख़िदमत में हाज़िर हो रही हैं, तब आपने अपने दरबारियों को ख़िताब करके फ़रमाया कि मैं चाहता हूं कि मलिका-ए-सबा के यहां पहुंचने से पहले उसका शाही तख़्त उठाकर यहां ले आया जाए, तुममें से कौन इस ख़िदमत को अंजाम दे सकता है? यह सुनकर एक देव पैकर जिन्न ने कहा कि आपके दरबार बरख़ास्त करने से पहले मैं तख़्त को ला सकता हूं, मुझको यह ताक़त हासिल है और यह कि मैं उसके बेश बहा सामान के लिए अमीन हूँ, हरगिज़ ख़ियानत नहीं करूंगा।

देव पैकर जिन्न का यह दावा सुनकर हज़रत सुलैमान के वज़ीर ने कहा कि मैं आंख झपकते ही उसको आपकी ख़िदमत में पेश कर सकता हूं। हज़रत सुलैमान ने रुख़ फेरकर देखा तो मलिका सबा का तख़्त मौजूद पाया। फ़रमाने लगे! यह मेरे परवरदिगार का फ़ज़्ल व करम है। वह मुझको आज़माता है कि मैं उसका शुक्रगुज़ार बनता हूं या नाफ़रमान और सच तो यह है कि जो आदमी उसका शुक्रगुज़ार बनता है, वह असल में अपनी ज़ात ही को नफ़ा पहुंचाता है और जो नाफ़रमानी करता है, तो अल्लाह उसकी नाफ़रमानी से बेपरवाह और बुज़ुर्गतर है और उसका वबाल ख़ुद नाफ़रमानी करने वाले ही पर पड़ता है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करने के बाद हज़रत सुलैमान ﷺ ने हुक्म दिया कि इस तख़्त की शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी जाए। मैं देखना

Copyright OfflineDeeniApp

चाहता हूं कि मलिका-ए-सबा यह देखकर सच्चाई का रास्ता पाती है या नहीं।

कुछ दिनों के बाद मलिका सबा हज़रत सुलैमान की ख़िदमत में पहुंच गई और जब दरबार में हाज़िर हुई तो उससे मालूम किया गया क्या तेरा तख़्त ऐसा ही है?

अक़्लमंद मलिका ने जवाब दिया, 'ऐसा मालूम होता है, मानो वही है।' यानी तख़्त की बनावट और मज्मूई हैसियत तो यही बता रही थी कि यह मेरा ही तख़्त है और थोड़ी-सी बनावट में तब्दीली इस यक़ीन में शक पैदा कर रही है, इसलिए यह भी नहीं कह सकती कि यक़ीनन मेरा ही तख़्त है।

मलिका-ए-सबा ने साथ ही यह भी कहा मुझको आपकी बेमिसाल ताक़त व क़ूवत का पहले से इल्म हो चुका है, इसलिए इताअ़तगुज़ार और फ़रमांबरदार बनकर ख़िदमत में हाज़िर हुई हूँ और अब तख़्त का यह हैरत में डाल देने वाला मामला तो आपकी बेमिसाल ताक़त का ताज़ा मुज़ाहरा है और हमारी इताअ़त और झुकाव के लिए एक कोड़ा, इसलिए हम फिर एक बार आपकी ख़िदमत में वफ़ादारी और फ़रमांबरदारी ज़ाहिर करते हैं।

मलिका ने यक़ीन कर लिया कि *'कुन्ना मुस्लिमीन'* (हम फ़रमांबरदार हैं) कहकर हमने सुलैमान के पैग़ाम की तामील कर दी और उस मक़्सद को पूरा कर दिया और मलिका की शिर्क भरी ज़िंदगी और सूरजपरस्ती रोक बनी कि वह हज़रत सुलैमान के पैग़ाम की हक़ीक़त समझ सके और हिदायत का रास्ता मिल सके। इसलिए हज़रत सुलैमान ने मक़्सद ज़ाहिर करने के लिए दूसरा दिलचस्प तरीक़ा अख़्तियार किया और उसकी तेज़ी और ज़हानत को भड़काया, वह यह कि उन्होंने जिन्नों की मदद से एक शानदार शीशमहल तैयार कराया था, जो आबगीने की चमक, महल की ऊंचाई और अनोखी कारीगरी के लिहाज से बेनज़ीर था और उसमें दाख़िल होने के लिए सामने जो सेहन पड़ता था उसमें बहुत बड़ा हौज़ खुदवा कर पानी से भर दिया था और शफ़्फ़ाफ़ आबगीनों और बिल्लौर के टुकड़ों से ऐसा नफ़ीस फ़र्श बनाया गया था कि देखने वाले की निगाह धोखा खाकर यह यक़ीन कर लेती थी कि सेहन में साफ़-शफ़्फ़ाफ़ पानी बह रहा है।

मलिका-ए-सबा से कहा गया कि शाही महल में क़ियाम करे। मलिका

Copyright OfflineDeenIApp

महल के सामने पहुचा ता शफ़्फ़ाफ़ पानी बहता हुआ पाया, यह देखकर मलिका ने पानी में उतरने के लिए कपड़ों को पिंडुलियों से ऊपर उठाया तो हज़रत सुलैमान ﷺ ने फ़रमाया कि इसकी ज़रूरत नहीं, यह पानी नहीं है। सारे का सारा महल और उसका ख़ूबसूरत आंगन चमकते हुए आबगीने का है।

मलिका की तेज़ी और सूझ-बूझ पर यह कड़ी चोट थी, जिसने सूरतेहाल समझने के लिए उसकी अ़क़्ली ताक़तों को जगा दिया और उसने अब समझा कि इस वक़्त तक यह जो कुछ होता रहा है, एक ज़बरदस्त बादशाह की क़ाहिराना ताक़तों का मुज़ाहरा नहीं है, बल्कि मक़्सद मुझे यह बता देना है कि सुलैमान को यह बेनज़ीर ताक़त और मोजज़े की यह शान किसी ऐसी हस्ती की दी हुई है जो चांद-सूरज, बल्कि कुल कायनात का अकेला मालिक है, इसलिए सुलैमान मुझसे अपनी ताबेदारी और फ़रमांबरदारी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उस 'अकेली ज़ात' की इताअ़त व फ़रमांबरदारी की दावत देना उसका मक़्सद है।

मलिका के दिमाग़ में यह ख़्याल आना था कि उसने फ़ौरन हज़रत सुलैमान ﷺ के सामने एक शर्मिंदा और नादिम इंसान की तरह अल्लाह के दरबार में यह इक़रार किया। पालनहार! आज तक अल्लाह के अलावा की परस्तिश करके मैंने अपने नफ़्स पर बड़ा ज़ुल्म किया, मगर अब मैं भी सुलैमान के साथ होकर सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान लाती हूं जो तमाम कायनात का परवरदिगार है।' और इस तरह हज़रत सुलैमान के पैग़ाम *'वातूनी मुस्लिमीन'* की हक़ीक़ी मुराद तक पहुंच कर उसने दीन इस्लाम अख़्तियार कर लिया।

सबा की तस्क़ीक़

क़ह्तानी नस्ल की एक मशहूर शाख़ सबा है। सबा अपने क़बीले की बुनियाद डालने वाला था। यह अरब तारीख़ के माहिरों और नई तारीख़ के माहिरों की तस्क़ीक़ है और नाम उमर या अ़ब्दे शम्स था। यह आदमी बहुत बहादुर और हिम्मतों वाला इंसान था। उसने सबा हुकूमत की बुनियाद डाली। सबा की तरक़्क़ी का ज़मानी, तस्क़ीक़ करने वालों के नज़दीक लगभग 1100

Copyright OfflineDeeniApp

ईसा पूर्व समझा जाता है। सबा की हुकूमत का असल मर्कज़ अरब के दक्खिनी हिस्से यमन के पूर्वी इलाक़े में था और राजधानी का नाम मआरिब था। इसी को शहरे सबा भी कहते थे। इसकी सरहद हज़रमौत तक फैल गई थी और दूसरी तरफ़ अफ़रीक़ा तक भी इसका असर पहुंच चुका था (अंग्रेज़ी भाषा में इसको Sheba कहा जाता है)। क़ुरआन ने इस वाक़िए में मलिका का नाम नहीं बताया, मगर यहूदियों की इसराईली दास्तानों में इसका नाम 'बिलक़ीस' बताया गया है।

हुद हुद

क़ुरआन ने बहुत साफ़ लफ़्ज़ों में बयान किया है कि हज़रत सुलैमान ﷺ का क़ासिद हुद हुद परिंदा था। (हज़रत सुलैमान से मुताल्लिक़ 'परिंदों, की बात समझने जैसे मोजज़े की रोशनी में हुद हुद के सिलसिले की तावील की गुंजाइश बाक़ी नहीं रहती।)

सबा की मलिका का तख़्त

मलिका सबा के तख़्त की तारीफ़ हुद हुद की ज़ुबानी हो चुकी है और इस सिलसिले में हज़रत सुलैमान ﷺ का मोजज़ा भी क़ुरआन में ज़िक्र किया गया है। (इस सिलसिले में तावीलों की बहस बेकार की बात मालूम होती है।)

मलिका सबा का इस्लाम क़ुबूल कर लेना

मलिका ने हज़रत सुलैमान ﷺ के पैग़म्बराना जाह व जलाल को देखकर इस्लाम क़ुबूल कर लिया। इस मुकम्मल वाक़िए में हज़रत सुलैमान ﷺ की यही एक ग़रज़ थी, जिसे उन्होंने अपने पहले ही ख़त में ज़ाहिर कर दिया था, मगर मलिका उस वक़्त इस ग़रज़ को न पा सकी थी।

मलिका-ए-सबा का हज़रत सुलैमान के साथ निकाह

क़ुरआन और सहीह हदीसों में नफ़ी या इस्बात (निषेधात्मक या स्वीकारात्मक) दोनों हैसियतों से उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है।

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत सुलैमान ﷺ की वफ़ात

क़ुरआन मजीद में हज़रत सुलैमान की वफ़ात का जो वाक़िया बयान हुआ है, उसका हासिल यह है कि हज़रत सुलैमान के हुक्म से जिन्नों की एक बहुत बड़ी जमाअ़त शानदार इमारत बनाने में लगी हुई थी कि सुलैमान ﷺ को मौत का पैग़ाम आ पहुंचा, मगर जिन्नों को उनकी मौत की ख़बर न हुई और वे अपनी ज़िम्मेदारियों के अदा करने में लगे रहे और एक मुद्दत के बाद जब दीमक ने उनकी लाठी को चाट कर इस तवाज़ुन (सन्तुलन) को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत सुलैमान लाठी से टेक लगाए खड़े नज़र आते थे और वे गिर गए, तब जिन्नों को मालूम हुआ कि हज़रत सुलैमान का ज़माना हुआ इंतिक़ाल हो गया था, मगर अफ़सोस कि हम मालूम न कर सके। काश! कि हम ग़ैब का इल्म रखते तो अ़र्से तक इस मशक़्क़त व मेहनत में न पड़े रहते जिसमें हज़रत सुलैमान ﷺ के ख़ौफ़ से मुब्तला रहे।

तर्जुमा–*'और जब हमने उस (सुलैमान)' की मौत का फ़ैसला कर दिया तो इन जिन्नों को उसकी मौत की ख़बर किसी ने नहीं दी, मगर दीमक ने, जो सुलैमान की लाठी चाट रही थी और अब सुलैमान (लाठी का तवाज़ुन (सन्तुलन) ख़राब होने की वजह से) गिर पड़ा तो जिन्नों पर ज़ाहिर हो गया कि वह ग़ैब का इल्म रखते होते तो इस सख़्त मुसीबत में मुब्तला न रहते।'*

(34-14)

कहते हैं कि जिन्नों पर जब यह राज़ खुला तो तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए जिन्नों को अफ़सोस रहा कि अगर वे ग़ैबदां होते तो इससे बहुत पहले आज़ाद हो गए होते।

इस जगह क़ुरआन का मक़्सद जिस तरह हज़रत सुलैमान ﷺ की वफ़ात के वाक़िए को ज़ाहिर करना है, उसी तरह बनी इसराईल को उनकी हिमाक़त (मूर्खता) पर तंबीह करना भी है कि उनके अ़क़ीदे के मुताबिक़ अगर जिन्न ग़ैबदां होते तो वे अ़र्से तक हज़रत सुलैमान ﷺ के ख़ौफ़ से बैतुलमक़्दिस की तामीर या किसी दूसरे शहर की तामीर की परेशानियों में फंसे न रहते।

Copyright OfflineDeeniApp

चुनांचे हज़रत सुलैमान की वफ़ात का जिस शक्ल में उनको इल्म हुआ उसके बाद ख़ुद शैतानों (जिन्नों) को भी यह मानना पड़ा कि हमारा ग़ैबदानी का दावा क़तई तौर पर ग़लत साबित हुआ।

हज़रत सुलैमान ﷺ के वाक़ियों से मुताल्लिक़ तफ़्सीरी नुक्ते

जिहाद के घोड़ों का वाक़िया

क़ुरआन में यह वाक़िया इस तरह लिखा हुआ है—

तर्जुमा—'और हमने दाऊद को सुलैमान (बेटा) अ़ता किया। वह अच्छा बन्दा था, बेशक वह अल्लाह की तरफ़ बहुत रुजू होने वाला था, (उसका वाक़िया ज़िक्र के क़ाबिल है) जब उसके सामने शाम के वक़्त अस्तबल और तेज़ दौड़ने वाले हल्के घोड़े पेश किए गए तो वह कहने लगा, बेशक मेरी माल की मुहब्बत (जिहाद के घोड़ों की मुहब्बत) परवरदिगार के ज़िक्र ही में से है, यहां तक कि वे घोड़े नज़रों से ओझल हो गए। (हज़रत सुलैमान ने फ़रमाया) उनको वापस लाओ, फिर वह उनकी पिंडलियां और गरदनें छूने और थपथपाने लगा।'

(साद : 32)

[इन आयतों की तफ़्सीर में मुसन्निफ़ (लेखक मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान साहब) ने ख़ासी बहस के बाद इब्ने जरीर और इमाम राज़ी रह० के क़ौल के मुताबिक़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि० से अ़ली बिन अबी तलहा रज़ि० से जो तफ़्सीर नक़ल की गई है, उसको तर्जीह के क़ाबिल और सही क़रार दिया है और वह बयान की जाती है।]

ऊपर लिखी हर दो तफ़्सीरों से जुदा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ﷺ की जो तफ़्सीर हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब के वास्ते से नक़ल की गई है कि उनमें न नमाज़ [illegible]त होने का ज़िक्र है और न सूरज डूबने का मस्अला है और न घोड़ों के ज़िब्ह कर देने का वाक़िया बहस में आया है, बल्कि वाक़िए की शक्ल इस तरह बयान की गई है कि जिहाद की एक मुहिम के मौक़े पर एक शाम को हज़रत सुलैमान ﷺ ने जिहाद के घोड़ों को अस्तबल से लाने का हुक्म दिया, जब वे पेश किए गए, तो आपको चूंकि घोड़ों की नस्लों और

Copyright OfflineDeeniApp

उनकी निजी ख़ूबियों के इल्म का कमाल हासिल था, इसलिए आपने जब इन सबको असील, सुबुक रो, ख़ुश रो (ख़ानदानी, हल्की चाल चलने वाले और देखने में ख़ूबसूरत) और फिर बहुत बड़ी तायदाद में पाया, तो आपका चेहरा खिल उठा और फ़रमाने लगे, इन घोड़ों से मेरी यह मुहब्बत ऐसी माली मुहब्बत में शामिल है जो पालनहार के ज़िक्र ही का एक हिस्सा है। हज़रत सुलैमान ﷺ के इस ग़ौर व फ़िक्र के दर्मियान घोड़े अस्तबल को रवाना हो गए। चुनांचे जब उन्होंने नज़र ऊपर उठाई तो वे निगाह से ओझल हो चुके थे। आपने हुक्म दिया, उनको वापस लाओ। जब वे वापस लाए गए तो हज़रत सुलैमान ﷺ ने मुहब्बत और जिहाद के हथियार (साधन) की हैसियत से इज़्ज़त व तौक़ीर की ख़ातिर उनकी पिंडुलियों और गरदनों पर हाथ फेरना और थपथपाना शुरू कर दिया और फ़न के एक माहिर की तरह उनको मानूस करने लगे।

गोया इस तफ़सीर के मुताबिक़ आयत *'इन्नी अह्बबतु हुब्बल ख़ैरि अन ज़िक्रि रब्बी'* का तर्जुमा यह हुआ, 'बेशक मेरी माल को मुहब्बत (जिहाद के घोड़ों की मुहब्बत) अल्लाह के ज़िक्र ही से है और *'तवारत बिल हिजाब'* में तवारत की ज़मीर (सर्वनाम) *'साफ़िनातुल जनाद'* ही की तरफ़ है यानी जब घोड़े आंखों से ओझल हो गए और इस तरह 'शम्स' के महज़ूफ़ मानने की ज़रूरत नहीं रहती, 'त-फ़-क़ बिस्सूकि वल आनाकि' में मस्ह के 'छूने और हाथ फेरने के' वही आम मानी हैं जो लुग़त में बहुत मशहूर हैं।

हज़रत सुलैमान ﷺ की आज़माइश

हज़रत सुलैमान की आज़माइश और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आज़माने का एक मुज्मल वाक़िया इस तरह ज़िक्र किया गया है—

तर्जुमा—*'और बेशक हमने सुलैमान ﷺ को आज़माया और डाल दिया हमने उसकी एक कुर्सी पर एक जिस्म फिर वह अल्लाह की ओर रुजू हुआ, कहा, ऐ परवरदिगार! मुझको बख़्श दे।'* (साद : 24)

इन आयतों में यह नहीं ज़ाहिर किया गया है कि हज़रत सुलैमान ﷺ को जब आज़माइश पेश आई, तो वह क्या थी, सिर्फ़ इस क़दर इशारा है कि

Copyright OfflineDeeniApp

उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया गया। साथ ही हदीसों में भी उससे मुताल्लिक़ किसी तफ़्सील का ज़िक्र नहीं है। (इस सूरत में हज़रत मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान स्योहारवी रह० ने तफ़्सीर लिखने वालों की रायों पर बहस के बाद जो कुछ लिखा है, वह यह है–)

इस वाक़िए से मुताल्लिक़ नसीहत और सबक़ के पहलू को बहुत साफ़ और नुमायां तौर पर बयान किया गया है और क़ुरआन मजीद के तज़्करे से यही मक़्सद मालूम होता है। इसलिए 'हमको भी इस नसीहत के पहलू को सबक़ हासिल करने का ज़रिया बनाते हुए वाक़िए के इज्माल पर ही ईमान रखना चाहिए, अलबत्ता दिल के इत्मीनान के लिए इमाम राज़ी की तफ़्सीर को अख़्तियार करना ज़्यादा मुनासिब है, जो नीचे लिखा जाता है–

राज़ी की इस तफ़्सीर के मुताबिक़ 'और बेशक हमने सुलैमान को आज़माया' में आज़माइश से मुराद 'शदीद मरज़' है (और डाल दिया हमने कुरसी पर एक जसद) से सुलैमान का मरज़ की शिद्दत में बे-रूह जिस्म की तरह तख़्त पर पड़ जाना मक़्सूद है और *'सुम-म अनाब'* (फिर वह अल्लाह की तरफ़ रुजू हुआ) से सेहत की जानिब रुजू हो जाना मुराद है, गोया आज़माइश का मक़्सद यह था कि हज़रत सुलैमान 'ऐनुल यक़ीन' (विश्वास-चक्षु) के दर्जे में समझ लें कि इस हाकिमाना शान के बावजूद उनका न सिर्फ़ इक़्तिदार बल्कि जान तक अपने क़ब्ज़े में नहीं है, ताकि एक उलुल-अज़्म पैग़म्बर की तरह अल्लाह के सामने झुक जाएं और मग़्फ़िरत की तलब के ज़रिए बारगाहे इलाही से बुलन्द दर्जा और ज़्यादा सरबुलन्दी हासिल करें। (और यही हुआ भी)

सुलैमान [illegible] की फ़ौज और चींटियों की घाटी

क़ुरआन में आता है–

तर्जुमा– *'और जमा हुई फ़ौज सुलैमान के लिए जिन्नों, इंसानों और परिंदों (जानदारों) में से और वे दर्जा-ब-दर्जा क़रीने के साथ आगे-पीछे चल रहे थे, यहां तक कि वे वादी नमला पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियो! अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेख़बरी में सुलैमान और उसकी फ़ौज तुम्हें*

Copyright OfflineDeeniApp

पीस डाले। चींटी की यह बात सुनकर सुलैमान हंस पड़ा और कहने लगा कि ऐ परवरदिगार! मुझको यह तौफ़ीक़ दे कि मै तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे मां-बाप पर इनाम किया है।' (नम्ल 27 : 17-18-19)

नमला की घाटी और चींटियों से मुताल्लिक़ बहुत से सवाल पैदा किए गए हैं और इन सवालों का जवाब इसराईली दास्तानों और यहूदी ख़ुराफ़ात से देने की कोशिश की गई है। मगर ये सब बहसें बेकार की हैं, बे-सनद बल्कि वकवास हैं। क़ुरआन और रसूल की हदीसें इस क़िस्म की बेकार की चीज़ों से अलग हैं।

इस वाक़िए के ज़िक्र से क़ुरआन मजीद का मक़्सद यह है कि हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान عليهما السلام को अल्लाह तआ़ला ने 'परिंदों की बोली का इल्म' अ़ता फ़रमाया और यह उनकी अज़्मते शान का एक निशान है। यह इल्म दुनिया के आम इल्म की तरह नहीं था, बल्कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उन दोनों बड़े दर्जे वाले नबियों के लिए ख़ास अ़ता व बख़्शिश और निशान (मोजज़ा) था। चुनांचे इसी से मिला हुआ पहला वाक़िया नमला की वादी का बयान किया कि किस तरह हज़रत सुलैमान عليه السلام ने एक मामूली क़िस्म के जानदार की बातों को इस तरह सुन लिया जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान की बातें बेतकल्लुफ़ सुनता है और साथ ही यह ज़ाहिर कर दिया कि जब इस हैरत में डाल देने वाले इल्म के बारे में हज़रत सुलैमान को ऐनुल यक़ीन और हक़्क़ुल यक़ीन (भरपूर यक़ीन) का दर्जा हासिल हो गया तो उन्होंने एक अज़्म वाले पैग़म्बर की शान के मुताबिक़ अल्लाह के इस दिए हुए निशान पर शुक्र का इज़्हार किया। वाज़ेह रहे कि इस वाक़िए की अहमियत का अन्दाज़ा इससे हो सकता है कि जिस सूरः में उसका ज़िक्र मौजूद है, अल्लाह ने उसका नाम ही 'चींटी की सूरः' रखा है। ज़्यादातर तारीख़ लिखने वालों की राय यह है कि नमला की घाटी अ़स्क़लान के क़रीब है जैसा कि इब्ने बतूता ने बयान किया है या बैत-जबरून और अ़स्क़लान के दर्मियान, शाम (सीरिया) के आम नक़्शा लिखने वाले बताते हैं।

Copyright OfflineDeeniApp

मलिका-ए-सबा का तख़्त उठाकर लाने वाले की शख़्सियत

मलिका-ए-सबा के वाक़िए में यह ज़िक्र हो चुका है कि जब हज़रत सुलैमान ﷺ को यह मालूम हो गया कि मलिका-ए-सबा ख़िदमत में हाज़िर हो रही है, तो आपने अपने दरबारियों को मुख़ातब करके फ़रमाया, मैं चाहता हूं कि मलिका-ए-सबा के यहां पहुंचने से पहले उसका तख़्ते शाही उठाकर यहां ले आया जाए, तुममें से कौन इस ख़िदमत को अंजाम दे सकता है? यह सुनकर एक देव पैकर जिन्न ने कहा कि आपके दरबार बरख़ास्त करने से पहले मैं तख़्त को ला सकता हूं। जिन्न के इस दावे को सुनकर हज़रत सुलैमान ﷺ के दरबारियों में से एक आदमी ने (जिसके पास किताब का इल्म था) कहा कि मैं आंख झपकते ही उसको आपकी ख़िदमत में पेश कर सकता हूं। इस वाक़िए से मुताल्लिक़ दो सवाल पैदा किए गए हैं—

एक तो यह कि वह आदमी जिसके पास किताब का 'इल्म' था, उसका नाम क्या था? और वह कौन था? उसका नाम आसिफ़ बिन बरख़या था और वह हज़रत सुलैमान ﷺ का ख़ास मोतमद और कातिब (वज़ीर) था। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ؓ से नक़ल किया गया है कि ज़्यादातर तफ़्सीर लिखने वालों ने इस क़ौल को तर्जीह दी है।

दूसरा सवाल यह है कि इल्मे किताब (किताब का इल्म) से क्या मुराद है? इस बारे में (लेखकः हज़रत मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान स्योहारवी रह० के मुताबिक़) सही और तर्जीह के क़ाबिल क़ौल यह है कि यह आदमी आसिफ़ हो या किसी और नाम वाला, हक़ीक़त में हज़रत सुलैमान का सहाबी और उनका बहुत क़रीबी था, जिस तरह सिद्दीक़े अक्बर की शख़्सियत नबी अकरम की रफ़ाक़त में नुमायां थी। इसी तरह यह हज़रत सुलैमान ﷺ का रफ़ीक़ था और उनके शरफ़े सोहबत से उसको तौरात और ज़बूर और अस्मा और सिफ़ाते इलाह से मुताल्लिक़ असरार और हक़ीक़तों का ज़बरदस्त इल्म हासिल था। इसलिए जब जिन्नों में से एक 'इफ़रीत' ने सबा के तख़्त को हाज़िर करने का दावा किया, तो अगरचे मक़्सद को हासिल करने के लिए यह मुद्दत भी काफ़ी थी, मगर हज़रत सुलैमान का ख़्याल यही रहा कि यह अ़मल 'जिन्नों

Copyright OfflineDeeniApp

में से एक इफ़रीत' के ज़रिए न होना चाहिए, ताकि उनकी पैग़म्बराना तवज्जोह से वह 'मोजज़ा' और 'निशान' बनकर मलिका-ए-सबा के सामने पेश हो। आसिफ़ ने हज़रत सुलैमान की इस तवज्जोह को समझ कर, फ़ौरन ख़ुद को पेश किया और 'इफ़रीत' की बयान की हुई मुद्दत से भी बहुत कम मुद्दत में हाज़िर कर देने का वायदा कर लिया, क्योंकि उसको यक़ीन था कि हज़रत सुलैमान ﷺ की मुबारक तवज्जोह इस एजाज़ को पूरा कर दिखाएगी और चूंकि मोजज़ा असल में अल्लाह तआ़ला का अपना फ़ेल (काम) होता है जो नबी के हाथ पर ज़ाहिर किया जाता है, (जैसा कि पीछे के पन्नों में गुज़र चुका है) तो हज़रत सुलैमान ने अपनी नुबूवत की सदाक़त और रिसालत की अज़्मत के इस निशान को देखकर इन लफ़्ज़ों में अल्लाह का शुक्र अदा किया 'हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी' यानी जो कुछ भी हुआ उसमें आसिफ़ की या मेरी कोशिश और ताक़त का कोई दख़ल नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़्ल है, जिसने यह काम कर दिखाया।

हज़रत सुलैमान ﷺ पर बनी इसराईल का बोहतान

दूसरे इल्ज़ामों के अलावा बनी इसराईल ने एक इल्ज़ाम हज़रत सुलैमान पर यह भी लगाया कि वह जादू के हामिल और उसके ज़ोर पर 'किंग सुलैमान' थे और जिन्नों, इंसानों, जानवरों और परिंदों को क़ाबू में किए हुए थे। इस बारे में क़ुरआन अ़ज़ीज़ ने वाज़ोह किया है—

तर्जुमा—*'और जब उन (बनी इसराईल) के पास अल्लाह की तरफ़ से रसूल आया जो तस्दीक़ कर रहा है उन इलहामी किताबों की जो उनके पास हैं, तो जो लोग (बनी इसराईल) किताब (तौरात) देने गए थे, उन्होंने अल्लाह की किताब (तौरात) को पीठ पीछे डाल दिया और (आपकी सच्चाई की ख़ुशख़बरी) के बारे में ऐसे हो गए, गोया वे जानते ही नहीं। (ये तो वे लोग हैं कि) उन्होंने सुलैमान के ज़माने में उस चीज़ की पैरवी अख़्तियार कर ली थी जो शैतान पढ़ते थे और सुलैमान ने कुफ़्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने कुफ़्र किया था कि जो लोगों को जादू सिखाते थे और वह (इल्म), जो बाबिल में हारूत व मारूत दो फ़रिश्तों पर नाज़िल किया गया और जिसको कि वे*

Copyright OfflineDeeniApp

दोनों जब किसी को सिखाते थे तो यह कहकर सिखाते थे कि हम (तुम्हारे लिए) सख़्त आज़माइश हैं, इसलिए तुम (अब) कुफ़्र न करना, मगर वे (बनी इसराईल) इन दोनों से भी ऐसी बातें सीखते थे कि जिसके ज़रिए से मियां-बीवी के दर्मियान तफ़रीक़ पैदा हो जाए, हालांकि वे इसके ज़रिए से अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर किसी को भी नुक़्सान नहीं पहुंचा सकते (अलबत्ता) वे ऐसी चीज़ सीखते हैं जो (अंजामेकार) उनको नुक़्सान पहुंचाने वाली है और उनको हरगिज़ नफ़ा नहीं देगी और बेशुब्हा वे जानते हैं कि जिस शख़्स ने उस शै (जादू) को ख़रीदा उसके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है और ज़रूर वह चीज़ बहुत बुरी है, जिसके बदले में उन्होंने अपनी जान बेच डाली। काश! कि वे समझते (यानी वे समझने के बाद उससे बचते) और वह काम न करते जिसका नतीजा बुरा है।' (अल-बक़रः 2 : 101, 103)

ऊपर की आयतों में जिन हक़ीक़तों को वाज़ेह किया गया है, उनकी तफ़्सीर में तफ़्सीर लिखने वाले अलग-अलग ज़ौक़ रखते हैं। चुनांचे इस सिलसिले की तफ़्सीरों में से हमने तर्जुमे में आम तफ़्सीर से जुदा रास्ता अख़्तियार किया है जो 'अल्लाह की आयतों में एक आयत', आज के मुहक़्क़िक़ (तह्क़ीक़ करने वाले) अल्लामा मुहम्मद अनवर शाह (नव्वरल्लाहु मर्क़दहू) की तह्क़ीक़ से ली गई है। हज़रत उस्ताद की तफ़्सीर का ख़ुलासा यह है—

'जब बनी इसराईल को शैतान ने जादू दिखाकर गुमराह कर दिया और वे शैतानों को ग़ैबदां यक़ीन करने लगे और वह यह ज़माना था कि हज़रत सुलैमान ﷺ की वफ़ात हो चुकी थी और उस वक़्त उनके दर्मियान अल्लाह का कोई नबी मौजूद नहीं था तो बनी इसराईल को हिदायत का रास्ता दिखाने और संभालने के लिए उस मोजज़ाना तरीक़े के मुताबिक़ जो सदियों से उनके लिए अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से विरासत वाली सुन्नत बना हुआ था, हारूत-मारूत दो फ़रिश्ते आसमान से नाज़िल किए गए और उन्होंने बनी इसराईल को तौरात से लिए गए अल्लाह की सिफ़तों के नामों के भेद भरे मानी का ऐसा इल्म सिखाया जो 'सेहर' (जादू) के मुक़ाबले में मुमताज़ और सेहर के नापाक असर से पाक था और इस वजह से एक इसराईली आसानी

Copyright OfflineDeeniApp

से यह समझा सकता है कि यह जादू है और यह *'अलवी उलूमिल असरार'* है और जब वे फ़रिश्ते बनी इसराईल को ये उलूम सिखाते तो फिर उनको नसीहत करते कि अब जबकि तुम पर असल हक़ीक़त खुल गई और तुमने हक़ व बातिल के दर्मियान आंखों देखा मुशाहदा कर लिया तो अल्लाह की किताब के इल्म को पीठ पीछे डालकर फिर भी जादू की तरफ़ रुजू करोगे तो तुम बेशुबहा काफ़िर हो जाओगे। क्योंकि अल्लाह की हुज्जत तुम पर तमाम हो गई और अब तुम्हारे लिए कोई उज़्र बाक़ी नहीं रहा। गोया हमारा वजूद तुम्हारे लिए एक आज़माइश है कि तुम हमारी तालीम के बाद शैतानों के ताबे होकर 'सेहर' ही के शैदाई रहते हो या इससे ज़्यादा ज़बरदस्त और सच्ची बात अल्लाह की किताब के इल्म की पैरवी करते हो? लेकिन बनी इसराईल की टेढ़ी फ़ितरत ने इस मौक़े पर भी उनका साथ न छोड़ा और उन्होंने उस पाक 'अलवी इल्म' (महत्वपूर्ण ज्ञान) को भी नाजायज़ और हराम ख़्वाहिशों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे शौहर-बीवी के दर्मियान नाहक़ अलगाव वग़ैरह और इस तरह हक़ को बातिल के साथ मिला-जुला कर उसको भी एक करिश्मा बना दिया और हक़ व बातिल के साथ ग़लत करने या किसी पाक जुम्ले के ख़वास व असरात को नाजायज़ और हराम कामों में इस्तेमाल करने के बारे में हक़ उलेमा की खुली बातें मौजूद हैं कि यह भी जादू के कामों की शक्ल अख़्तियार कर लेता है और इसीलिए हराम और कुफ़्र है।

थोड़े में अगर बयान किया जाए तो कहा जा सकता है कि क़ुरआन ने इस वाक़िए को जिस ग़रज़ के लिए बयान किया है, वह तो सिर्फ़ इस क़दर है कि बनी इसराईल का हज़रत सुलैमान ﷺ की तरफ़ जादू (कुफ़्र) का जोड़ देना बोहतान और झूठ है।

ख़ुलासा

यह काम शैतानों का था, हज़रत सुलैमान ﷺ का दामन उससे पाक है और यह कि बनी इसराईल ने शैतानों की पैरवी की और अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाल दिया, अगरचे हारूत व मारूत जो दो फ़रिश्ते थे और आसमान से नाज़िल किए गए थे, ताकि बनी इसराईल को तौरात से लिए गए

Copyright OfflineDeeniApp

अस्मा और सिफ़ाते इलाही के भेदों का इल्म सिखाएं। लेकिन बनी इसराईल शैतानों के ताबे होकर जादू ही के शैदाई बने रहे। क़ुरआन ने बाक़ी तफ़्सीलों को नज़रअंदाज़ कर दिया है, इसलिए हमारे लिए उसके 'थोड़े' ही पर ईमान लाना काफ़ी है, क्योंकि तफ़्सील से दीन व मिल्लत का कोई मसला जुड़ा हुआ नहीं है।

सबक़ और ख़ुलासा

1. पिछली उम्मतों ने अल्लाह के सच्चे दीन में अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों के असर में आकर जहां और बहुत-सी घट-बढ़ की हैं, उनमें से एक शर्मनाक कांट-छांट अल्लाह के सच्चे पैग़म्बरों और बड़े अ़ज़्म वाले रसूलों पर बोहतान लगाकर और उनकी जानिब बेहूदा और गन्दी बातों के जोड़ने का बेजा क़दम उठाना भी है।

और इस मामले में बनी इसराईल का क़दम सबसे आगे है। वे एक तरफ़ अल्लाह की एक बुज़ुर्ग हस्ती को नबी ओर रसूल भी मानते हैं और दूसरी तरफ़ बग़ैर किसी झिझक के शर्मनाक और ग़ैर-अख़्लाक़ी बातें उनसे जोड़ देते हैं, जैसे हज़रत लूत ﷺ और उनकी बेटियों का मामला साथ ही कुछ नबियों और रसूलों और अल्लाह के बड़े-बड़े पैग़म्बरों की रिसालत व नुबूवत से इंकार करके उन पर अलग-अलग क़िस्म के बोहतान और झूठे इल्ज़ाम लगाना फ़ख्र की बात समझते हैं, जैसे हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान ﷺ का मामला।

क़ुरआन मजीद ने दीन के बारे में सच्चाई और हक़ के एलान का जो बीड़ा उठाया, धर्मों में सुधार के साथ दीने हक़ (इस्लाम) की जो हक़ीक़ी रोशनी अ़ता की, उसके इन एहसानों में से एक बड़ा एहसान यह भी है कि जिन नबियों और रसूलों का उसने ज़िक्र किया है उनसे मुताल्लिक़ बनी इसराईल की ख़ुराफ़ात और बेकार की बातों को दलीलों के साथ रद्द कर दिया और उनके मुक़द्दस दामन को लगाई गई गन्दगियों से पाक ज़ाहिर किया और इस तरह हक़ीक़त को सामने लाकर गन्दे लोगों की गन्दगी का परदा चाक कर दिया।

Copyright OfflineDeeniApp

2. हज़ार बार सबक़ लेने की यह बात कि जिस गुमराही को बनी इसराईल ने अख़्तियार किया और क़ुरआन ने जिसको रोशन और खुली दलीलों के साथ रद्द कर दिया था, उस गन्दगी से हमारा दामन भी बचा न रह सका और क़ुरआन की साफ़ और रोशन राह को छोड़कर हमने बनी इसराईल की बिगड़ी रिवायतों को इस्लामी रिवायतों में जगह देनी शुरू कर दी।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक जगह इर्शाद फ़रमाया है कि अह्ले किताब की जो रिवायतें क़ुरआन और इस्लाम की तालीम की ज़िद न हों, उनका नक़ल करना ठीक है, लेकिन हमने इस मुबारक इर्शाद की बुनियादी शर्त कि वह क़ुरआन और इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ न हो' को नज़रअंदाज़ करके हर क़िस्म की 'इसराईली रिवायतों को न सिर्फ़ नक़ल किया, बल्कि क़ुरआन की तफ़्सीर में उनको पेश करना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि एक ओर तो ग़ैर-मुस्लिमों ने इन रिवायतों को इस्लामी रिवायत बना दिया और उनमें रंग-रौग़न चढ़ाकर इस्लाम की बेग़रज़ और पाक तालीम पर हमले शुरू कर दिए और अपने नापाक मक़्सद के लिए बहाना और हीला बना लिया और दूसरी ओर ख़ुद मुसलमानों में इलहाद व ज़ंदक़ा के अलमबरदारों ने इन रिवायतों की आड़ लेकर क़ुरआन और सही हदीसों से साबित और इल्मे यक़ीन (वह्य इलाही) से हासिल हक़ीक़तों (मोजज़ों), हश्र व नश्र के वाक़िए, जन्नत व जहन्नम की तफ़्सीलों से इंकार के लिए राह बना ली और हर ऐसे मक़ाम पर बेसनद यह कहना शुरू किया कि यह तो हमारे तफ़्सीर लिखने वालों ने आदत के मुताबिक़ इसराईली अक़ीदतों से ले लिया है, हालांकि इस वाक़िए के लिए ख़ुद क़ुरआन या हदीसे रसूल सल्ल० की क़तई नस्स (यक़ीनी बात) मौजूद होती है।

ग़रज़ ये दोनों राहें ग़लत हैं—इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ इसराईली रिवायतों को इस्लामियात, ख़ास तौर से क़ुरआन में जगह देना भी ग़लत राह और हलाक कर देने वाला कड़ा क़दम है। चाहे वह कितनी ही नेक नीयती से क्यों न उठाया गया हो और इसी तरह इलहाद की दावत के लिए रिवायतों को इस तरह नक़ल करने का बहाना बनाकर क़ुरआन व हदीस की नस्स

Copyright OfflineDeeniApp

(बुनियादी बात) से इंकार या तफ़्सीर के नाम से उसकी व्याख्या में घट या बढ़ का क़दम भी इस्लामी तालीम को बर्बाद करना और उसकी रूप-रेखा को बिगाड़ देना है।

सही और साफ़ (सीधा रास्ता) सिर्फ़ वह हे जो तहक़ीक़ करने वाले उलेमा ने अपनाया है कि वे एक तरफ़ क़ुरआन व हदीसं की नस्स को अपना ईमान यक़ीन करते और उनमें मुलहिदाना तावील (बेख़ुदा) की रहनुमाई और बातों को बिगाड़ समझते हैं और दूसरी ओर क़ुरआन व हदीस के दामन को इसराईलियात से पाक साबित करके हक़ीक़त की रोशनी को सामने लाते हैं।

3. हुकूमत वाले नबियों और रसूलों और दुनिया के बादशाहों और हुक्मरानों की ज़िंदगी में हमेशा साफ़ और वाज़ेह फ़र्क़ रहा और रहता है। पहली क़िस्म के लोगों की ज़िंदगी के हर पहलू और हर हिस्से में अल्लाह का ख़ौफ़, उसका डर, अ़द्ल व इंसाफ़, दावत व इर्शाद, ख़िदमते ख़ल्क़ (जन-सेवा) साफ़ नज़र आते हैं। वे किसी जायज़ मौक़े पर हाकिमाना इक़्तिदार का मुज़ाहरा भी करते हैं तो उसमें घमंड और तकब्बुर की जगह अल्लाह के लिए बुग़्ज़ नज़र आता है। यानी उनका ग़ुस्सा अपने लिए नहीं, अपने निजी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के कलिमे की बुलन्दी के लिए होता है। चुनांचे हज़रत यूसुफ़, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान की पाक ज़िंदगियों का पूरा दौर इस पर गवाह है और आख़िर लोगों की ज़िंदगी के हर शोबे में ज़ाती वक़ार (निजी प्रतिष्ठा) शख़्सी या जमाअ़ती (व्यक्तिगत या दलगत) बरतरी (उच्चता) का प्रदर्शन, छोटों पर ज़ुल्म, बुनियाद और नीवं की तरह काम करते नज़र आते हैं।

मिसाल के तौर पर आप फ़िरऔन अव्वल के इस एलान पर तवज्जोह फ़रमाइए, *'अना रब्बुकुमुल आला'* (मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पालनहार हूं, दूसरा कोई नहीं) और फिर हज़रत सुलैमान के इस ख़िताब पर नज़र कीजिए *'अल्ला तालू अ़लै-य वातूनी मुस्लिमीन'* (मुझ पर बुलन्दी ज़ाहिर कर और मुसलमान होकर मेरे पास हाज़िर हो।) दोनों हिस्सों में हाकिमाना इक़्तिदार का मुज़ाहरा मौजूद है। मगर फ़िरऔन के एलान में अल्लाह के साथ सरकशी, ख़ुदा की

Copyright OfflineDeeniApp

मख़्लूक़ पर ज़ालिमाना अन्दाज़ और ख़ुदाई के दावे के लिए 'मैं' (अह) जैसे मामले साफ़ दिखाई पड़ रहे थे और हज़रत सुलैमान के ख़िताब में मुख़तब के मुक़ाबले में सरबुलन्दी का इज़्हार, ज़ाती वक़ार और शख़्सी सरबुलन्दी के लिए नहीं, बल्कि एक ख़ुदा के इर्शाद व तब्लीग़, अल्लाह के कलिमे और शिर्क से बेज़ारी के साथ तौहीद की दावत के लिए किया जा रहा है और यही फ़र्क़ है जो नबियों (अ़लैहिस्सलाम) की विरासत के ज़रिए हमेशा सही ख़िलाफ़त और दुन्यवी हुकूमत के दर्मियान नुमायां रहना चाहिए।

4. जिस शख़्स की ज़िंदगी ख़ालिस अल्लाह की हो जाती है, अल्लाह तआ़ला भी अपनी कुल कायनात को उसके लिए ताबे और मुसख़्ख़र कर देते हैं और उसकी यह कैफ़ियत हो जाती है कि उसका कोई क़दम भी अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं उठता। अब अगर ऐसा शख़्स कुछ ऐसे मामले कर दिखाता है जो आम दुन्यवी असबाब व वसाइल से बालातर होकर अ़मल में आए हैं, तो कम समझ और शक्की निगाहों वाले तो देखने और समझने की ज़हमत गवारा नहीं करते कि जिस हस्ती से ये आमाल हो गए हैं, वह अल्लाह की मर्ज़ी में ख़ुद को फ़ना कर चुकी है, इसलिए अल्लाह की बे-क़ैद क़ुदरत का हाथ उसके सर पर है और उसके इन आमाल (मोजज़ों) को भी क़ुदरत के आम क़ानूनों की तराज़ू में तौलकर उनके इंकार पर तैयार हो जाती है। यह रास्ता बेशक ग़लत और गुमराही का रास्ता है और साफ़ और रोशन 'सीधा रास्ता' वह है जिसको हमेशा इस्लाम के सोचने-समझने वाले क़ुरआन व हदीस की रोशनी में बयान करते चले आए हैं।

5. शैतानी असरों में सबसे बुरा असर या शैतानी वस्वसा यह है कि मियां-बीवी के ख़ुशगवार ताल्लुक़ात में नफ़रत-दुश्मनी का ऐसा ज़हर मिला दिया जाए, जो उनके दर्मियान फूट पड़ने की वजह बने। यह इसलिए सबसे बुरा है कि इसके नतीजे झूठ, बोहतान, बदकलामी, बदअख़्लाक़ी और बेहयाई, यहां तक कि दूर तक फैले हुए होते हैं। यही वजह है कि शैतान को यह अ़मल बहुत महबूब है।

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम

हज़रत अय्यूब और कुरआन पाक

कुरआन में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र चार सूरतों में आया है–

तर्जुमा–'और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलैमान' (अलैहिमुस्सलाम) (निसा 163)

तर्जुमा– *'और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलैमान और अय्यूब और यूसुफ़ और हारून।'* (अल-अनआम 84)

तर्जुमा–*और अय्यूब (का मामला भी याद करो) जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा था। मैं दुख में पड़ गया हूं और अल्लाह! तुझसे बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं, पस हमने उसकी दुआ क़ुबूल कर ली और उसका दुख दूर कर दिया और उसको उसका कुंबा उसकी मिस्ल उसके साथ अपनी रहमत से अपने इबादतगुज़ार बन्दों की नसीहत के लिए अ़ता कर दिया।'*

(अल-अंबिया 83 : 84)

तर्जुमा–*और याद करो हमारे बन्दे अय्यूब (के मामले) को, जब उसने अपने पालनहार को पुकारा था कि मुझको शैतान ने ईज़ा और तक्लीफ़ के साथ हाथ लगाया है। (तब हमने उससे कहा) अपने पांव से ठोकर मार। (उसने ऐसा ही किया और चश्मा ज़मीन से उबल पड़ा। तो हमने कहा) यह है नहाने की जगह ठंडी और पीने की और हमने उसको उसके अस्ल व अयाल अ़ता किए और उनकी मानिंद और ज़्यादा अपनी मेहरबानी से और यादगार बनाने के लिए अक़्लमंदों के लिए और अपने हाथ में सींकों का मुट्ठा ले और उससे मार और अपनी क़सम में झूठा न हो। बेशक हमने उसको सब्र करने वाला पाया (और वह अच्छा बन्दा है) बेशक वह (अल्लाह की तरफ़) बहुत रुजू होने वाला है।'*

(साद 41-44)

इन आयतों में हज़रत अय्यूब के वाक़िए को अगरचे बहुत थोड़े और सादा तरीक़े से बयान किया गया है, लेकिन बलाग़त व मआनी के लिहाज़ से

Maktab-e-Ilshaf
Copyright OfflineDeeniApp

वाक़ियों के जिस क़दर भी सही और अहम हिस्से थे, उनको ऐसे ढंग से अदा किया गया है कि अय्यूब ﷺ के सफ़र की लम्बी और मोटी किताब में भी वह बात नज़र नहीं आती।

एक पाक और मुक़द्दस इंसान है जो अल्लाह के यहां नबियों और रसूलों की जमाअ़त में शामिल है और उसका नाम अय्यूब है, *'वज़्कुर अब्दना अय्यूब'* वह दौलत व सरवत और बाल-बच्चों की कसरत के लिहाज़ से भी बहुत ख़ुश बख़्त और फ़ीरोज़मंद था, मगर यकायक इम्तिहान व आज़माइश में आ गया और माल व दौलत, घर-बार, बाल-बच्चे और जिस्म व जान सबको मुसीबत ने आ घेरा, माल व सामान बर्बाद हुआ, बाल-बच्चे हलाक हुए, और जिस्म व जान को सख़्त रोग लग गया, तब भी उसने न शिकवा किया और न शिकायत, बल्कि सब्र व शुक्र के साथ अल्लाह तआ़ला की जनाब में अर्ज़ कर दिया—

'इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियशशैतानु बिनुस्बिंव-व अ़ज़ाब'

अदब का इतना ख़्याल है कि यह नहीं कहा, 'तूने मुसीबत में डाल दिया', क्योंकि उसको इल्म है कि तक्लीफ़ व अ़ज़ाब गो अल्लाह ही की मख़्लूक़ है, मगर शैतानी अस्बाब की बुनियाद पर ज़ाहिर होते हैं। इसलिए यह कहा, 'शैतान ने मुझको तक्लीफ़ के अ़ज़ाब के साथ छू दिया' और फिर हालत बयान करने के लिए निहायत अजीब और लतीफ़ अन्दाज़ अख़्तियार किया कि 'अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर' (अल्लाह! मुझंको मुसीबत ने आ घेरा है) 'व अन-त अरहमुर्राहिमीन' (और तू मेहरबानों में सबसे बड़ा मेहरबान है) और जब उसने पुकारा, तो अल्लाह ने सुना और उसे क़ुबूल किया। जो माल व मता बर्बाद हुआ और जो घर वाले हलाक हुए, अल्लाह ने उससे कई गुना और ज़्यादा उसको बख़्श दिए और सेहत व तन्दुरुस्ती के लिए चश्मा जारी कर दिया कि नहा कर चंगा हो जाए।

'उरकुज़ बिरिज्लि-क हाज़ा मुग्तसलुन बारिदुंव व शराब व व-हब्ना लहू अह्लहू व मिस्लहुम म-अ हुम फ़स्तजबना लहू फ़-कशफ़ना मा बिही मिन जुर्रिन व आतैनाहु अह्लहू व मिस्लहुम व मअहुम।' 'और यह सब कुछ इसलिए हुआ कि रहमत उसकी ज़ाती ख़ूबी है। 'व रहमती व सिअत कुल्ल शैईन फ़-स अक्तुबुहा लिल्लज़ी-न यत्तक़ून०' और ताकि सोचने-समझने वाले और फ़रमांबरदार

Copyright OfflineDeeniApp

बन्दे उससे नसीहत व इबरत हासिल करें। और फिर हज़रत अय्यूब ﷺ के सब्र और बन्दगी की तारीफ़ करते हुए उसने यह कहकर उनकी अज़्मत को चार चांद लगा दिए *'इन्ना वजदनाहु साबिरन नेमल अब्दु इन्नहू अव्वाब'* 'और इसमें कोई शक नहीं कि हमने अय्यूब को बड़ा साबिर पाया। वह बहुत ही अच्छा बन्दा और हमारी जानिब रुजू होने वाला है।

कुछ तफ़्सीरी हक़ीक़तें

हज़रत अय्यूब ﷺ का मरज़

1. इसराईली रिवायतों में हज़रत अय्यूब के मरज़ के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बयान की गई रिवायतें दर्ज हैं और उनमें ऐसे-ऐसे मरज़ों को जोड़ा गया है जो नफ़रत की वजह समझे जाते हैं, जिनकी वजह से रोगी से इंसान का बचना ज़रूरी हो जाता है। तह्क़ीक़ करने वालों की राय यह है और यही सही और ठीक है कि जब क़ुरआन ने मरज़ की कोई तफ़्सील नहीं बयान की और हदीस का पूरा ज़ख़ीरा उसके ज़िक्र से ख़ाली है तो इसराईली रिवायतों पर बहस क़ायम करना फ़िज़ूल है।

'मस्सनियश्शैतानु' से क्या मुराद है?

2. 'मुझको शैतान ने ईज़ा और तक्लीफ़ के साथ हाथ लगाया है', तह्क़ीक़ करने वालों के ख़्याल में अय्यूव ने यह बात अदब के तौर पर फ़रमाई (इनका ताल्लुक़ उनके जिस्म पर शैतान को क़ाबू देने से बिल्कुल नहीं) इसलिए कि यह एक हक़ीक़त है कि अल्लाह की तरफ़ से तो ख़ैर ही ख़ैर है और जिस चीज़ को हम शर कहते हैं, वह हमारी निस्बत से शर है, वरना कायनात की तमाम मस्लहतों के लिहाज़ से ग़ौर करोगे तो उसको भी ख़ैर ही मानना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी और हमारे आमाल (काम) की निस्बतें कुछ चीज़ों को शर बना देती हैं, लेकिन हक़ीक़त के एतबार से वे भी ख़ैर ही होती हैं।

3. **आयत 'व व हब्ना लहू अह्लहू व मिस्लहुम मअहुम** में बाल-बच्चों के देने का जो ज़िक्र किया है, क्या उससे यह मुराद है कि अल्लाह तआ़ला ने

Copyright OfflineDeeniApp

अय्यूब की सेहत के बाद उनके हलाक हुए बाल-बच्चों की जगह पहले से ज़्यादा उनके बाल-बच्चों में इज़ाफ़ा कर दिया और जो ख़ानदान के लोग बिखरे थे, उनको दोबारा जमा कर दिया या यह मक़्सद है कि हलाक हुए लोगों को भी ताज़ा ज़िंदगी बख़्श दी और ज़्यादा भी दिए। इब्ने कसीर ने हसन और क़तादा से यही मानी नक़ल किए हैं और शाह अ़ब्दुल क़ादिर साहब (नव्वरल्लाहु मरक़दहू) की भी यही राय है और इमाम राज़ी रह० और इब्ने हब्बान रह० का रुझान पहले मानी की ओर है और आयत में दोनों मानों की गुंजाइश है।

4. सूरः साद में है, **'व ख़ुज़ य-द-क ज़िग़सा फ़ज़्रिब बिही व ला तह्नस'** और अपने हाथ में सींकों का मुट्ठा ले, फिर उससे मार और क़सम में झूठा न हो' तो यह किस वाक़िए की तरफ़ इशारा है? क़ुरआन और सहीह हदीसों में तो इसकी कोई तफ़्सील नहीं ज़िक्र की गई, अलबत्ता तफ़्सीर लिखने वाले यह कहते हैं कि अय्यूब की हर क़िस्म की बर्बादी के बाद जब उनकी बीवी के अलावा कोई ग़मगुसार बाक़ी न रहा तो वह नेक बीवी हर वक़्त अय्यूब की तीमारदारी में मश्ग़ूल और दुख-दर्द की शरीक रहती थी। एक बार उसने हज़रत अय्यूब की इंतिहाई तक्लीफ़ से बेचैन होकर कुछ ऐसी बातें कह दीं जो सब्रे अय्यूब को ठेस पहुंचाने वाली और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ शिकवा का पहलू लिए हुए थीं, अय्यूब उसको बरदाश्त न कर सके और क़सम खाकर फ़रमाया कि मैं तुझको सौ कोड़े लगवाऊंगा। जब हज़रत अय्यूब ﷺ के इम्तिहान की मुद्दत ख़त्म हो गई और वह सेहतयाब हुए तो क़सम पूरी करने का सवाल सामने आया। एक तरफ़ ज़िंदगी की साथ की इंतिहाई वफ़ादारी, ग़मख़्वारी और अच्छी ख़िदमत करने का मामला और दूसरी तरफ़ क़सम को सच्चा और पूरा करने का सवाल, हज़रत अय्यूब ﷺ सख़्त तरद्दुद में थे कि अल्लाह तआ़ला ने नेक बीवी की नेकी और शौहर के साथ वफ़ादारी का यह सिला दिया कि सौ तिनकों का एक मुट्ठा बनाएं और उससे अपनी जीवन-साथी को मारें, इस तरह आपकी क़सम पूरी हो जाएगी।

5. सूरः साद में है 'उर्कुज़ बिरिज्ल-क हाज़ा मुग्तसलुंव बारिदुंव-व शराब', इब्ने कसीर ने उसकी तफ़्सीर में जो कुछ फ़रमाया है। उसका हासिल यह है—

Copyright OfflineDeeniApp

अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया कि अय्यूब ﷺ अपनी जगह से उठो और ज़मीन पर ठोकर मारो। अय्यूब ﷺ ने अल्लाह तआ़ला के हुक्म की तामील की, तो अल्लाह तआ़ला ने उनके लिए एक चश्मा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने ग़ुस्ल किया और जिस्म का ज़ाहिरी रोग सब जाता रहा। इसके वाद फिर उन्होंने ठोकर मारी और दूसरा चश्मा उबल पड़ा और उन्होंने उसका पानी पिया और उससे जिस्म के बातिनी हिस्से पर मरज़ का जो असर था, उसकी भी जड़ें कट गईं और इसी तरह वह चंगे होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाए।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने इब्ने जरीर के वास्ते से क़तादा से भी इसी क़िस्म का क़ौल नक़ल किया है—

चश्मा एक था या दो, इस बहस से हटकर अल्लाह तआ़ला ने हज़रत अय्यूब ﷺ के लिए सेहत का जो तरीक़ा अख़्तियार फ़रमाया, वह फ़ितरी तरीक़ा है। आज भी ऐसे मादनी (खनिज) चश्मे उसने इंसानी कायनात के फ़ायदे के लिए ज़ाहिर कर रखे हैं, जिनमें ग़ुस्ल करने और उनका पानी पीने से बहुत-से रोग कम हो जाते या दूर हो जाते हैं। फ़र्क़ इस क़दर है कि ऐसे चश्मे का ज़ाहिर होना अय्यूब के लिए एजाज़ की शक्ल में हुआ और आम हालात में अस्बाब के तहत हुआ करता है।

दूसरे वाक़िए

इमाम वुख़ारी रह० ने अपनी सहीह में रिवायत नक़ल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, हज़रत अय्यूब ﷺ ग़ुस्ल फ़रमा रहे थे कि अल्लाह तआ़ला ने सोने की कुछ टिड्डियां उन पर वरसाईं। हज़रत अय्यूव ने उनको देखा तो मुट्ठी भर कर कपड़े में रखने लगे। अल्लाह तआ़ला ने अय्यूव को पुकारा, अय्यूब! क्या हमने तुमको यह सब कुछ धन-दौलत देकर ग़नी नहीं वना दिया, फिर यह क्या?

हज़रत अय्यूव ﷺ ने अर्ज़ किया, परवरदिगार! यह सही और दुरुस्त, मगर तेरी नेमतों और वरकतों से कव कोई बे-परवाह हो सकता है? *'व लाकिन ला ग़नी अन बरकतिक०'*

Copyright OfflineDeeniApp

इस रिवायत की शरह करते हुए हाफ़िज़ इब्ने हजर तहरीर फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी रह० की अपनी शर्त के मुताबिक़ हज़रत अय्यूब ﷺ के वाक़िए से मुताल्लिक़ कोई ख़बर साबित नहीं हो सकी, इसलिए सिर्फ़ ऊपर लिखी गई रिवायत ही को उन्होंने काफ़ी समझा, इसलिए कि वह उनकी शर्त के मुताबिक़ सही है। इसके बाद हाफ़िज़ इब्ने हजर अपनी तरफ़ से फ़रमाते हैं कि इस सिलसिले में अगर कोई रिवायत सेहत को पहुंच सकी है, तो वह इस तरह है—

हज़रत अनस ﷺ से रिवायत है कि हज़रत अय्यूब तेरह साल तक मुसीबतों के इम्तिहान में मुब्तला रहे, यहां तक कि उनके तमाम रिश्ते-नातेदार और क़रीब व दूर के जान-पहचान के सभी लोगों ने उनसे किनारा कर लिया, अलबत्ता अज़ीज़दारों में से उनके दो अज़ीज़ सुबह व शाम उनके पास आते रहे। एक बार उनमें से एक ने दूसरे से कहा, मालूम होता है कि अय्यूब ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, तभी तो वह इसके बदले में ऐसी सख़्त मुसीबत में फंस गया है। अगर यह बात न होती तो अल्लाह उन पर मेहरबान न हो जाता और उनको शिफ़ा न हो जाती?

यह बात दूसरे ने हज़रत अय्यूब से कह सुनाई। अय्यूब यह सुनकर बड़े बेचैन और परेशान हो गए और अल्लाह की दरगाह में सज्दे में गिरकर दुआ करने लगे। इसके फ़ौरन बाद ही अय्यूब ﷺ ज़रूरत पूरी करने के लिए जगह से उठे और उनकी बीवी हाथ पकड़ कर ले गईं। जब फ़ारिग़ हुए और वहां से अलग हुए तो अल्लाह की वह्य नाज़िल हुई कि ज़मीन पर पांव से ठोकर मारो और जब उन्होंने ठोकर मारी तो पानी का चश्मा उबल पड़ा और उन्होंने ग़ुस्ले सेहत किया और पहले से ज़्यादा सही व तन्दुरुस्त नज़र आने लगे। यहां बीवी इंतिज़ार कर रही थी कि अय्यूब ﷺ ताज़गी और शगुफ़्तगी के साथ सामने नज़र आए। यह क़तई तौर पर न पहचान सकीं और अय्यूब से मुताल्लिक़ उन्हीं से मालूम करने लगीं। तब आपने फ़रमाया, मैं ही अय्यूब हूं और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम का वाक़िया सुनाया। रोज़ाना के खाने के लिए अय्यूब ﷺ के पास एक गठरी गेहूं की और एक जौ की थी। अल्लाह ने उनकी दौलत में इज़ाफ़ा करने के लिए गेहूं को सोने और जौ को चांदी

Copyright OfflineDeeniApp

में बदल दिया।

क़रीब-क़रीब इसी क़िस्म का वाक़िया इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ﷺ से भी रिवायत किया है और मुसीबत की मुद्दत के मुताबिक़ वह्ब बिन मुनब्बह तीन साल बयान करते हैं और हसन से सात साल नक़ल किए गए हैं।

सबक़ और नसीहत

1. अल्लाह की मख़्लूक़ में से जिसको अल्लाह तआ़ला के साथ जिस क़दर क़ुरबान हासिल होती है, उसी हिसाब से वह आज़माइशों और मुसीबतों की भट्ठी में ज़्यादा तपाया जाता है और जब वह उनके पेश आने पर सब्र व जमाव से काम लेता है तो यही मुसीबतें उसके क़ुर्ब वाले दर्जों की, ऊंचाई और बुलन्दी की वजह बन जाती हैं। चुनांचे इस मज़्मून को नबी अकरम ﷺ ने इन लफ़्ज़ों में इर्शाद फ़रमाया—

'मुसीबतों में सबसे ज़्यादा सख़्त इम्तिहान नबियों का होता है, इसके बाद नेक बन्दों का होता है और फिर मर्तबों और दर्जों के मुताबिक़। (हदीस)

'इंसान अपने दीन के दर्जों के मुताबिक़ आज़माया जाता है, पस अगर उसके दीन में पुख़्तगी और मज़बूती है तो वह मुसीबत की आज़माइश में भी दूसरों से ज़्यादा होगा।'

(हदीस)

2. इ़ज़्ज़त, शोहरत, दौलत, सरवत, ख़ुशहाली और अच्छी हालत में अल्लाह की शुक्रगुज़ारी और एहसान शनासी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है और अगर घमंड, गर्व और 'मैं' काम नहीं कर रहा है तो बहुत आसान है, लेकिन मुसीबत, आज़माइश, दुख-ग़म, तंगी, बदहाली में अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहकर शिकायत का एक लफ़्ज़ भी ज़ुबान पर न लाना और सब्र व इस्तिक़ामत का सबूत देना बहुत मुश्किल और कठिन है, इसलिए जब कोई अल्लाह का बन्दा इस बुरी हालत में सब्र व ज़ब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ता और सब्र व शुक्र का बराबर मुज़ाहरा करता है, तो फिर अल्लाह की रहमत भी जोश में आ जाती है और ऐसे आदमी पर उसके फ़ज़्ल व करम की बारिश होने लगती है और उम्मीद के ख़िलाफ़ बेपनाह फ़ज़्ल व करम से नवाज़ा जाता और

Copyright OfflineDeeniApp

दीन व दुनिया दोनों की कामरानी का हक़दार बन जाता है। चुनांचे हज़रत अय्यूब की मिसाल इसके लिए रोशन गवाही है।

तर्जुमा– *'और अय्यूब को हिदायत दी जिस वक़्त पुकारा उसने अपने रब को, बेशक मुझको पहुंची है ईज़ा और तू बहुत मेहरबान है सब मेहरबानी करने वालों से, पस क़ुबूल किया हमने वास्ते उसके, पस खोल दी हमने जो कुछ थी उसको पीड़ा और दी हमने उसको औलाद उसकी और मानिंद उनकी साथ उनके मेहरबानी अपनी तरफ़ से और नसीहत वास्ते इबादत करने वालों के।'*

(अंबिया : 83, 84)

3. इंसान को चाहिए कि किसी हालत में भी अल्लाह तआ़ला की रहमत से नाउम्मीद न हो, इसलिए कि मायूसी कुफ़्र का तरीक़ा है और यह न समझे कि मुसीबत व बला गुनाहों ही के बदले में वजूद में आती हैं, बल्कि कभी-कभी आज़माइश और इम्तिहान बनकर आती और सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए अल्लाह तआ़ला की रहमत का दरवाज़ा खोल देती है। एक हदीसे क़ुदसी में है कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को मुख़ातब करके इर्शाद फ़रमाता है, 'मैं अपने बन्दे के गुमान से क़रीब हूं।' (अल-हदीस) यानी वन्दा मेरे बारे में जिस क़िस्म का गुमान अपने दिल में रखता है, मैं उसके गुमान को पूरा कर देता हूं।

4. मियां-बीवी के ताल्लुक़ात में वफ़ादारी और जमाव सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है और इसीलिए एक हदीस में वस्वसों में सबसे घटिया वस्वसा, जो शैतान को बहुत ही प्यारा है, मियां-बीवी के दर्मियान बद-गुमानी और बुग़्ज़ और दुश्मनी के बीज बो देना है। इसलिए सही हदीसों में उस औरत को जन्नत की ख़ुशख़बरी दी गई है जो अपने शौहर के लिए नेक और वफ़ादार साबित हो और इस वफ़ा और मुहब्बत की क़द्र व क़ीमत उस वक़्त बहुत ज़्यादा हो जाती है जब शौहर, दुख और रंज में गिरफ़्तार हो और उसके अज़ीज़ और रिश्तेदार तक उससे अलग हो चुके हों, चुनांचे हज़रत अय्यूब की 'पाक बीवी' ने हज़रत अय्यूब की मुसीबत के ज़माने में जिस वफ़ादारी, इताअ़त, हमदर्दी और ग़मख़्वारी का सबूत दिया, अल्लाह ने उसके एहतराम में अय्यूब की क़सम को उनके हक़ में पूरा करने के लिए आम हुक्मों की क़िस्म से जुदा

Copyright OfflineDeeniApp

एक ऐसा हुक्म दिया जिससे अल्लाह तआ़ला के यहां उस नेक बीवी की क़द्र व अहमियत का आसानी से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।

5. तर्जुमा– *'और ख़ुशनूदी की ख़ुशख़बरी सुना दो उन लोगों को कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ़ लौट जाने वाले हैं। यही लोग हैं उन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रास्ते पर हैं।'* (अल-बक़रः : 157)

हज़रत यूनुस عليه السلام

हज़रत यूनुस عليه السلام का ज़िक्र कुरआन मजीद में

कुरआन मजीद में हज़रत यूनुस عليه السلام का ज़िक्र छः सूरतों में किया गया है, सूरः निसा, अनआ़म, यूनुस, अस्साफ़्फ़ात, अंबिया और अल-क़लम। इनमें से पहली चार सूरतों में नाम का ज़िक्र है और आख़िर की दो सूरतों में 'ज़ुन्नून' और 'साहिबुल हूत' कहकर सिफ़त ज़ाहिर की गई है। यह भी वाज़ेह रहे कि सूरः निसा और अनआ़म में नबियों की सूची में सिर्फ़ नाम का ज़िक्र है और बाक़ी सूरतों में वाक़ियों पर थोड़ी-सी रोशनी डाली गई है और हज़रत यूनुस عليه السلام की मुबारक ज़िंदगी के सिर्फ़ उसी पहलू को नुमायां किया गया है जो उनकी पैग़म्बराना ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और जिसमें रुश्द व हिदायत के अलग-अलग गोशे सोचने-समझने की दावत देते हैं। कुरआन में आता है–

फिर क्यों ऐसा हुआ यूनुस क़ौम की बस्ती के सिवा और कोई बस्ती न निकली कि (अ़ज़ाब नाज़िल होने से पहले) यक़ीन कर लेती और ईमान की बातों से फ़ायदा उठाती? यूनुस की क़ौम जब ईमान ले आई तो हमने रुसवाई का वह अ़ज़ाब उन पर से टाल दिया जो दुनिया की ज़िंदगी में पेश आने वाला था और एक ख़ास मुद्दत तक ज़िंदगी के सर व सामान से फ़ायदा उठाने की मोहलत दे दी और ज़ुन्नून (यूनुस) का मामला याद करो, जब ऐसा हुआ था कि वह (हक़ के रास्ते में) घबरा कर चला गया, फिर उसने ख़्याल किया कि हम उसको तंगी (आज़माइश) में नहीं डालेंगे, फिर (जब उसको आज़माइश की

Copyright OfflineDeeniApp

तंगी ने आ घेरा, तो) उसने (मछली के पेट में और दरिया की गहराई के) अंधेरियों में पुकारा, 'अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं! तेरे लिए हर तरह की पाकी हो!' सच यह है कि मैंने अपने ऊपर बड़ा ही जुल्म किया। तब हमने उसकी दुआ क़ुबूल की और उसे ग़मगीनी से निजात दी और हम इसी तरह ईमान वालों को निजात दिया करते हैं और बेशक यूनुस पैग़म्बरों में से था। (और वह वाक़िया याद करो) जबकि वह भरी हुई कश्ती की ओर भागा (और जब नाव वालों ने डूब जाने के डर से) क़ुरआ डाला, तो (दरिया में डाले जाने के लिए) उसका नाम निकला फिर निगल गई उसको मछली और वह (अल्लाह के नज़दीक क़ौम के पास से भाग आने पर) मलामत के क़ाबिल था। पस अगर यह बात न होती कि वह अल्लाह की पाकी बयान करने वालों में से था तो मछली के पेट में क़ियामत तक रहता, फिर डाल दिया हमने उसको (मछली के पेट से निकाल कर) चटयल ज़मीन में और वह नातवां और बेहाल था और हमने उस पर साए के लिए एक बेल वाला पेड़ उगाया और हमने उसको एक लाख से ज़्यादा इंसानों की तरफ़ बनाकर भेजा, पस वे ईमान ले आए। फिर हमने उसको एक मुद्दत (मौत के पैग़ाम) तक ज़िंदगी के सामान से नफ़ा उठाने का मौक़ा दिया।

पस अपने परवरदिगार के हुक्म की वजह से सब्र को काम में लाओ और मछली वाले (यूनुस) की तरह (बेसब्र) न हो जाओ, जबकि उसने (अल्लाह को) पुकारा और वह बहुत ग़मगीन था। अगर यह बात न होती कि उसके परवरदिगार के फ़ज़्ल ने उसको (गोद में) ले लिया था, तो वह ज़रूर चटयल मैदान में मलामत का मारा होकर फेंक दिया जाता। पस उसके परवरदिगार ने उसको वरगज़ीदा किया और उसको नेकों में लिखा।

हज़रत यूनुस को सूरः अंबिया में 'ज़ुन्नून' कहा गया है, इसलिए कि पुरानी अरबी ज़ुबान में 'नून' मछली को कहते हैं और अल-क़लम में 'साहिबुलहूत' से याद किया गया है क्योंकि 'हूत' भी मछली ही को कहते हैं और उन पर मछली का हादसा गुज़रा था, इसलिए 'मछली वाला' उनका लक़ब हो गया।

Copyright OfflineDeeniApp

नसब व ज़माना

बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ﷺ से साफ़-साफ़ रिवायत किया गया है कि मत्ता वालिद का नाम है और अह्ले किताब यूनुस का नाम बोनाह और उनके वालिद का नाम अमती बताते हैं, जहां तक उनके ज़माने का ताल्लुक़ है तो हज़रत इमाम बुख़ारी रह० ने 'किताबुल अंबिया' में जो तर्तीब क़ायम की है, उसमें यूनुस का ज़िक्र हज़रत मूसा ﷺ, हज़रत शुऐब ﷺ और हज़रत दाऊद ﷺ के दर्मियान किया है।

हज़रत शाह अ़ब्दुल क़ादिर (नव्वरल्लाहु मर्क़दहू) का क़ौल है कि यूनुस ﷺ हिज़क़ील के ज़माने के हैं, जबकि हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि यूनुस ﷺ के ज़माने का तै करना तारीख़ी एतबार से मुश्किल है। (हज़रत मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान रह०) का ख़्याल है कि हज़रत शाह अ़ब्दुल क़ादिर रह० का क़ौल सही मालूम होता है। *(वल्लाहु आलम)*

दावत की जगह

इराक़ के मशहूर व मारूफ़ मक़ाम नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए वे ज़ाहिर हुए थे। नैनवा आशूरी हुकूमत की राजधानी था और मूसल के इलाक़े में मर्कज़ी शहर था। क़ुरआन में इस शहर की आबादी एक लाख से ज़्यादा बताई गई है।

वफ़ात

शाह अ़ब्दुल क़ादिर नव्वरल्लाहु मरक़दहू फ़रमाते हैं कि यूनुस ﷺ की वफ़ात इसी शहर में हुई जिसकी जानिब को भेजे गए, यानी नैनवा में और वहीं उनकी क़ब्र थी। शाह साहब का यह क़ौल सही है।

Copyright OfflineDeeniApp

कुछ दूसरी बातें

यूनुस अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत

सहीह हदीसों में नबी अकरम ﷺ ने यूनुस अलैहिस्सलाम का भला ज़िक्र करते हुए उनकी अ़ज़्मत व फ़ज़ीलत का ख़ास ज़िक्र फ़रमाया है, चुनांचे बुख़ारी में नक़ल किया गया है--

नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तुममें से कोई आदमी हरगिज़ यह न कहे कि मैं (यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) बेहतर हूं 'यूनुस बिन मत्ता' से।

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है कि एक बार एक यहूदी सामान बेच रहा था कि किसी आदमी ने कुछ ख़रीद कर जो क़ीमत देनी चाही, वह उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी। वह कहने लगा, ख़ुदा की क़सम! जिसने मूसा को अफ़ज़ल बशर बनाया, मैं इस क़ीमत पर अपनी चीज़ को नहीं बेचूंगा। एक अंसारी ने यह सुना तो ग़ुस्से में यहूदी को एक तमांचा रसीद कर दिया और कहा, तू ऐसी बात कहता है, जबकि हमारे दर्मियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मौजूद हैं। यहूदी फ़ौरन दरबारे रिसालत में हाज़िर हुआ और फ़रियाद करने लगा, अबुल क़ासिम! जबकि मैं आपके अह्द और ज़िम्मे में हूं तो इस अंसारी ने मेरे मुंह पर तमांचा किस लिए मारा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अंसारी से वजह मालूम की और जब अंसारी ने वाक़िया सुनाया तो फिर मुबारक चेहरा ग़ुस्से से लाल हो गया और फ़रमाया, नबियों को एक दूसरे पर फ़ज़ीलत न दो, इसलिए कि जब पहला सूर फूंका जाएगा, तो ज़मीन व आसमान के अन्दर जो भी जानदार हैं, वे सब बेहाश हो जाएंगे, मगर जिनको अल्लाह अलग कर दे। इसके बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सबसे पहले जो आदमी होश में आएगा, वह मैं हूंगा, मगर मैं जब ग़शी से बेदार हूंगा तो देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अ़र्श के सहारे खड़े हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि उनकी ग़शी का मामला सूर के वाक़िए में महसूब

Copyright OfflineDeeniApp

हो गया कि वह ग़शी से बचे रहे या वह मुझसे भी पहले होश में आ गए और मैं नहीं कहता कि कोई नबी भी यूनुस बिन मत्ता से अफ़ज़ल है।

इन रिवायतों से ख़ुसूसियत के साथ हज़रत युनूस ﷺ का जो ज़िक्र आया है तो इस पर उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है कि वह सिर्फ़ इसीलिए कि जो आदमी भी हज़रत यूनुस के वाक़ियों को पढ़े, उसके दिल में ज़ाते अक़्दस के ताल्लुक़ से कोई ख़राब पहलू भी न आने पाए, पस ज़रूरी हुआ कि उनकी शान की अज़्मत को नुमायां करके तंक़ीस (ख़राबी निकालने) के इस डर को ख़त्म कर दिया जाए।

नबियों (अ़लैहिमुस्सलाम) के फ़ज़ाइल

मगर इस जगह यह मसूअला ज़रूर हल तलब हो जाता है कि दूसरी हदीस में हज़रत मूसा ﷺ की फ़ज़ीलत के ताल्लुक़ से आपने जो तफ़्सील इर्शाद फ़रमाई और *'ला तफ़ज़्ज़लू बैनल अंबिया'* (नबियों के दर्मियान एक दूसरे को फ़ज़ीलत न दो) फ़रमा कर नबियों के दर्मियान फ़ज़ीलत की 'नहीं' कर दी तो इस मसले की हक़ीक़त क्या है?

इसे और नुमायां करने के लिए यों समझना चाहिए कि एक तरफ़ क़ुरआन में इर्शाद है—'रसूलों में हमने कुछ को कुछ पर फ़ज़ीलत अ़ता फ़रमाई' साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया—'मैं बग़ैर किसी फ़ख़्र के कहता हूं कि मैं आदम की तमाम औलाद का सरदार हूं और आपने यह भी फ़रमाया, नबियों के दर्मियान अफ़ज़ल-ग़ैर अफ़ज़ल का फ़र्क़ क़ायम न करो और न एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दो। तो आपस में इनमें किस तरह मेल हो सकता है? इस मसूअले का बेहतरीन हल यह है कि बेशक नबियों और रसूलों के दर्मियान फ़ज़ाइल मौजूद हैं और उनके दर्मियान अफ़ज़ल और मफ़्ज़ूल की निस्बत क़ायम है और यक़ीनी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तमाम नबियों और रसूलों से अफ़ज़ल हैं, फिर ऊपर की रिवायतों में आपने जो नबियों के दर्मियान फ़ज़ीलत देने से मना किया है, तो इसका मतलब यह है कि किसी नबी को दूसरे नबी पर इस तरह की फ़ज़ीलत देने से रोका गया है कि इस नबी की कमज़ोरी बताना

Copyright Offline Demo App

हो तो अफ़ज़ल नहा ह, याना यह नहीं होना चाहिए कि किसी पैग़म्बर की मुहब्बत के जोश में दूसरे नबियों का मुक़ाबला करते हुए ऐसी तारीफ़ की जाए कि जिससे किसी दूसरे पैग़म्बर में कमी या कमज़ोरी (नुक़्स) का पहलू निकलता हो, साथ ही ऐसे मौक़े पर फ़ज़ीलत की बहस से रोका गया है, जबकि यह लड़ाई-झगड़े की शक्ल अख़्तियार कर ले इसलिए कि ऐसी शक्ल में एहतियात के बावजूद इंसान बेक़ाबू होकर दूसरे पैग़म्बर के बारे में ऐसी बातें कह जाएगा जो उनकी तौहीन और तंक़ीस (नुक़्स निकालना) की वजह बनती हैं और नतीजे में ईमान की जगह कुफ़्र लाज़िम हो जाता है। चुनांचे जिस वाक़िए में आपने यह इर्शाद फ़रमाया था, वह इसी क़िस्म के लड़ाई-झगड़े का मौक़ा था। बाक़ी नबियों के दर्मियान अल्लाह तआ़ला ने कुछ ख़ुसूसियतों के एतबार से जो दर्जों का फ़र्क़ क़ायम किया है और जिसके बारे में ख़ुद यह फ़रमाया है—

'तिलकर्रुसुलु फ़ज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़' तो यह मामला अपनाने लायक़ है, न कि छोड़ने लायक़।'

कुछ सबक़, कुछ नसीहतें

1. क़ौमों की रुश्द व हिदायत से मुताल्लिक़ यह 'अल्लाह की सुन्नत' है कि जब वह नबी की दावत से मुंह मोड़कर सरकशी पर इसरार करने लगती और जुल्म करती, जुल्म ढाने को उसवा बना लेती है और नबी मायूस होकर उनको अ़ज़ाब की ख़बर दे देता है, तो फिर उम्मत के लिए सिर्फ़ दो राहें बाक़ी रह जाती हैं, या अ़ज़ाब आने से पहले ईमान ले आए और अ़ज़ाब से बच जाए और या अल्लाह के अ़ज़ाब का शिकार हो जाए और यह नामुम्किन है कि नबी की अ़ज़ाब की इत्तिला के बाद वे अ़ज़ाब से पहले ईमान भी न लाएं और अ़ज़ाब से भी बच जाएं।

क़ौमे नूह, क़ौमे सालेह, क़ौमे लूत, आद, समूद वग़ैरह इन सब पुराने नामों और पिछली क़ौमों का शानदार तमद्दुन (संस्कृति) ऊंची और शानदार तहज़ीव (सभ्यता), भारी-भरकम ताक़त और क़ूवत और फिर अल्लाह के अ़ज़ाब से उनका फ़ना होकर बेनाम व निशान हो जाने की तारीख़ इस हक़ीक़त

Copyright OfflineDeeniApp

को खोल देती है।

2. पिछली क़ौमों में से क़ौमे यूनुस की मिसाल ऐसी है जिसने अ़ज़ाब आने से पहले ईमान को क़ुबूल किया और वह अल्लाह की सच्ची मुतीअ् व फ़रमांबरदार बनकर अल्लाह के अ़ज़ाब से बच गई, काश कि बाद में आने वाली नस्लें और क़ौमें यूनुस के नक़्शे क़दम पर चलकर उसी तरह अल्लाह के अ़ज़ाब से बची रह सकतीं, मगर अफ़सोस कि ऐसा न हुआ।

3. नबियों का अल्लाह तआ़ला के साथ मामला आम और ख़ास दोनों से जुदा रहता है और रहना भी चाहिए, इसलिए कि वे सीधे-सीधे अल्लाह से मुख़ातब होने और बात करने का शरफ़ रखते हैं, इसलिए अल्लाह के अह्काम के मिसाल में लेने की वह ज़िम्मेदारी जो उनसे जुड़ी होती है, वह दूसरों के साथ नहीं होती पस उनका फ़र्ज़ है कि जो काम भी अंजाम दें, अल्लाह की वह्य की रोशनी में होना चाहिए, ख़ास तौर से दीन की तब्लीग़ और हक़ के पैग़ाम से मुताल्लिक़ तमाम मामलों में अल्लाह की वह्य के इल्मुल यक़ीन ही पर उनका मामला लटका रहे। यही वजह है कि जब वे किसी काम में जल्दी कर बैठते हैं या वह्य का इन्तिज़ार किए बग़ैर किसी क़ौल या अ़मल पर क़दम उठाते हैं, तो भले ही वह बात कितनी ही मामूली क्यों न हो, उनकी अल्लाह तआ़ला बहुत सख़्त पकड़ करता और उनकी इस सरूतेहाल के लिए ऐसी सख़्त ताबीर करता है कि सुनने वाले को महसूस होता है कि सच में उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, मगर साथ ही उसकी मदद भी शामिले हाल रही है और वह तुरन्त तंबीह लेकर ग़लती माफ़ करने के लिए दुआ़ करते हैं और तौबा को काम का वसीला बनाते हैं जो बहुत जल्द अल्लाह के यहां मक़्बूल हो जाती और उनकी इ़ज़्ज़त व एहतराम में ज़्यादती की वजह बन जाती है।

क़ुरआन के बयान करने के तरीक़े में इस सच्चाई की बहुत ज़यादा अहमियत है और जो इस सच्चाई को नहीं जानता, उसके लिए इस क़िस्म के मौक़े ज़्यादा उलझनों की वजह बनते हैं, क्योंकि वह एक तरफ़ देखता है कि अल्लाह एक हस्ती को नबी और रसूल कहकर उसकी तारीफ़ कर रहा है और दूसरी ओर यह नज़र आता है कि गोया वह बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, तो वह हैरान और परेशान होकर या टेढ़ का शिकार हो कर रह जाता है या

Copyright OfflineDeeniApp

वस्वसों के अंधेरे मैदान में घिर जाता है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि नबियों के हालात में हमेशा इस बात को सामने रखा जाए, ताकि सीधे रास्ते से पांव न डगमगा जाएं।

4. इस्लाम की तालीम यह है कि अल्लाह के सच्चे नबी इस्लाम के अपने नबी हैं, चाहे वे किसी दीन से ताल्लुक़ रखते हों और उन पर इसी तरह ईमान लाना ज़रूरी है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाना, इसलिए इसका यक़ीन रखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तमाम नबियों और रसूलों के सरदार और अफ़ज़लुल-बशर हैं, किसी नबी के मुक़ाबले में आपकी ऐसी तारीफ़ और बखान करने से सख़्ती से मना किया गया है जिससे किसी नबी की भी कोई कमज़ोरी सामने आती हो, जैसा कि आम तौर पर मीलाद की पाई जाने वाली मज्लिसों में इस अहम हक़ीक़त से ना आशना मीलाद-ख़्वानों के शेर में यह मना किया गया तरीक़ा पाया जाता है।

नोट–हज़रत यूनुस عليه السلام के क़िस्से से मुताल्लिक़ क़ुरआनी आयतों की तफ़्सीर में तफ़्सीर लिखने वालों के इख़्तिलाफ़ जिसकी बुनियाद ज़्यादातर लुग़त और ग्रामर पर है, शामिल नहीं किए गए। (मुरत्तिब)

हज़रत ज़ुलकिफ़्ल عليه السلام

क़ुरआन और ज़ुलकिफ़्ल

क़ुरआन में ज़ुलकिफ़्ल का ज़िक्र दो सूरतों 'अंबिया' और 'साद' में किया गया है और उनमें भी सिर्फ़ नाम आया है, लेकिन न तफ़्सील, न इज्माल किसी क़िस्म के हालात का कोई तज़्किरा नहीं है।

तर्जुमा–*'और इस्माईल और इदरीस और ज़ुलकिफ़्ल सब (राहे हक़ में) सब्र करने वाले थे। हमने उन्हें अपनी रहमत के साए में ले लिया। यक़ीनन वे नेक बन्दों में से थे।* (अल-अंबिया 85-86)

तर्जुमा–*और याद करो इस्माईल, अल-यसअ और ज़ुलकिफ़्ल (के वाक़िए) और वे सब नेक लोगों में से थे।* (साद 48)

Copyright OfflineDeeniApp

हालात

क़ुरआन की तरह सहीह हदीसों में हज़रत ज़ुलकिफ़्ल के बारे में कोई चीज़ नक़ल नहीं हुई है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि हज़रत ज़ुलकिफ़्ल अल्लाह के बर्गज़ीदा नबी और पैग़म्बर थे और किसी क़ौम की हिदायत के लिए भेजे गए थे। हज़रत ज़ुलकिफ़्ल से मुताल्लिक़ तौरात भी ख़ामोश है और इस्लामी तारीख़ भी।

सबक़

ऐसा मालूम होता है कि हज़रत ज़ुलकिफ़्ल बनी इसराईल में से हैं और उनके ज़माने में कोई ख़ास वाक़िया ऐसा पेश न आया जो आम तब्लीग़ व हिदायत से ज़्यादा अपने अन्दर इबरत व बसीरत का पहलू रखता हो। इसलिए क़ुरआन ने उनके नाम को ही सिर्फ़ काफ़ी समझा और हालात व वाक़ियात को नहीं छेड़ा।

हज़रत उज़ैर عليه السلام

क़ुरआन और हज़रत उज़ैर عليه السلام

क़ुरआन मजीद में हज़रत उज़ैर عليه السلام का नाम सिर्फ़ एक जगह सूरः तौबा में ज़िक्र किया गया है और उसमें भी सिर्फ़ यही कहा गया है कि यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जिस तरह नसारा (ईसाई) हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। (तौरात में हज़रत उज़ैर عليه السلام को 'अज़रा' नबी (EZRA) कहा गया है।)

तर्जुमा–*और यहूदियों ने कहा, उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाइयों ने कहा, मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी बातें हैं, महज़ उनकी ज़ुबानों से निकाली हुई। उन लोगों ने उन्हीं की सी बात कही जो पहले कुफ़्र का रास्ता अख़्तियार कर चुके हैं। उन पर अल्लाह की लानत, ये किधर भटके जा रहे हैं?*

(तौबा 9/10)

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत उज़ैर की मुबारक ज़िंदगी

हज़रत उज़ैर अ़लैहिस्सलाम की पाक ज़िंदगी से मुताल्लिक़ तफ़्सीली हालात का कुछ ज़्यादा मैटर सीरत और तारीख़ की किताबों में नहीं पाया जाता। तारीख़ लिखने वालों का इत्तिफ़ाक़ है कि वह हज़रत हारून ﷺ बिन इमरान की नस्ल से हैं और तर्जीह के क़ाबिल क़ौल यही है कि वह बेशक अल्लाह के पैग़म्बर हैं।

हज़रत उज़ैर ﷺ और अल्लाह का बेटा होने का अ़क़ीदा

लगभग सातवीं सदी क़ब्ल मसीह के बीच में बख़्ते नस्र ने बनी इसराईल को हरा कर यरूशलम और फ़लस्तीन के तमाम इलाक़ों को बर्बाद कर डाला, तमाम बनी इसराईल को क़ैद करके भेड़-बकरियों की तरह हंकाता हुआ बाबिल ले गया और तौरात के तमाम नुस्ख़ों (प्रतियों) को जलाकर राख कर दिया, यहां तक कि एक नुस्ख़ा भी बनी इसराईलियों के हाथ में न बच सका। उनमें तौरात का कोई हाफ़िज़ भी न था, इसलिए बनी इसराईल तौरात से क़तई तौर पर महरूम हो गए। एक लम्बी मुद्दत की क़ैद के बाद जब उनको रिहाई मिली और वे दोबारा बैतुलमक़्दिस में आबाद हुए तब हज़रत उज़ैर ﷺ (अज़रा) नबी ने सब इसराईलियों को जमा किया और उनके सामने तौरात को शुरू से आख़िर तक पढ़ा और लिख लिया। इस तरह तौरात लिखने से हज़रत उज़ैर ﷺ की क़द्र और इज़्ज़त इसराईलियों में इतनी बढ़ गई कि उसने गुमराही की शक्ल अख़्तियार कर ली कि उन्होंने उज़ैर ﷺ को अल्लाह का बेटा मान लिया और उनकी एक जमाअ़त ने उसकी एक दलील यह क़ायम की कि हज़रत उज़ैर ﷺ ने बग़ैर किसी तख़्ती या काग़ज़ के अपने सीने की लौह से उसको (तौरात को) एक-एक हर्फ़ करके उनके सामने नक़ल कर दिया। हज़रत उज़ैर ﷺ में यह क़ुदरत जब ही हुई कि वह अल्लाह का बेटा है। (अल-अयाज़ बिल्लाह) 'सुबहान-क हाज़ा बुहतानुन अज़ीम०'

सूरः बक़रः में ज़िक्र किया गया वाक़िया

सूरः बक़रः में एक वाक़िया इस तरह ज़िक्र किया गया है—

Copyright OfflineDeeniApp

तर्जुमा–*और क्या तुमने उस आदमी का हाल देखा जिसका एक बस्ती पर गुज़र हुआ, जो अपनी छतों समेत ज़मीन पर ढेर था, तो वह कहने लगा, इस बस्ती की मौत (तबाही) के बाद अल्लाह तआ़ला किस तरह इसको ज़िंदगी देगा (आबाद करेगा) पस अल्लाह ने उस आदमी पर (उसी जगह) सौ वर्ष तक मौत तारी कर दी और फिर ज़िंदा कर दिया। अल्लाह ने मालूम किया, तुम यहां कितनी मुद्दत पड़े रहे? उसने जवाब दिया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम सौ वर्ष तक इस हालत में रहे, पस तुम अपने खाने-पीने (की चीज़ों) को देखो कि वह बिगड़ी तक नहीं और फिर अपने गधे को देखो (कि वह गल-सड़ कर हड्डियों का ढांचा रह गया है) और (यह सब कुछ इसलिए हुआ) ताकि हम तुम लोगों के लिए 'निशान' बनाएं और अब तुम देखो कि किस तरह हम हड्डियों को एक दूसरे पर चढ़ाते हैं और आपस में जोड़ते हैं और फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं, फिर जब उसको हमारी क़ुदरत का मुशाहदा हो गया तो उसने कहा, मैं यक़ीन करता हूं कि बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है।* (2 : 259)

इन आयतों की तफ़्सीर में यह सवाल पैदा होता है कि वह आदमी कौन था, जिसके साथ यह वाक़िया पेश आया. तो इसके जवाब में मशहूर क़ौल यह है कि यह हज़रत उज़ैर ﷺ थे। जिन रिवायतों में हज़रत उज़ैर ﷺ को ऊपर की बातों का मिस्दाक़ क़रार दिया गया है, उनमें यह भी साफ़ है कि हज़रत उज़ैर ﷺ नबी नहीं 'मर्दे सालेह' (नेक और भले आदमी) थे हालांकि जम्हूर का क़ौल है कि हज़रत उज़ैर ﷺ नबी थे, क्योंकि क़ुरआन ने जिस अन्दाज़ और ढंग से उनका ज़िक्र किया है, वह भी इसी की दलील बनता है।

तवज्जोह के क़ाबिल बात यह है कि सूरः बक़रः की ऊपर की आयत में अल्लाह ने जिस शख़्स को बिला वास्ता ख़िताब किया है और उससे हमकलाम हुआ है, वह उसके 'मर्द सालेह' नहीं, नबी होने का खुला सुबूत है। इस टकराव को निगाह में रखकर (मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान स्योहारवी रह० ने) तफ़्सीली और तारीख़ी बहस के बाद यह ख़्याल ज़ाहिर किया है कि ऊपर के वाक़िए में जिस आदमी का ज़िक्र है वह हज़रत इर्मियाह (यर्मियाह Jaremiah) नबी थे।

Copyright OfflineDeeniApp

सबक़

इंसान कितनी ही तरक़्क़ी की सीढ़ियां पार कर ले और अल्लाह के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वह अल्लाह का बन्दा ही रहता है। वह अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। यह इंसान की सबसे बड़ी गुमराही है कि वह जब किसी बुज़ुर्ग इंसान से ऐसी बातें होते देखता है जो आम तौर पर अक़्ल के नज़दीक हैरत में डालने वाली और ताज्जुब में डालने वाली हों तो वह रौब या अ़क़ीदत की ज़्यादती की वजह से उसके बारे में ग़लत और बातिल अ़क़ीदा अख़्तियार कर लेता है।

हज़रत जक़रिया عليه السلام

क़ुरआन और हज़रत ज़कारिया عليه السلام

क़ुरआन में हज़रत ज़कारिया का ज़िक्र चार सूरतों, आले इमरान, अनआ़म, मरयम और अंबिया में आया है, उनमें से सूरः अनआ़म में सिर्फ़ अंबिया की फ़ेहरिस्त में नाम ज़िक्र किया गया है और बाक़ी तीन सूरतों में मुख़्तसर तज़्किरा नक़ल किया गया है। लेकिन क़ुरआन में जिस ज़कारिया का ज़िक्र हुआ है, यह वह नहीं हैं जिनका ज़िक्र मज्मूआ़ए-तौरेत के सहीफ़ा ज़कारिया (ZECHA RIAH) में आया है।

ज़िंदगी के हालात

हज़रत ज़कारिया के हालात तफ़्सील से मालूम नहीं हैं, लेकिन जिस क़दर भी क़ुरआन और सीरत और तारीख़ की भरोसे की रिवायतों से मालूम हो सके हैं, वे यह हैं–

1. हज़रत ज़कारिया बनी इसराईल में इ़ज़्ज़तदार काहिन [इस्लाम के पहले दौर में अरब में जो काहिन मुस्तक़्बिल (भविष्य) के हालात बतलाते थे, वे इस मंसब से अलग हैं] भी थे और ऊंचे रुत्बे वाले पैग़म्बर भी। चुनांचे क़ुरआन ने उनको नबियों की फ़ेहरिस्त में गिनते हुए इर्शाद फ़रमया है–

Copyright OfflineDeeniApp

तर्जुमा–*'और ज़करिया और यह्या और ईसा और इलयास, ये सब नेक लोगों में से हैं।'* (6 : 85)

2. पिछले तज़्किरों में बयान किया गया है कि तमाम नबी अ़लैहिमुस्सलाम, चाहे वे बादशाह हों और हुकूमत वाले ही क्यों न हों, अपनी रोज़ी हाथ की मेहनत से पैदा करते और किसी के कंधे पर बोझ नहीं होते थे। इसीलिए हर नबी ने जब अपनी उम्मत को रुश्द व हिदायत की तब्लीग़ की है, तो साथ ही यह भी एलान कर दिया है–

तर्जुमा–*'मैं तुमसे इस तब्लीग़ पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र तो अल्लाह के सिवा और किसी के पास नहीं है।'*

चुनांचे हज़रत ज़करिया भी अपनी रोज़ी के लिए नज्जारी (बढ़ई का काम) का पेशा करते थे, जैसा कि हदीसों में ज़िक्र हुआ है।

3. हज़रत ज़करिया के ख़ानदान में इमरान बिन नाशी और उसकी बीवी हन्ना, दो नेक नफ़्स इंसान थे, मगर औलाद न थी। हन्ना की दुआ से उनके यहां एक लड़की पैदा हुई जिनका नाम उन्होंने मरयम रखा। समझदार हो गईं तो ज़करिया ने उनके लिए हैकल के क़रीब एक हुजरा मख़्सूस कर दिया, जहां वह अल्लाह की इबादत में लगी रहतीं और रात अपनी ख़ाला हज़रत ज़करिया ﷺ की मोहतरमा बीवी के पास गुज़ारतीं। उस ज़माने में–

तर्जुमा–*'जब ज़करिया मरयम के पास मेहराब (ख़लवत) में दाख़िल होता, तो उसके पास खाने-पीने का सामान रखा देता। ज़करिया ने मालूम किया, मरयम! यह तेरे पास कहाँ से आता है? मरयम ने कहा, यह अल्लाह के पास से है। वह बिला शुबहा जिसको चाहता है, बेगुमान रोज़ी अ़ता कर देता है।* (3 : 37)

हज़रत ज़करिया ﷺ के यहां औलाद

ज़करिया ﷺ के यहां कोई औलाद न थी और उनको ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि उनके भाई-बंद बनी इसराईल की ख़िदमत के अह्ल न थे। इसलिए उनके दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि अगर अल्लाह उनके यहाँ कोई नेक और भली तबिय्यत का लड़का पैदा कर दे, तो यह उनके लिए इत्मीनान

Copyright OfflineDeeniApp

की वजह हो जाए, लेकिन वह बड़ी उम्र वाले हो चके थे और उनकी बीवी भी बांझ थीं। इस हालत के बावजूद अब उन्होंने मरयम पर अल्लाह का लुत्फ़ व करम देखा, तो उम्मीद बंधी और उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की–

तर्जुमा–*'जब ऐसा हुआ था कि ज़कारिया ने चुपके-चुपके अपने पालनहार को पुकारा, उसने अ़र्ज़ किया, पालनहार! मेरा जिस्म कमज़ोर पड़ गया है, मेरे सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए हैं। ऐ अल्लाह! कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तेरी जनाब में दुआ की हो और महरूम रहा हूं। मुझे अपने मरने के बाद अपने भाई-बंदों से अंदेशा है (कि न जाने वे क्या ख़राबी फैलाएं) और मेरी बीवी बांझ है, पस तू अपने ख़ास फ़ज़्ल से मुझे एक वारिस बख़्श दे, ऐसा वारिस जो मेरा भी वारिस हो और याक़ूब के ख़ानदान (की बरकतों) का भी, और पालनहार! उसे ऐसा कर दीजियो, जिससे कि (तेरे और तेरे बंदों की नज़र में) पसंदीदा हो। (इस पर हुक्म हुआ) ऐ ज़कारिया! हम तुझे एक लड़के की पैदाइश की ख़ुशख़बरी देते हैं। उसका नाम यह्या रखा जाए, इससे पहले हमने किसी के लिए यह नाम नहीं ठहराया है। (ज़कारिया ने ताज्जुब से कहा) परवरदिगार! मेरे यहां लड़का कहां से होगा, मेरी बीवी बांझ हो चुकी और मेरा बुढ़ापा दूर तक पहुंच चुका, इर्शाद हुआ, ऐसा ही होगा, तेरा पालनहार फ़रमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैंने इससे पहले ख़ुद तुझे पैदा किया, हालांकि तेरी हस्ती का नाम व निशान न था। इस पर ज़कारिया ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह! मेरे लिए (इस बारे में) एक निशानी ठहरा दे। फ़रमाया तेरी निशानी यह है कि सही व तंदुरुस्त होने के बावजूद तू तीन रात लोगों से बात न करेगा। फिर वह हुजरे से निकला और अपने लोगों में आया और उसने उनसे इशारे से कहा, 'सुबह-शाम अल्लाह की पाकी और जलाल की सदाएं बुलद करते रहो'* (19 : 3-11)

और सूरः अंबिया में इर्शाद है–

तर्जुमा–*'और (इसी तरह जकरिया का मामला याद करो) जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा था, ऐ ख़ुदा! मुझे (इस दुनिया में) अकेला न छोड़ (यानी बग़ैर वारिस के न छोड़) और (वैसे तो) तू ही (हम सबका) बेहतर वारिस है, तो देखो हमने उसकी पुकार सून ली। उसे (एक फ़रज़ंद) यह्या अ़ता*

Copyright OfflineDeeniApp

फ़रमाया और उसकी बीवी को उसके लिए तरन्दुतस्त कर दिया। ये तमाम लोग नेकी की राहों में सरगर्म थे (और हमारे फ़ज़्ल से) उम्मीद लगाए हुए और (हमारे जलाल से) डरते हुए दुआएं मांगते थे और हमारे आगे इज्ज़ व नियाज़ से झुके हुए थे। (21 : 89-90)

और सूरः आले इमरान में इर्शाद है—

तर्जुमा—उसी वक़्त ज़करिया ने अपने पालनहार से दुआ की, कहा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझको अपनी फ़ज़्ल से पाकीज़ा औलाद अ़ता कर। बेशक तू दुआ का सुननेवाला है, फिर जब ज़करिया हुजरे के अंदर नमाज़ में मश्ग़ूल था तो फ़रिश्तों ने उसको आवाज़ दी कि अल्लाह तुझको यह्या की (पैदाइश की) ख़ुशख़बरी देता है, जो गवाही देगा अल्लाह के एक कलिमा (ईसा) की और सब्बे वाला होगा और औरत के पास तक न जाएगा (या हर क़िस्म की छोटी-बड़ी तलवीस से पाक होगा) और नेकों से (होते हुए) नबी होगा। (ज़करिया) ने कहा, परवरदिगार! मेरे लड़का किस तरह होगा, जबकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया़ और मेरी बीवी बांझ है। फ़रमाया, अल्लाह जो चाहे, इसी तरह करता है। ज़करिया ने कहा, परवरदिगार! मेरे लिए कोई निशानी मुक़र्रर कीजिए, फ़रमाया, यह निशानी है कि तू तीन दिन लोगों से इशारे के सिवा (ज़ुबान से) बात न करेगा और अपने रब की याद में (शुक्र के ज़ाहिर करने के लिए) बहुत ज़्यादा रह और सुबह-शाम तस्बीह कर।' (3 : 38-41)

तफ़्सीरी नुक्ते

हज़रत ज़करिया के वाक़िए से मुताल्लिक़ सबसे अह्म नुक्ता ऊपर की आयत में 'यह निशानी है कि तू तीन दिन लोगों से इशारे के सिवा (ज़ुबान से) बात न करेगा' से मुताल्लिक़ है। (हज़रत मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान स्योहारवी रह०) के मुताबिक़ बात न करने से मतलब यह है कि ज़ुबान में बोलने की ताक़त के पूरी तरह रहने के बावजूद निशानी के तौर पर तीन दिन के लिए अल्लाह की ओर से ज़ुबान में रुकावट पैदा हो गई थी और चूंकि पुराने बुज़ुर्ग उन दिनों में रोज़ा रखने से भी इत्तिफ़ाक़ नहीं करते, इसलिए यह सूरत भी क़ुबूल करने के क़ाबिल नहीं है। रहा इस अ़र्से के लिए 'गूंगा हो जाना' तो

Copyright OfflineDeeniApp

यह किसी की भी राय नहीं'

ज़करिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात

यह्या के वाक़िए की गवाही के तौर पर सीरत व तारीख़ के उलेमा के दर्मियान यह मामला इख़्तिलाफ़ी रहा है कि ज़करिया की वफ़ात तबई मौत से हुई या वह शहीद किए गए और लुत्फ़ यह है कि दोनों की सनद वह्ब बिन मुनब्बः ही पर जाकर पहुंचती है। चुनांचे वह्ब की एक रिवायत में है कि यहूदियों ने जब यह्या को शहीद कर दिया तो फिर ज़करिया की तरफ़ मुतवज्जह हुए कि उनको भी क़त्ल करें, ज़करिया ने जब यह देखा तो वह भागे, ताकि उनके हाथ न लग सकें। सामने एक पेड़ आ गया और वह उसके शिगाफ़ में घुस गए, यहूदी पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने जब यह देखा तो उनको निकलने पर मजबूर करने के बजाए पेड़ पर आरा चला दिया। जब आरा ज़करिया पर पहुंचा तो अल्लाह की वह्य आई और ज़करिया को कहा गया कि अगर तुमने कुछ भी आह व ज़ारी की, तो हम यह सब ज़मीन तह व बाला कर देंगे और अगर तुमने सब्र से काम लिया तो हम भी इन यहूदियों पर फ़ौरन अपना ग़ज़ब नाज़िल नहीं करेंगे, चुनांचे ज़करिया ने सब्र से काम लिया और उफ़ तक नहीं की और यहूदियों ने पेड़ के साथ उनके भी दो टुकड़े कर दिए और उन्हीं वह्ब से दूसरी रिवायत यह है कि पेड़ पर आरा चलाने का जो मामला पेश आया, वह शाया अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है और ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तबई मौत से वफ़ात पाई।

बहरहाल मशहूर क़ौल यही है कि उनको भी यहूदियों ने शहीद कर दिया था। रहा यह मामला कि किस तरह और किस जगह शहीद किया, तो इसके बारे में सिर्फ़ यही कहा जा सकता है कि *'वल्लाहु आलमु बिहक़ीक़तिलहाल* (हक़ीक़ते हाल को अल्लाह ही बेहतर जानता है)

('नतीजा और सबक़' हज़रत यह्या के क़िस्से में देखिए)

Copyright OfflineDeeniApp

हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम

क़ुरआन और यह्या अलैहिस्सलाम

क़ुरआन मजीद में हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम का ज़िक्र उन्हीं सूरतों में आया है, जिनमें उनके मोहतरम वालिद हज़रत ज़कारिया का ज़िक्र है और जिनकी दुआ़ओं का वह हासिल थे।

'ऐ ज़कारिया! हम बेशक तुमको बशारत देते हैं एक बेटे की, उसका नाम यह्या होगा कि इससे पहले हमने किसी के लिए यह नाम नहीं ठहराया है।'

(19 : 7)

हज़रत ज़कारिया और बेटे की विलादत

हज़रत यह्या से मुताल्लिक़ रिवायतों का हासिल यह है कि वह यानी हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से छः महीने बड़े थे और यह्या अलैहिस्सलाम के लिए जब ज़कारिया अलैहिस्सलाम ने दुआ़ की तो उसमें यह कहा था कि वह 'पाक औलाद' हो, चुनांचे क़ुरआन अज़ीज़ ने बताया कि अल्लाह तआ़ला ने उनकी दुआ़ मंज़ूर फ़रमा ली, चुनांचे यह्या नेकों के सरदार और ज़ुह्द और तक़्वा में बे-मिसाल थे, न उन्होंने शादी की और न उनके दिल में कभी गुनाह का ख़तरा पैदा हुआ और अपने बुज़ुर्ग बाप की तरह वह भी अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और अल्लाह तआ़ला ने उनको बचपन ही में इल्म व हिक्मत से भर दिया था और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम यह था कि वे ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बशारत देते और उनके आने से पहले रुश्द व हिदायत के लिए ज़मीन हमवार करते थे। चुनांचे मुबारक इर्शाद है–

तर्जुमा–*'पस ज़कारिया जिस वक़्त मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहा था, तो फ़रिश्ते ने उसको पुकारा। ऐ ज़कारिया! अल्लाह तुमको (एक फ़र्ज़ंद) यह्या की ख़ुशख़बरी देता है जो अल्लाह के कलिमा (ईसा) की बशारत देगा और वह अल्लाह की और उसके बंदों की नज़र में बरगज़ीदा और गुनाहों से बेलौस होगा और नेकों में से नबी होगा।*

(3 : 39)

Copyright OfflineDeeniApp

तफ़्सीरी नुक्ते

1. सीरत की किताबों में इस जगह पर 'सैयद' के अलग-अलग मानी नक़ल किए गए हैं। जैसे हलीम (सहनशील), आलिम, फ़क़ीह, दीन व दुनिया का सरदार, शरीफ़ व परहेज़गार, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और बरगज़ीदा, लेकिन आख़िरा मानी चूंकि ऊपर लिखी तमाम सतरों के मानी को हावी हैं, इसलिए तर्जुमा में उन्हीं को अपनाया गया है।

(तफ़्सीर इब्ने कसीर, भाग 2 : पृ.361)

2. इसी तरह तफ़्सीरे इब्ने कसीर में 'हुसूर' के भी अलग-अलग मानी ज़िक्र किए गए हैं, 'वह आदमी जो औरत के क़रीब तक न गया हो' 'जो हर क़िस्म के गुनाह से बचा हो', और उसके दिल में गुनाह का ख़तरा भी न गुज़रता हो' 'जो आप भी अपने नफ़्स पर पूरी तरह क़ाबू रखता हो और नफ़्सानी ख़्वाहिशों को रोकता हो।'

हमारे ख़्याल में ये सब मानी एक ही हक़ीक़त की अलग-अलग ताबीरें हैं, इसलिए कि डिक्शनरी में 'हस्र' के मानी 'रुकावट' आते हैं और हुसूर इसका मुबालग़ा है, इसलिए इस जगह यह मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक जिन मामलों से रुकना ज़रूरी है, उनसे रुकने वाला 'हुसूर' है और इस लिहाज़ से चूंकि यह्या में तमाम सिफ़तें मौजूद हैं, इसलिए सभी मानी उन पर फ़िट बैठते हैं, अलबत्ता ताक़त बाक़ी रहने के बावुजूद उस पर क़ाबू पाने के लिए अल्लाह के बरगज़ीदा इंसानों के हमेशा दो तरीक़े रहे हैं—एक यह कि बिन ब्याही ज़िंदगी अख़्तियार कर के मुजाहदों, रियाज़तों और नफ़्सकुशी के ज़रिए हमेशा के लिए उसको दबा दिया जाए, गोया उसको फ़ना कर दिया जाए। ईसा ﷺ की मुबारक ज़िंदगी में यही पहलू ज़्यादा नुमायां है और यह्या में अल्लाह तआ़ला ने यह वस्फ़, बग़ैर मुजाहदा व रियाज़त ही के शुरू फ़ितरत में ही रख दिया था।

और दूसरा तरीक़ा यह है कि उसको इस दर्जा क़ाबू में रखा जाए और उस पर इस हद तक ज़ब्त क़ायम किया जाए कि वह कभी एक लम्हे के लिए भी बे-महल हरकत में न आ पाए, बल्कि बे-महल हरकत में आने का ख़तरा तक बाक़ी न रहे, लेकिन इंसानी नस्ल के बाक़ी रखने के लिए सही तरीक़े के

Copyright OfflineDeeniApp

ज़रिए शादीशुदा ज़िंदगी अख़्तियार की जाए।

पहला तरीक़ा अगरचे (यद्यपि) कुछ हालतों में पसंदीदा होता है, मगर इंसानी फ़ितरत और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए ग़ैर-मुनासिब है, पस जिन नबियों ने इस तरीक़े को अपनाया, वह वक़्त की अहम ज़रूरत के हिसाब से था, ख़ासतौर से जबकि उनकी दावत ख़ास-ख़ास क़ौमों में महदूद थी, लेकिन जमाअ़ती ज़िंदगी के लिए फ़ितरत का हक़ीकी तक़ाज़ा सिर्फ़ दूसरा तरीक़ा पूरा करना है और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीम और आपका ज़ाती अ़मल इसी तरीक़े की ताईद करते हैं और जबकि आप तमाम दुनिया के लिए भेजे गए हैं, तो ऐसी शक्ल में आपके लाए हुए 'दीने फ़ितरत' में उसी को बरतरी हासिल होनी चाहिए थी, चुनांचे आपने ज़िंदगी के कई शोबों में इस हक़ीक़त की तरफ़ तवज्जोह दिलाई है कि दुनिया के मामलों से अलग होकर पहाड़ों के ग़ारों और बयाबानों में ज़िंदगी गुज़ारने वाले आदमी के मुक़ाबले में उस आदमी का रुत्बा अल्लाह के यहां ज़्यादा बुलंद है जो दुनिया की ज़िंदगी के मामलों में क़ैद रहकर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफ़रमानी न करे और क़दम-क़दम पर उसके हुक्मों को नज़रों के सामने रखे।

तर्जुमा–*'ऐ यह्या! (ख़ुदा का हुक्म हुआ, क्योंकि वह ख़ुशख़बरी के मुताबिक़ पैदा हुआ और बढ़ा) अल्लाह की किताब (तौरात) के पीछे मज़बूती के साथ लग जा, चुनांचे वह अभी लड़का ही था कि हमने उसे इल्म व फ़ज़ीलत बख़्शी, साथ ही अपने ख़ास फ़ज़्ल से दिल की नर्मी और नफ़्स की पाकी अ़ता फ़रमाई। वह परहेज़गार और मां-बाप का ख़िदमत गुज़ार था, सख़्तगीर और नाफ़रमान न था। उस पर सलाम हो (यानी सलामती हो) जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरा और जिस दिन फिर ज़िंदा किया जाएगा।*

(19 : 12-15)

3. बहस में आई आयतों में 'व आतै नाहुल हुक-म सबीया' के यही मानी हैं जैसा कि तारीख़ इब्ने कसीर में अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मुअम्मर से नक़ल किया है और जिस आदमी ने उससे यह मुराद ली है कि 'यह्या बचपन ही में नबी बना दिए गए थे' सही नहीं है, इसलिए नुबूवत के मंसब जैसा ऊंचा

Copyright OfflineDeeniApp

और अहम मंसब किसी को भी बचपन ही में मिल जाना न अ़क़्ल के नज़दीक़ सही है और न नक़्ल से साबित है।

4. अल्लाह तआ़ला की ओर से हज़रत यह्या को इन आयतों में जो सलामती की दुआ़ दी गई है, वह तीन वक़्तों के साथ ख़ास है। सच तो यह है कि इंसान के लिए यही तीन वक़्त सबसे ज़्यादा नाज़ुक और अहम हैं—पैदाइश का वक़्त, जिसमें रहमे मादर (गर्भाशय) से जुदा होकर दुनिया में आता है। और वक़्ते मौत कि 'जिसमें दुनिया से विदा होकर आलमे बरज़ख़ में पहुंचता है और 'हश्र व नश्र का वक़्त' कि 'जिसमें क़ब्र (बरज़ख़) से आख़िरत की दुनिया में आमाल की जज़ा व सज़ा के लिए पेश होता है', इसलिए जिस आदमी को अल्लाह की ओर से इन तीन वक़्तों के लिए सलामती की बशारत मिल गई उसको दोनों दुनिया की सआ़दत का कुल भंडार मिल गया। *'फ़तूबा लहू व हुस-न मआब'*

तर्जुमा—*'ख़ुशहाली और नेक अंजामी है उसके लिए।'* (13 : 29)

दावत व तब्लीग़

सही हदीसों में ज़िक्र किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया—

'अल्लाह तआ़ला ने यह्या बिन ज़करिया को पांच बातों का ख़ुसूसियत के साथ हुक्म फ़रमाया कि वे ख़ुद भी इन पर अ़मल करें और बनी इसराईल को भी इन की हिदायत फ़रमाएं। चुनांचे उन्होंने बनी इसराईल को बैतुल-मक़्दिस में जमा किया और जब मस्जिद भर गई तो इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुझको पांच बातों का हुक्म दिया है कि मैं ख़ुद भी उन पर अ़मल करूं और तुमको भी अ़मल के लिए हिदायत करूं और वे पांच हुक्म ये हैं—

'पहला हुक्म यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश न करो और न किसी को उसका शरीक ठहराओ, क्योंकि मुश्रिक की मिसाल उस ग़ुलाम की सी है जिसको उसके मालिक ने अपने रुपए से ख़रीदा, मगर ग़ुलाम ने यह तरीक़ा अख़्तियार किया कि जो कुछ कमाता है, वह मालिक के सिवा

Copyright OfflineDeeniApp

एक दूसर आदमी [illegible] तो अब बताओ कि तुममें से कोई आदमी यह पसंद करेगा कि उसका ग़ुलाम ऐसा हो? इसलिए समझ लो कि जब अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और वही तुमको रोज़ी देता है तो तुम भी सिर्फ़ उसी की परस्तिश करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ।'

'दूसरा हुक्म यह है कि तुम दिल लगा कर अल्लाह से डरते हुए नमाज़ पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम नमाज़ में किसी दूसरी तरफ़ मुतवज्जह न होगे, तो अल्लाह बराबर तुम्हारी तरफ़ रज़ा व रहमत के साथ मुतवज्जह रहेगा।'

'तीसरा हुक्म यह है कि रोज़ा रखो। इसलिए कि रोज़ेदार की मिसाल उस आदमी की सी है जो एक जमाअ़त में बैठा हो और उसकी मुश्क की थैली हो। चुनांचे मुश्क उसको भी और उसके साथियों को भी अपनी ख़ुश्बू से मस्त करता रहेगा और रोज़ेदार के मुंह की बू का ख़्याल न करो इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की बू (जो ख़ाली मेदे से उठती है) मुश्क की ख़ुश्बू से ज़्यादा पाक है।'

'चौथा हुक्म यह है कि माल में से सदक़ा निकाला करो, क्योंकि सदक़ा करने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जिसको उसके दुश्मनों ने अचानक आ पकड़ा हो और उसके हाथों को गरदन से बांध कर वे मक़्तल की तरफ़ ले चले हों और इस नाउम्मीदी की हालत में वह यह कहे, क्या यह मुम्किन है कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़ा लूं और 'हां' में जवाब पाकर अपनी जान के बदले सब धन-दौलत क़ुरबान कर दे।'

'पांचवां हुक्म यह है कि दिन-रात में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, क्योंकि ऐसे आदमी की मिसाल उस आदमी की-सी है जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेज़ी के साथ उसका पीछा कर रहा हो और भागकर वह किसी मज़बूत क़िले में पनाह हासिल करके दुश्मन से बच जाए। बेशक इंसान के दुश्मन 'शैतान' के मुक़ाबले में अल्लाह के ज़िक्र में मश्ग़ूल हो जाना मज़बूत क़िले में महफ़ूज़ हो जाना है।'

इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा की जानिब मुतवज्जह होकर इर्शाद फ़रमाया—

'मैं भी तुमको ऐसी पांच बातों का हुक्म करता हूं जिनका अल्लाह ने

Copyright OfflineDeeniApp

मुझको हुक्म दिया है : यानी 'जमाअ़त का लाज़िम करना', 'सुनना', 'इताअ़त करना', 'हिजरत' और 'अल्लाह के रास्ते में जिहाद'। पस जो आदमी 'जमाअ़त' से एक बालिश्त बाहर निकल गया, उसने बेशक अपनी गरदन से इस्लाम की रस्सी को निकाल दिया, मगर यह कि जमाअ़त का लाज़िम होना अख़्तियार करे और जिस आदमी ने जाहिलियत के दौर की बातों की तरफ़ दावत दी, तो उसने जहन्नम को ठिकाना बनाया। हारिस अशअ़री रह० कहते हैं, 'कहने वाले ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! चाहे वह आदमी नमाज़ और रोज़े का पाबन्द ही हो, तब भी जहन्नम का हक़दार है? फ़रमाया, हां अगरचे, नमाज़ व रोज़े का पाबन्द भी हो, और यह समझता हो कि मैं मुसलमान हूं, तब भी जहन्नम का मुस्तहिक़ है।'

(अल-बिदाया वन्निहाया, भाग 2, पृ. 52)

इब्ने अ़साकिर ने वह्ब बिन मुनब्बह से कुछ रिवायतें नक़ल की हैं जिनका हासिल यह है कि यह्या ﷺ पर अल्लाह का डर इस तरह छाया रहता था कि वे अक्सर रोते रहते थे, यहां तक कि उनके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे, चुनांचे एक बार उनके बाप ज़करिया ने जब उनको जंगल में तलाश करके पा लिया, तो उनसे फ़रमाया, बेटा! हम तो तेरी याद में परेशान तुझको तलाश कर रहे हैं और तू यहां आह व गिरया में लगा है?' तो यह्या ﷺ ने जवाब दिया, ऐ बाप! तुमने मुझे बताया है कि जन्नत और जहन्नम के दर्मियान एक ऐसा लम्बा-चौड़ा मैदान है जो अल्लाह के डर से आंसू बहाए बग़ैर तै नहीं होता और जन्नत तक पहुंच नहीं होती। यह सुनकर हज़रत ज़करिया भी रोने लगे।'

(अल-बिदाया वन्निहाया)

शहादत का वाक़िया

यह्या ﷺ ने जब अल्लाह के दीन की मुनादी शुरू कर दी और लोगों को यह बताने लगे कि मुझसे बढ़कर एक और अल्लाह का पैग़म्बर आने वाला है तो यहूदियों को उनके साथ दुश्मनी और अ़दावत हो गई और वे उनकी बरगज़ीदगी, क़ुबूलियत और मुनादी को बरदाश्त न कर सके और एक दिन उनके पास इकट्ठा होकर आए और मालूम किया, क्या तू मसीह है? उसने

Copyright OfflineDeeniApp

कहा, नहीं, तब उन्होंने कहा, क्या तू वह नबी है? उसने कहा, नहीं। क्या तू एलिया नबी है! उसने कहा, नहीं, तब उन सबने कहा कि फिर तू कौन हैं, जो इस तरह मुनादी करता और हमको दावत देता है? यह्या ﷺ ने जवाब दिया, मैं जंगल में पुकरने वाले की एक आवाज़ हूं जो हक़ के लिए बुलन्द की गई है, यह सुनकर यहूदी भड़क उठे और आख़िरकार उनको शहीद कर डाला।

मक़्तल (क़त्लगाह)

इस बारे में कोई फ़ैसला कर देने वाली गवाही मौजूद नहीं है कि यह्या का मक़्तल कौन-सी जगह है? लेकिन यह मानी हुई बातों में से है कि यहूदियों ने उनको शहीद कर दिया। क़ुरआन में यहूदियों के हाथों नबियों और पैग़म्बरों के क़त्ल का ज़िक्र कई जगहों पर आया है।

शबे मेराज और यह्या ﷺ

किताबुल अंबिया में बुख़ारी ﷺ ने यह्या रह० के ज़िक्र में सिर्फ़ इसरा की हदीस के उस टुकड़े को बयान किया है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का दूसरे आसमान पर उनके साथ मुलाक़ात करना ज़िक्र किया गया है। रिवायत में है—

'पस जब मैं (दूसरे आसमान पर) पहुंचा तो देखा कि यह्या ﷺ और ईसा ﷺ मौजूद हैं और ये दोनों ख़लेरे भाई हैं। जिब्रील ﷺ ने कहा, यह यह्या व ईसा ﷺ हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया, तो उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हो, ऐ हमारे नेक भाई और नेक पैग़म्बर।'

नतीजा और सबक़

1. दुनिया में उस आदमी से ज़्यादा बद-बख़्त और ज़ालिम दूसरा कोई नहीं हो सकता जो ऐसी मुक़द्दस हस्ती को क़त्ल कर दे, जो न उसको सताती है और न उसके माल व दौलत पर हाथ डालती है, बल्कि इसके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी उजरत और मुआवज़े के उसकी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए हर क़िस्म

Copyright OfflineDeeniApp

की ख़िदमत अंजाम देती और अख़्लाक़, आ़माल और अ़क़ाइद की ऐसी तालीम बख़्शती है, जो उसको दुनिया और आख़िरत दोनों की फ़लाह व सआ़दत के लिए काफ़ी हो।

2. इंसान को अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और अगर कुछ हालात में ख़ुलूस के साथ दुआ़एं करने के बावजूद भी मक़्सद हासिल न हो, तो इसके यह मानी हरगिज़ नहीं है कि उस आदमी से अल्लाह की मेहरबान निगाह ने रुख़ फेर लिया है, नहीं, बल्कि 'हकीमे मुतलक़' की आ़म और मुकम्मल हिक्मत की नज़र में कभी इंसान की तलब की हुई चीज़ माल और अंजाम के लिहाज़ से उसके लिए फ़ायदेमंद होने की जगह नुक़्सानदेह होती है, जिसका ख़ुद उसको इसलिए इल्म नहीं होता कि उसका इल्म एक हद के अन्दर है और कभी ऐसा होता है कि चाहे शख़्सी मस्लहतों से ऊपर होकर इज्तिमाई मस्लहतों की फ़लाह व कामियाबी के लिए 'देर' चाहता है या इससे बेहतर मक़्सद के लिए उसको क़ुरबान कर दिया जाता है।

बहरहाल 'क़ुनूत' और 'मायूसी' अल्लाह के दरबार में ख़राब और नापसन्दीदा बात है।

तर्जुमा–*अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ़ वही लोग नाउम्मीद होते हैं, जो इंकारी हैं।'* (12 : 87)

बाग़ वाले

क़ुरआन की सूरः अल-क़लम में अल्लाह तआ़ला ने मक्का के काफ़िरों के हस्बे हाल एक मिसाल बयान फ़रमाई है, जो इस तरह है–

तर्जुमा–*'बेशक हमने इन (मक्का के काफ़िरों) को इसी तरह आज़माया है जिस तरह बाग़ वालों को आज़माया, जबकि उन्होंने यह क़सम खा ली कि हम सुबह होते इन (के फलों) को काट लेंगे और वे 'इन्शाअल्लाह' भी न कहते थे। पस वे अभी सो ही रहे थे कि (उनके बाग़ पर) तेरे परवरदिगार की तरफ़ से फिरने वाला फिर गया, (यानी) अल्लाह के अ़ज़ाब से वह बाग़ बर्बाद हो गया) पस सुबह को ऐसा हो गया, गोया जड़ से काट कर फेंक दिया गया है। (सुबह हुई) तो उन्होंने एक दूसरे को पुकारा कि अगर खेती काटना चाहते हो*

Copyright OfflineDeeniApp

तो सवर चल चल। जार प चलते-चलते आपस में चुपके-चुपके बातें करते जाते थे (कि जल्दी करो), ऐसा न हो कि काटते वक़्त तुमको फ़क़ीर आ घेरें और अपने बुख़्ल की वजह से बहुत सवेरे (बाग़-खेत) पर पहुंचे। अन्दाज़ा लगाकर (कि उस वक़्त तक फ़क़ीर न पहुंच सकेंगे), पस जब उसको (इस हाल में) देखा तो कहने लगे, हम राह भूल गए हैं। (यह वह जगह नहीं है, मगर जब ग़ौर से देखा, तो कहने लगे) बल्कि हम (बाग़ के नफ़ा से) महरूम रह गए। उनमें से एक भले आदमी ने कहा, क्या मैंने तुमसे पहले ही न कहा था कि (अल्लाह की इस नेमत) पर क्यों अल्लाह की पाकी बयान नहीं करते? (अब बुरे अंजाम के बाद) कहने लगे, हमारे परवरदिगार के लिए पाकी है। बेशक हमने ख़ुद ही अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया और आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे (यह कि तूने ही हमको पहले से क्यों न समझाया) और कहने लगे, हाय बदक़िस्मती, बेशक हम सरकश थे। जल्द उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमको इससे बेहतर बदल अ़ता फ़रमाए, बेशक (अब) हम अपने परवरदिगार ही की तरफ़ मुतवज्जह हैं। (ऐ मक्का वालो! अल्लाह का अ़ज़ाब इसी तरह (अचानक) आ जाता है और आख़िरत का अ़ज़ाब तो बहुत ही हौलनाक है, काश! कि वे जान लेते। (68 : 17-23)

वाक़िए से मुताल्लिक़ क़ौल

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि यह मक्का के काफ़िरों के हालात के मुताबिक़ क़ुरआन ने एक मिसाल दी है, कोई वाक़िया नहीं है। सईद बिन जुबैर रज़ि० फ़रमाते हैं कि यह वाक़िया है, जो यमन की एक बस्ती ज़रवान में पेश आया जो कि सुनआ से छः मील पर वाक़े थी।

यह मिसाल हो या वाक़िया, क़ुरआन ने उसके बयान में याददेहानी और डरावे का जो पहलू रखा है, वह बहरहाल अपनी जगह है। इसलिए कि इन आयतों से पहले मक्का के क़ुरैश की नाफ़रमानी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनाए जाने से इंकार और ढिठाई का ज़िक्र करते हुए, ख़ास तौर पर उनके एक सरदार वलीद बिन मुग़ीरह की बद-आमालियों का तज़्करा हो रहा है। अब उनको एक मिसाल देकर या

Copyright OfflineDeeniApp

वाक़िया सुनाकर यह बताया जा रहा है कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और अल्लाह की नेमत (क़ुरआन) के ख़िलाफ़ आपस में सरगोशियां करने, क़ुरआन की अ़ता की हुई तालीम से मुताल्लिक़ अल्लाह के हुक़ूक़ और बन्दों के हुक़ूक़ से बचकर अपनी ताक़त व क़ूवत पर इतराते और घमंड करते, मासूम पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों को हक़ारत की नज़र से देखने का अंजाम वही होने वाला है जो 'बाग़ वालों' का हुआ और यह इसलिए कि एक तो अल्लाह की तरफ़ से इम्हाल के क़ानून (मोहलत देने का क़ानून) घमंड करने वालों को ढील देता है और हालत में सुधार लाने के लिए मौक़ा जुटाता है, मगर जब कोई क़ौम उससे फ़ायदा नहीं उठाती, बल्कि अल्लाह की उस मोहलत को अपनी बातिल परस्ती के लिए सच्चाई की दलील ठहरा कर सच्चों को और उसकी सच्चाई को हक़ीर व ज़लील करने पर तैयार हो जाती है, तो फिर पकड़ का क़ानून अपना सख़्त पंजा उन पर जमा देता है और उनको हलाक व बर्बाद करके कायनात की इबरत व नसीहत का सामान जुटा देता है, बल्कि न उस वक़्त हसरत काम आती है, न नदामत और न उस घड़ी ईमान लाना फ़ायदेमंद होता है और न अल्लाह की इताअ़त व फ़रमांरबरदारी का एलान।

सबक़

अल्लाह तआ़ला ने इस कायनात में इंसान को इज्तिमाई ज़िंदगी जीने के लिए पैदा किया है और इंसानी ज़रूरतों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ दिया है कि यह कारख़ाना आपसी मेल-मदद के बग़ैर नहीं चल सकता और चूंकि इज्तिमाई ज़िंदगी फ़र्द ही से बनती और संवरती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके आगे बढ़ने और ज़िंदगी को बाक़ी रखने का ऐसा क़ानून मुक़र्रर किया जाए जिसकी बदौलत इंसानों के दर्मियान भाईचारा और रहम व मुरव्वत क़ायम हो सके और किसी वक़्त भी हसद और ज़िद न पैदा होने पाए, इसलिए अल्लाह तआ़ला ने उस निज़ाम को पूरा करने के लिए मआशी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ दो हक़ मुक़र्रर फ़रमाए—एक मईशत का हक़ और दूसरा मईशत के दर्जे।

Copyright OfflineDeeniApp

मईशत के हक़ का क़ानून यह है कि इस दुनिया में एक जानदार भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो मआ़श के हक़ से महरूम हो। यह हर आदमी का अपना हक़ है कि वह ज़िंदा रहे। इसलिए मईशत के हक़ में यहां सब बराबर हैं और किसी को किसी पर बुलन्दी और बरतरी हासिल नहीं।

दूसरी मईशत के दर्जों का मसला है यानी यह ज़रूरी है कि मआ़शी ज़िंदगी के लिए सबको मिले, मगर यह ज़रूरी नहीं कि सबको बराबर मिले।

तर्जुमा–*'और अल्लाह तआ़ला ने तुमको कुछ को कुछ पर रोज़ी में फ़ज़ीलत दी है।'* (16 : 71)

लेकिन मआश के दर्जों में इस कमी-बेशी और बरतरी का यह मतलब नहीं कि उसने जो कुछ कमाया है, वह सब उसका इंफ़िरादी हक़ है, नहीं, बल्कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ही उसकी दौलत में इज्तिमाई हक़ (अल्लाह का हक़ और बन्दों का हक़) ज़्यादा होगा। जो इंफ़िरादी मिल्क समझ कर इन हक़ों का इंकार करेगा, उसका अंजाम भी बख़ैर न होगा और वह अल्लाह के ग़ज़ब का हक़दार क़रार पाएगा।

मोमिन व काफ़िर

मोमिन और काफ़िर का वाक़िया

अल्लाह तआ़ला ने सूरः कह्फ़ में अस्हाबे कह्फ़ के वाक़िए के बाद एक और वाक़िए का ज़िक्र फ़रमाया है। यह वाक़िया दो इंसानों के दर्मियान मुनाज़रे जैसी गुफ़्तगू की शक्ल में हुआ है और साथ ही इसका नतीजा और फल भी ज़िक्र किया गया है यानी एक का तरीक़ा-ए-ज़िंदगी माल के एतबार से कामियाब रहा और दूसरे को नदामत व हसरत का मुंह देखना पड़ा। क़ुरआन ने जिस अन्दाज़ में इस वाक़िए का ज़िक्र किया है, हदीस और सीरत और तारीख़ की किताबों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए उसी की तरफ़ लौटना चाहिए–

तर्जुमा–*'और (ऐ पैग़म्बर!) लोगों को एक मिसाल सुना दो, दो आदमी थे, उनमें से एक के लिए हमने अंगूर को दो बाग़ मुहय्या कर दिए, गिर्दागिर्द*

Copyright OfflineDeeniApp

खजूर के पड़ा का घरा था, बाच की ज़मीन में खेती थी, पस ऐसा हुआ दोनों बाग़ फ़लों से लद गए और पैदावार में किसी तरह की भी कमी न हुई। हमने उनके बीच (सिंचाई के लिए) एक नदी जारी कर दी थी। नतीजा यह निकला कि वह आदमी दौलतमंद हो गया, तब एक दिन (घमंड में आकर) अपने दोस्त से (जिसे ख़ुशहालियां मयस्सर न थीं) बातें करते-करते बोल उठा, देखो, मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूं और मेरा जत्था भी बड़ा ताक़तवर जत्था है, फिर वह (ये बातें करते हुए) अपने बाग़ में गया और वह अपने हाथों अपना नुक़सान कर रहा था। उसने कहा, मैं नहीं सझता कि ऐसा शादाब बाग़ कभी वीरान हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं कि क़ियामत की घड़ी बरपा होगी और अगर ऐसा हुआ भी कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ़ लौटाया गया तो (मेरे लिए क्या खटका है) मुझे ज़रूर (वहां भी) इससे बेहतर ठिकाना मिलेगा। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा और आपस में बात-चीत का सिलसिला जारी था, क्या तुम उस हस्ती का इंकार करते हो जिसने तुम्हें पहले मिट्टी से और फिर नुत्फ़े से पैदा किया और फिर आदमी बनाकर सामने ला दिया, लेकिन मैं तो यक़ीन रखता हूं कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता और फिर जब तुम अपने बाग़ में आए (और उसकी शादाबियां देखीं) तो क्यों तुमने यह न कहा कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है उसकी मदद के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता? और यह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं तुमसे माल और दौलत कमतर रखता हूं, तो (उस पर घमंड न कर)। क्या अजब है मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे इस बाग़ से भी बेहतर बाग़ (जन्नत) दे दे और तुम्हारे बाग़ पर आसमान से ऐसी अन्दाज़ा की हुई बात उतार दे कि वह चटयल मैदान होकर रह जाए या फिर बर्बादी की कोई और शक्ल निकल आए। जैसे उसकी नहर का पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए और तुम किसी तरह भी उस तक न पहुंच सको और फिर (देखो) ऐसा ही हुआ कि उसकी दौलत (बर्बादी) के घेरे में आ गई। वह हाथ मल-मल कर अफ़सोस करने लगा कि इन बाग़ों की दुरुस्तगी पर मैंने क्या कुछ ख़र्च किया था (वह सब बर्बाद हो गया) और बाग़ों का हाल यह हुआ कि टट्टियां गिर कर के ज़मीन के बराबर हो गईं। अब वह कहता है, ऐ काश! मैं

Copyright OfflineDeeniApp

अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न करता और देखो कोई जत्था न हुआ कि अल्लाह के सिवा उसकी मदद करता और न ख़ुद उसने यह ताक़त पाई कि बर्बादी से जीत सकता, यहां से मालूम हो गया कि हक़ीक़त में सारा अख़्तियार अल्लाह ही के लिए है, वही है, जो बेहतर सवाब देने वाला है और उसी के साथ बेहतर अंजाम है।' (18 : 32-44)

वाक़िए की तश्रीह (व्याख्या)

इन आयतों से पहले यह ज़िक्र हो रहा है कि जो लोग इंकारी हैं, उनके लिए जहन्नम की आग है और जो ईमान वाले हैं, उनके लिए हर क़िस्म की ख़ुश ऐशियां हैं और हमेशा का बाग़ (जन्नत) है। इसके बाद बहस में आई आयत में यह कहा जा सकता है कि जो इंकारी हैं, उनके लिए सिर्फ़ आख़िरत ही की महरूमियां नहीं हैं, बल्कि वे इस दुनिया में भी बहुत जल्द नाकामियों और बदबख़्तियों से दोचार होने वाले हैं। उनका यह घमंड कि उनको हर क़िस्म का आराम और ख़ुशऐशी हासिल है और वे माल व दौलत के मालिक हैं और उनका जत्था भी बहुत ताक़तवर है, बहुत जल्द ख़ाक में मिल जाने वाला है और ईमान वाले अपनी मौजूदा तंगहाली पर बददिल न हों कि वक़्त आ पहुंचा है कि उनकी यह बेचारगी और बेबसी हर क़िस्म की इज़्ज़त व ताक़त से बदल जाएगी। साथ ही यह कि दुनिया की ख़ुशऐशी भी चलती फिरती छांव है, उस पर भरोसा बेकार है। वह जब मिटने पर आती है तो लम्हों की भी देर नहीं लगती और दुनिया की कोई भी ताक़त उसको नहीं बचा सकती।

अजब नादां है जिनको है उज्बे ताजे सुलतानी
फ़लक वाले हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी।

बहरहाल यह वाक़िया हो या मिसाल, याददेहानी कराने और डराने के जिस मक़्सद की ख़ातिर बयान की गई है, उसे देखते हुए मक्का के मुश्रिकों और मुसलमानों के आपस में मुक़ाबले का बड़ा ही जामेअ़ और हर पहलू से मुकम्मल नक़्शा है और मुसलमानों के हक़ में नासाज़गार हालात के वक़्त उनकी कामियाबी और मुश्रिकों की नाकामी के उस अंजाम की ख़बर दी है

Copyright OfflineDeeniApp

जो कुछ दिनों बाद होने वाला था।

सबक़ और नतीजे

1. दुनिया की नेमतें दो घड़ी की धूप और चार दिन की चांदनी हैं। कमज़ोर और मिट जाने वाली, पस अक़्लमंद वह है जो इन पर घमंड न करे और इनके बलबूते पर अल्लाह की नाफ़रमानी पर आमादा न हो जाए और तारीख़ के उन पन्नों को निगाह में रखे, जिनकी गोद में फ़िरऔन, नमरूद, समूद और आद की जाबिराना ताक़तों का अंजाम आज तक महफ़ूज़ है।

तर्जुमा–*'ज़मीन की सैर करो और फिर देखो कि नाफ़रमानों का अंजाम क्या हुआ।'* (27-69)

2. सच्ची इज़्ज़त अल्लाह पर ईमान और भले अ़मल से बनती है, दौलत व सरवत और सतवत व दुनिया की हश्मत से हासिल नहीं होती। मक्का के कुरैश को सरवत व सतवत दोनों हासिल थीं, मगर बद्र के मैदान में उनका बुरा अंजाम और दीन व दुनिया की उनकी रुसवाई को कोई रोक न सका। मुसलमान दुनिया के हर क़िस्म के ऐश के सामान से महरूम थे, मगर अल्लाह पर ईमान और नेक अ़मल ने जब उनको दीनी और दुनिया की इज़्ज़त व हश्मत अ़ता की, तो उसमें कोई रुकावट न बन सका।

तर्जुमा–*हक़ीक़ी इज़्ज़त अल्लाह, उसके रसूल और मुसलमानों के लिए ही है, मगर मुनाफ़िक़ इस हक़ीक़त को नहीं जानते।* (63-8)

3. मोमिन की शान यह है कि अगर उसको अल्लाह ने दुनिया की नेमतों से नवाज़ा है तो घमंड और तकब्बुर के बजाए अल्लाह के दरबार में माथा झुका कर नेमत का एतराफ़ करे और दिल व ज़ुबान दोनों से इक़रार करे कि अल्लाह अगर तौबा न अ़ता फ़रमाता तो उनका हासिल करना मेरी अपनी क़ूवत व ताक़त से बाहर था। सब तेरी ही अ़ता व बख़्शिश का सदक़ा है–

व लौला इज़ दख़ल-त जन्न-त-क क़ुल-त माशाअल्लाह, व ला क़ूव-त इल्ला बिल्लाहि०

जन्नत के छिपे ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना यह है कि बन्दा माने कि भलाई करने की ताक़त और बुराई से बचने की ताक़त अल्लाह की मदद के

Copyright OfflineDeeniApp

बिना नामुम्किन है, यानी जिस आदमी ने ज़ुबान से इसका इक़रार किया और दिल में इस हक़ीक़त को बिठा लिया, उसने गोया जन्नत के ख़ज़ाने की कुंजी हासिल कर ली।

4. सईद (भाग्यवान) वह है जो अंजाम से पहले अंजाम की हक़ीक़त को सोच ले और अंजाम यह हो कि अबदी व सरमदी सआ़दत पाए और शक़ी व बदबख़्त वह है जो अंजाम पर ग़ौर किए बग़ैर एक तो घमंड और ग़ुरूर ज़ाहिर करे और इस बुरे अंजाम को देखने के बाद नदामत (शार्मिन्दगी) और हसरत का इज़्हार करे और यह नदामत व हसरत उस वक़्त कुछ काम न आए। चुनांचे इस वाक़िए या मिसाल में भी इन्कार करने वाले को वही शक़ावत (दुर्भाग्य) पेश आई और यही बुरा अंजाम फ़िरऔन को भी देखना पड़ा कि वक़्त गुज़रने पर उसने वही कहा कि अगर अ़ज़ाब को देखने से पहले मूसा की नसीहत मान लेता तो इस दर्दनाक अ़ज़ाब की भेंट न चढ़ता।

क़रिया वाले या अस्हाबे यासीन

क़रिया वाले और क़ुरआन

क़ुरआन में एक बहुत ही मुख़्तसर वाक़िया सूरः यासीन में ज़िक्र किया गया है, इसको सूरः की निस्बत से 'अस्हाबे यासीन का वाक़िया' और आयतों के बयान के तरीक़े के मुताबिक़ 'अस्हाबे क़रिया का वाक़िया' कहते हैं। अस्हाबे क़रिया अगरचे मुश्रिक व बुतपरस्त थे, मगर उनके यहां 'रहमान' का विचार पाया जाता था। क्या अजब है कि आयत के मुताबिक़ 'कोई क़ौम ऐसी नहीं जहां हमारा डराने वाला न पहुंचा हो– वे इस दावत से पहले अ़र्से तक किसी सच्चे पैग़म्बर की पैरवी करने वाले रहे हों और धीरे-धीरे एक ज़माने के बाद शिर्क में पड़ गए हों। क़ुरआन पाक में यह वाक़िया इस तरह ज़िक्र किया गया है–

तर्जुमा–*'(ऐ पैग़म्बर!) इन (मक्के के मुश्रिकों से) बस्ती वालों का वाक़िया बयान करो कि जब उनके पास अल्लाह के रसूल आए, जब यह शक्ल*

Copyright OfflineDeeniApp

बनी कि हम ने एक तो उनके पास दो भेजे थे, तो उन्होंने उनको झुठलाया, जब हमने उन दोनों को तीसरे के ज़रिए से ताक़त व इज़्ज़त अ़ता की, तब इन तीनों ने बस्ती वालों से कहा, हम यक़ीन दिलाते हैं कि हमको अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। बस्ती वालों ने कहा, इस बात के अलावा कि तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, कौन-सी ऐसी ख़ूबी है कि तुम अल्लाह के रसूल हो और रहमान ने तुम पर कुछ भी नाज़िल नहीं किया, इसलिए तुम साफ़ झूठे हो। उन तीनों ने कहा, हमारा परवरदिगार ख़ूब जानता है कि हम यक़ीनी तौर पर अल्लाह के भेजे हुए हैं और हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ वाज़ेह और साफ़ तौर पर अल्लाह का पैग़ाम पहुंचा देना है। (ज़बरदस्ती क़ुबूल करा देना हमारा काम नहीं है।) बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, पर अगर तुम इस (तब्लीग़) से बाज़ न आए तो हम तुमको पत्थर मार-मार कर हलाक कर देंगे और सख़्त क़िस्म का अ़ज़ाब चखाएंगे।

उन्होंने कहा, तुम्हारी नहूसत तो ख़ुद तुम्हारे साथ लगी हुई है कि तुमको जब नसीहत की जाती है तो उसको नहूसत कहते हो, बल्कि तुम तो हद से गुज़र रहे हो और शहर के आख़िरी किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उससे कहा, 'ऐ क़ौम! तुम अल्लाह के रसूलों की पैरवी करो उनकी पैरवी करो, जो तुमसे अपनी नेक हिदायत पर कोई बदला तलब नहीं करते और मुझे क्या बात रोक बनी हुई है कि मैं सिर्फ़ अपने पैदा करने वाली की ही परस्तिश न करूं। उसकी परस्तिश, जिसकी तरफ़ हम तुमको लौट जाना है। क्या मैं उस ज़ात के सिवा बातिल माबूदों को अल्लाह बना लूं कि अगर रहमान मुझको कोई नुक़्सान पहुंचाना चाहे तो इन बातिल माबूदों की न कोई सिफ़ारिश चल सके और न वे उस नुक़्सान से बचा सकें। मैं अगर ऐसा करूं तो खुला गुमराह हूं। बेशक मैं तो अपने और तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ले आया। तुम ख़ूब कान लगाकर सुन लो। तब उसको हमारी ओर से कहा गया, जन्नत में किसी ख़तरे के बग़ैर दाख़िल हो जा। हमने कहा, काश कि मेरी क़ौम जान लेती कि मेरे परवरदिगार ने मुझे मग़्फ़िरत का कैसा अच्छा तोहफ़ा दिया और मुझको उन लोगों में शामिल कर लिया जिनको उसने एज़ाज़ व इकराम से नवाज़ा है और

Copyright OfflineDeeniApp

हमने उसकी मौत के बाद उसकी क़ौम पर आसमान से कोई लश्कर सज़ा देने के लिए नहीं उतारा और हमको ऐसा करने की क़तई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं थी, (उनकी सज़ा के लिए) और कुछ नहीं था। मगर एक हौलनाक चीख़, पस वे वहीं बुझ कर रह गए, (यानी हलाक हो गए) (36 : 13-29)

तफ़्सीर और सीरत लिखने वाले इस वाक़िए के ज़माने और तफ़्सील में इस दर्जा शक में पड़ गए हैं और बेचैन हैं कि उनके बयानों और रिवायतों से वाक़िए का तै करना नामुम्किन हो जाता है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि क़ुरआन ने अपने अज़ीम मक़्सद 'भली नसीहत' को नज़र में रखकर जिस क़दर बयान किया है, वह एक देखने-समझने वाले के लिए काफ़ी-शाफ़ी है। अल्लाह की इस सरज़मीन पर हक़ व बातिल के जहां बहुत से वाक़िए हो गुज़रे हैं और इस बूढ़े आसमान ने इस सिलसिले में जितने पन्ने भी उलटे हैं, उनमें एक यह वाक़िया भी इसी आसमान के नीचे और इसी ज़मीन के ऊपर हो गुज़रा है। बस्ती, नेक मर्द और मुक़द्दस रसूलों के नाम मालूम हुए, तब और न हुए, तब नफ़्से वाक़िया पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तारीख़ के जिन पन्नों ने नूह और क़ौमे नूह, हूद और आ़द, सालेह और समूद, इब्राहीम, लूत और क़ौम लूत, मूसा और फ़िरऔन, ईसा और बनी इसराईल के हक़ व बातिल के मारकों के तफ़्सीली हालात और वाक़ियों को अपने सीने में आज तक महफ़ूज़ कर रखा है, उसमें अगर इस वाक़िए' का भी इज़ाफ़ा हो जाए, जिसका मुख़्तसर व मुज्मल ज़िक्र क़ुरआन ने किया है तो कौन-सी हैरत की बात और ताज्जुब का मक़ाम है।

वाक़िए का हासिल यही तो है कि कुछ मुक़द्दस पैग़म्बरों ने एक गुमराह मख़्लूक़ को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की और उसने दुश्मनी और गुमराही को बुनियाद बनाकर उनकी बात मानने से इंकार कर दिया, यहां तक कि ख़ुदा के पहुंचे हुए इन हादियों को क़त्ल कर देने से भी बाज़ न रहे, तो इस क़िस्म के वाक़ियों को तारीख़ ने सिर्फ़ बनी इसराईल ही में इतनी बार दोहराया है कि क़ौमों और मिल्लतों की तारीख़ की जानकारी रखने वाला एक लम्हे के लिए भी उसके बारे में तरद्दुद नहीं कर सकता।

Copyright OfflineDeeniApp

वाक़िए से मुताल्लिक़ बातें

इब्ने इस्हाक़, काब अह्बार, वह्ब बिन मुनब्बह के वास्ते से अ़ब्दुल्लाह विन अ़ब्बास रज़ि० से नक़ल करते हैं कि यह वाक़िया शहर अन्ताकिया (शाम) का है। इस शहर के लोग बुतपरस्त थे और उनके बादशाह का नाम इंतख़ीस बिन इन्तख़ीस था। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए तीन पैग़म्बरों, सादिक़, मस्दूक़ और शलूम को भेजा और शहर के आख़िरी सिरे से जो नेक मर्द उनकी ताईद के लिए आया, उसका नाम हबीब था। फिर कोई कहता है कि यह आबिद, ज़ाहिद और मुर्ताज़ था और शहर के किनारे इबादत में लगा रहता था और किसी का क़ौल है कि वह रेशमी और सूती कपड़ा बुनने का काम करता था और सदक़ात व ख़ैरात करने वाला था। ग़रज़ उनके नज़दीक यह वाक़िया हज़रत ईसा عليه السلام के ज़माने का है और शहर अन्ताकिया ही का वाक़िया है। वाक़िए की दूसरी छोटी-छोटी बातों की तफ़्सील कुछ भी हो, वह इसके वड़े मक़्सद को पूरा करता है और सोचने-समझने वालों को सबक़ लेने की दावत देता है।

हासिल

1. बातिल वालों का हमेशा से यही अ़क़ीदा रहा है कि अल्लाह का पैग़म्वर इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी 'फ़ितरत से ऊपर की हस्ती' को अल्लाह का रसूल होना चाहिए। इस अ़क़ीदे की बुनियाद ही बेवक़ूफ़ी पर टिकी है, इसलिए कि जब दुनिया में इंसान बस रहे हैं तो फिर उनकी हिदायत के लिए भी रसूल और पैग़म्बर इंसान ही होना चाहिए, न कि फ़रिश्ता।

2. जहां बुराई, खराबी, बिगाड़ और गुमराही के कीड़े ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, वहां भलाई और अच्छाई की भी कोई रूह निकल आती है और वह कलिमा-ए-हक़ की ताईद में जान की बाज़ी लगा देती है।

3. हक़ ज्यों-ज्यों अपनी सच्चाई को उजागर करता जाता है, बातिल उतना ही इश्तिअ़ाल में आता जाता है और दलीलों की जगह लड़ने-झगड़ने पर तैयार हो जाता है, मगर हक़ के परस्तार इसकी परवाह न करते हुए हक़ पर जानं कुर्वान कर देते हैं। 'ख़ुदा रहमत कुनद ई आशिक़ाने पाक तीनत रा०'

Copyright OfflineDeeniApp